Office Of Collectorate,

Moradabad

Ref No. ..766./N-13/303/2020/अपर Date ..30/6/22

Through E-Filing (E-mail: judicial-ngt@gov.in)

To,

The Registrar General,
Principal Bench,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi

Sub: Regarding status Report in compliance of Hon'ble NGT order dated 10-05-2022 in the matter of Shailesh singh vs M/s Designco, Moradabad & ors in MA. no. 23/2022 & MA. no. 19/2021 in Original Application no. 303/2020.

Sir,

In compliance of the direction passed by Hon'ble National Green Tribunal dated 10-05-2022 on matter mentioned above, the Joint Committee report along with status report are hereby attached with a request to put up before Hon'ble National Green Tribunal for kind perusal.

Enclosure: As Above.

(Shailendra Kumar Singh)
District Magistrate

Copy To: Shri Pradeep Mishra, Advocate for U.P. Pollution Control Board (email - pradeepmisra@yahoo.com).

District Magistrate

Status Report

In the matter of

Shailesh Singh Vs Designco,

Moradabad & ors

(M.A. no 23/2022 & M.A. No. 19/2021 in

O.A. no. 303/2020)

Hon'ble National Green Tribunal

(Order dated 10th May, 2022)

Scanned with OKEN Scanner

Contents

1- Background
2- Conclusion
3- Action taken

Scanned with OKEN Scanner

Background-

The O.A. No. 303/2020 was filed by Shailesh Singh before Hon'ble NGT, New Delhi regarding the encroachment on Gagan River and Ramganga River in Moradabad by the following units:

1. M/s Designco
2. M/s Lohia Brass
3. M/s Dewan & Sons
4. M/s C.L.Gupta& Sons
5. M/S C.L.Gupta& Sons Farm House
6. Mining Contractor- Shri Mahipal Singh
7. Tirupati Builders
8. M/s Sai Creation
9. M/S Horizon Impex.

Hon'ble NGT, New Delhi has passed the order dated 07-01-2021 in the above matter and directed as following –

"---------*We find the application to be deficient in relevant particulars. At the same time, there are serious allegations. In these circumstances, instead of straightaway entering upon adjudication of the grievance, we consider it appropriate to direct a joint Committee of District Magistrate Moradabad, Irrigation &Water Resources Department, Moradabad and the State PCB to look into matter, and take further appropriate action, in accordance with law. The State PCB will be the nodal agency for compliance and coordination*-------------."

Constitution of Committee:

In compliance of the above order, a joint committee has been constituted by the District Magistrate, Moradabad vide letter no. 100/N/13/303/2021 on 25-01-2021 under Chairmanship of Additional District Magistrate (F&R), Moradabad to visit the site and for appropriate action. Copy is annexed as **Annexure -1**.

The members of the committee are as under:

Scanned with OKEN Scanner

1. *Additional District Magistrate (F & R), Moradabad.*
2. *Municipal Commissioner, Moradabad Municipal Corporation, Moradabad.*
3. *Secretary, Moradabad Development Authority, Moradabad.*
4. *Deputy Commissioner (Industries), District Industries Promotion and Development Centre, Moradabad.*
5. *Executive Engineer, Flood Division, U.P. Irrigation Department, Moradabad.*
6. *Executive Engineer, Ground Water Department, Moradabad.*
7. *Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Moradabad.*

Action taken By Committee in compliance of order dt. 07-01-2021: -

The above committee had visited the industries/units on dated 17-03-2021 listed as per Hon'ble NGT order whose status is as follows –

a. UPPCB, Moradabad submitted its report vide office letter no 582/N-13/303/20 dated 04-06-2021 to Additional District Magistrate (F&R), Moradabad. Copy is annexed as **Annexure -2.**

b. Executive Engineer, Flood Division Irrigation Department Moradabad submitted its report vide its letter no. C-46/बा०ख०मु०/सि० dated 28-03-2021 and 431/बा०ख०मु०/गागन dated 05-03-2022 to Additional District Magistrate (F&R), Moradabad. Copy is annexed as **Annexure -3 & 4.**

c. Executive Engineer, Ground Water Department, Division Moradabad submitted its report vide its letter no. 04/Camp/भू०ज०वि०ख०–मुरादाबाद/टी–4 dated 13-04-2021 to Additional District Magistrate (F&R), Moradabad. Copy is annexed as **Annexure -5.**

Scanned with OKEN Scanner

d. Nagar Nigam, Moradabad submitted its report vide its letter no. 384/न०नि०मु०/2021 dated 10-06-2021 to Additional District Magistrate (F&R), Moradabad. Copy is annexed as **Annexure -6**.

e. Dy Commissioner, Industries, District Industries Promotion and Development center submitted report vide its letter no. 327-28/जि०उ०एवंउ०प्रो०के०(मुरा०)/2021-22 dated 10-06-2021 to Additional District Magistrate (F&R), Moradabad. Copy is annexed as **Annexure - 7.**

f. Moradabad Development Authority, Moradabad was requested to send the report vide this office letter no. 1176/N-13/2903/General/2020 dated 27-08-2021 and 245/N-3/303/2020 dated 15-03-2022. Copy is annexed as **Annexure -8 & 9**.

g. Apart from that District Magistrate, Moradabad has directed vide its letter no. 174/N-13/303/2020/General dated 24.02.2022 to Nagar Nigam, Moradabad, Moradabad Development Authority, Moradabad and Flood Division, Irrigation Department, Moradabad to take appropriate action against illegal construction/encroachment on river Gagan and Ram Ganga. Copy is annexed as **Annexure -10.**

Status of writ with regard to M/s Designco, Lakri Fazalpur, Moradabad before Hon'ble High Court Allahabad :-

M/s Designco has filed a Writ C No. 33061 of 2021 before Hon'ble High Court, Allahabad for stay the operation of the order dated 30.10.2021 issued by Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad and matter is under consideration. Copy of writ petition and order passed dated 04.04.2022 by Hon'ble High Court, Allahabad is annexed as **Annexure – 11 & 12.**

Further, Hon'ble NGT vide order dated 10-05-2022 in the matter of Shailesh Singh vs M/s Designco, Moradabad &ors in MA. no. 23/2022 & MA. no. 19/2021 in Original Application no. 303/2020 has directed following-

" 2. According to the applicant, no action has been taken against encroachments in question inspite of order of this Tribunal. Let the UP State PCB furnish a status report in the matter within one month by e-mail at

Scanned with OKEN Scanner

judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR support PDF and not in the form of Image PDF.

List for further consideration on 25.07.2022."

Action taken By Committee in compliance of order dt. 10-05-2022: -

In compliance of order dated 10-05-2022, a meeting of concerned department was held on 21-05-2022 under the Chairmanship of District Magistrate,Moradabad to review the matter and directed to visit the site and submit latest status report. In compliance of the above direction,the joint committee visited following units on dated 25-05-2022 & 26-05-2022.

I. M/S Desingco
II. M/s Lohiya Brass
III. M/S Dewan & Sons
IV. M/S Sai Creations
V. M/S Horizen Impex
VI. M/S C.L. Gupta &Sons
VII. M/S C.L. Gupta & Sons Farmhouse
VIII. M/S Tirupati Builders
IX. Mining Contractor- Mahipal Singh

Copy of Joint committee report is annexed as **Annexure-13.**

Additional Comment in continuation to Joint Committee report regarding analysis report of sample collected :-

At the time of inspection the joint team has collected the effluent sample from outlet of ETPs of following units-

i. M/s Designco, Lakri Fazalpur, Moradabad.
ii. M/s Dewan & Sons, Lakri Fazalpur, Moradabad.
iii. M/s Horizen Impex, Lakri Fazalpur, Mini Bypass, Moradabad.

Samples were analyzed by the Central Laboratory, U.P. Pollution Control Board, Lucknow. As per analysis reports of sample collected, the said units are conforming the prescribed norms. **Copy is annexed as Annexure- 14, 15 & 16.**

Scanned with OKEN Scanner

Conclusion: -

As per the report of Joint Committee, the irregular construction in flood zone of river Gagan/Ram Ganga has primarily been found by the following units -

a. M/S Designco, Lakri Fazalpur, Moradabad (Near the bank of River Gagan).
b. M/S Lohiya Brass Pvt. Ltd., Lakri Fazalpur, Moradabad (Near the bank of River Gagan).
c. M/S Dewan & Sons, Lakri Fazalpur, Moradabad (Near the bank of River Gagan).
d. M/S C.L. Gupta & Sons Farm House, Ashiyana, Moradabad (Near the bank of River Ramganga).

Considering the facts, District Magistrate, Moradabad vide letter no 774-4/आसु०/2022 dated 23.06.2022 has directed to Moradabad Development Authority, Moradabad and Flood Division, U.P. Irrigation Department, Moradabad to take appropriate action against illegal construction in accordance with law. **Copy is annexed as Annexure- 17**.

Regional Officer
U.P. Pollution Control Board,
Moradabad

District Magistrate
Moradabad

Scanned with OKEN Scanner

शोध

Annexure 01

कार्यालय जिलाधिकारी

मुरादाबाद।

पत्रांकः 100/N-13/303/2020

दिनांकः 25/1/21

1. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), मुरादाबाद (अध्यक्ष)।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद द्वारा नामित प्रतिनिधि।
3. सचिव, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।
4. उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, मुरादाबाद।
5. अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, सिंचाई विभाग, मुरादाबाद।
6. अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड मुरादाबाद।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. संख्या 303/2020, शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनको एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. संख्या 303/2020, शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनको एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। माननीय अधिकरण द्वारा उल्लिखित इकाइयों द्वारा गागन एवं रामगंगा नदियों के बाढ़ क्षेत्रों (फ्लड जोन) में अवैध निर्माण/अतिक्रमणों की शिकायत किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। उक्त के अनुपालन में कार्यवाही किये जाने हेतु अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) की अध्यक्षता में समिति गठित की जाती है।

अतः समिति को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या प्रेषित करें जिससे कि मा0 अधिकरण के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

संलग्नक: यथोपरि।

(राकेश कुमार सिंह) 19/1/21
जिलाधिकारी
मुरादाबाद

DM

Scanned with OKEN Scanner

Annexure 02

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1–ए/आई.एन.एस.–1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद

पत्र संख्या 582/ N-13/ 303/20 दिनांक 4/6/2021

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
मुरादाबाद।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. संख्या 303/2020 शैलेश सिंह बनाम डिजाइनको, मुरादाबाद व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद के पत्रांक 100/एन–13/303/2020 दिनांक 25.01.2021 एवं इस कार्यालय के पत्र संख्या 357/एन–13/303/2020/जनरल दिनांक 12.03.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में समिति द्वारा संयुक्त स्थलीय निरीक्षण दिनांक 17.03.2021 को किया गया तथा विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर आख्या संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

भवदीय

संलग्नक : यथोपरि।

(विकास मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

मानीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. नं. 303/2020 शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनको, मुरादाबाद व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 के अनुपालन के सम्बन्ध में आख्या :–

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. नं. 303/2020 शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनको, मुरादाबाद व अन्य में दिनांक 07.01.2021 को निम्न आदेश पारित किये गये थे :–

---------We find the application to be deficient in relevant particulars. At the same time, there are serious allegations. In these circumastances, instead of straightaway entering upon adjudication of the grievance, we consider it appropriate to direct a joint Committee of District Magistrate Moradabad, Irrigation &Water Resources Department, Moradabad and the State PCB to look into matter, and take further approprite action, in accordance with law. The State PCB will be the nodal agency for compliance and coordination.-------------.

उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद के पत्रांक 100/एन–13/303/2020 दिनांक 25.01.2021 के द्वारा अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) की अध्यक्षता में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की समिति गठित की गयी। पारित आदेशों के अनुपालन में समिति द्वारा संयुक्त स्थलीय निरीक्षण दिनांक 17.03.2021 को किया गया। जाँच में समिति के निम्न सदस्य उपस्थित थे–

1. श्री परमानन्द सिंह, अपर नगर मजिस्ट्रेट–द्वितीय, कलेक्ट्रेट मुरादाबाद।
2. श्री कमलेश्वर प्रसाद, सहायक अभियन्ता, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।
3. श्री रईस अहमद, सहायक अभियन्ता, नगर निगम, मुरादाबाद।
4. श्री धनंजय सिंह, सहायक आयुक्त, उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, मुरादाबाद।
5. श्री एस. एस. सिंह/श्री विनोद कुमार, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद।
6. श्री सुभाष चन्द्रा, सहायक अभियन्ता, कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, सिंचाई विभाग, मुरादाबाद।
7. श्री सौरभ शाह, सहायक अभियन्ता, कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, भू–गर्भ जल विभाग, खण्ड– मुरादाबाद।

विभाग से सम्बन्धित प्रकरण शिकायतकर्ता द्वारा गागन नदी के बैंक पर स्थित उद्योगों द्वारा अशोधित एवं केमिकलयुक्त प्रदूषित उत्प्रवाह को छोडे जाने विषयक की गयी शिकायत के सम्बन्ध में उद्योगवार निरीक्षण आख्या निम्नवत है–

1. **मैसर्स डिजाइनको यूनिट–3, लोहिया इन्डस्ट्रीयल इस्टेट, लाकडी फाजलपुर, मुरादाबाद :**

निरीक्षण के समय श्री विभोर कुमार गुप्ता, पार्टनर, उद्योग प्रतिनिधि के रुप में उपस्थित थे। उद्योग द्वारा मुख्य कच्चे माल के रुप में ब्रास, ग्लास, मेटल, वुडेन एवं सेमी फिनिश्ड आर्ट वेयर्स का प्रयोग करके फिनिश्ड मेटल आर्ट वेयर्स लगभग 20,000 नग/दिन अथवा एक्सपोर्ट ऑर्डर के अनुसार उत्पादन किया जाता है। उद्योग में बफिंग, पॉलिशिंग, पाउडर कोटिंग, इलैक्ट्रोप्लेटिंग प्रकियाएँ की जाती है। उद्योग में इलैक्ट्रोप्लेटिंग प्रकिया से लगभग 50 कि0ली0/दिन औद्योगिक उत्प्रवाह एवं 05 कि0ली0/दिन घरेलू उत्प्रवाह जनित होता है।

उद्योग में औद्योगिक प्रकियाओं से जनित औद्यौगिक उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित है, जिसकी मुख्य इकाइयाँ कलेक्शन टैंक, केमिकल डोजिंग टैंक, रियेक्शन टैंक, क्लेरीफायर/सेटेलिंग टैंक, स्लज ड्राइंग बैड, ट्रीटेड वाटर होल्डिंग टैंक आदि हैं जोकि निरीक्षण के समय संचालित पायी गयी। निरीक्षण के समय

AEE CORS./Desk-2

Scanned with OKEN Scanner

शुद्धीकृत उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला में विश्लेषित कराया गया। उत्प्रवाह के की विश्लेषण आख्या सलंग्न है, जिसके अनुसार शुद्धीकृत उत्प्रवाह के प्रचालक निर्धारित मानकों के अनुरुप पाये गये, उद्योग द्वारा शुद्धीकृत उत्प्रवाह को आवश्यकतानुसार पुनः चक्रित किया जाता है एवं आवश्यक न होने पर ड्रेन में निस्तारित किया जाता है। जोकि अन्ततः गागन में मिलता है। निरीक्षण के समय उद्योग परिसर से उत्प्रवाह निस्तारित नही हो रहा था। उद्योग को बोर्ड मुख्यालय स्तर से जल अधिनियम 1974 की धारा 25/26 के अन्तर्गत जल सहमति सशर्त निर्गत की गयी है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2024 तक है। उद्योग को उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयत्र के संचालन से सम्बन्धित लॉग बुक जिसमें विद्युत खपत, रसायनों की खपत, उत्प्रवाह की मात्रा आदि का विवरण हो, नियमित रुप से मेन्टेन किये जाने एवं रिकार्ड प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

2. मैसर्स डिजाइनको, लाकडी फाजलपुर, दिल्ली रोड, मुरादाबाद–

निरीक्षण के समय श्री मोहित मेहरोत्रा, डिप्टी जनरल मैनेजर, उद्योग प्रतिनिधि के रुप में उपस्थित थे। उद्योग द्वारा मुख्य कच्चे माल के रुप में सेमी फिनिश्ड मेटल, वुडेन, स्टोन ग्लास, हैण्डीक्रॉफ्ट आदि का प्रयोग करके फिनिश्ड मेटल वुडेन, वुडेन स्टोन ग्लास, हैण्डीक्रॉफ्ट्स लगभग 10,000 नग/दिन का उत्पादन किया जाता है। उद्योग में बफिंग, पॉलिशिंग, पाउडर कोटिंग, इलैक्ट्रॉप्लेटिंग आदि प्रकियाएँ की जाती है। उद्योग में इलेक्ट्रप्लेटिंग प्रकिया से लगभग 80 कि0ली0/दिन औद्योगिक उत्प्रवाह एवं 05 कि0ली0/दिन घरेलू उत्प्रवाह जनित होता है। उद्योग में औद्योगिक प्रकियाओं में जनित औद्योगिक उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना की गयी है, जिसकी मुख्य इकाइयाँ स्क्रीन चैम्बर, आयल एण्ड ग्रीस ट्रैप, कलेक्शन टैंक–1, कलेक्शन टैंक–2, फ्लैश मिक्सर तथा फ्लकुलेशन टैंक, प्राइमरी सेटेलिंग टैंक, एयरेशन टैंक, सेकेन्ड्री सेटलिंग टैंक, फिल्टर फीड टैंक, स्लज ड्राइग बेड हैं, जोकि निरीक्षण के समय संचालित पायी गयी। निरीक्षण के समय शुद्धीकृत उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला में विश्लेषित कराया गया, जिसके अनुसार शुद्धीकृत उत्प्रवाह के प्रचालक निर्धारित मानकों के अनुरुप पाये गये। उद्योग द्वारा शुद्धीकृत उत्प्रवाह को आवश्यकतानुसार पुनः प्रयोग किया जाता है एवं आवश्यक न होने पर ड्रेन में निस्तारित किया जाता है, जोकि गागन नदी में मिलता है। निरीक्षण के समय उद्योग परिसर से बाहर उत्प्रवाह ड्रेन में निस्तारित होता नही पाया गया। उद्योग को बोर्ड मुख्यालय स्तर से जल अधिनियम 1974 की धारा 25/26 के अन्तर्गत सशर्त सहमति स्वीकृत की गयी है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2023 तक है। उद्योग को उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयत्र के संचालन से सम्बधित लॉग बुक जिसमें विद्युत खपत, रसायनों की खपत, उत्प्रवाह की मात्रा आदि का उल्लेख हो, नियमित रुप से मेन्टेन किये जाने एवं रिकार्ड प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

3. मैसर्स डिजाइको यूनिट–4 लोहिया इन्डस्ट्रीयल इस्टेट, लाकडी फाजलपुर, मुरादाबाद –

निरीक्षण के समय श्री मोहित मेहरोत्रा, जनरल मैनेजर, उद्योग प्रतिनिधि के रुप में उपस्थित थे। उद्योग द्वारा मुख्य कच्चे माल के रुप में सेमी फिनिश्ड मेटल एवं इण्डियन हैण्डी काफ्टस् (वुड, मेटल, ग्लास, स्टोन) आदि का प्रयोग करके फिनिश्ड मेटल एवं इण्डियन हैण्डीक्राफ्टस् –35 टन/दिन अथवा एक्सपोर्टस आर्डर के अनुसार उत्पादन किया जाता है। उद्योग में बफिंग, पोलिशिंग, पावडर कोटिंग, इलैक्ट्राप्लेटिंग प्रकिया से लगभग 500 कि0ली0/दिन औद्योगिक उत्प्रवाह एवं 60 कि0ली0/दिन घरेलू उत्प्रवाह जनित होता है। उद्योग में औद्योगिक प्रकियाओ से जनित उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु 300 कि0 ली0/दिन क्षमता का 01 एवं 100 कि0ली0/दिन क्षमता के 02 उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयत्र तथा घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु 60 कि0ली0/दिन का एस.टी.पी. स्थापित है। ई.टी.पी.के अर्न्तगत कलेक्शन टैंक, केमिकल डोजिंग टैंक, रियेक्शन टैंक, प्राइमरी क्लेयरीफायर, सेकेन्डी क्लेरीफायर, स्लज ड्राइंग बेड, डुअल मीडिया फिल्टर, एक्टीवेटेड कार्बन फिल्टर है तथा एस.टी.पी. के अन्तर्गत बार स्क्रीन, ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रैप्स, इक्वेलाइजेशन

टैंक, फैब–1, फैब–2, ट्यूब सेटलर आदि हैं। निरीक्षण के समय ई.टी.पी./एस.टी.पी. संचालित पाये गये तथा ई.टी.पी. /एस.टी.पी के आउटलेट से उत्प्रवाह के नमूने एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला में विश्लेषित कराये गये। उत्प्रवाह के नमूनो की विश्लेषण आख्या सलग्न है, जिनके अनुसार शुद्धीकृत उत्प्रवाह के प्रचालक निर्धारित मानकों के अनुरूप पाये गये। उद्योग द्वारा ई.टी.पी. से शुद्धीकृत उत्प्रवाह का आवश्यकतानुसार पुनः प्रयोग किया जाता है एवं आवश्यक न होने पर ड्रेन में निस्तारित किया जाता है, जोकि गागन पदी में मिलता है। उद्योग के उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयत्र के संचालन से सम्बन्धित लॉग बुक जिसमें विद्युत खपत, रसायनों की खपत एवं उत्प्रवाह मात्रा आदि का विवरण हो, नियमित रुप से मेन्टेन किये जाने एवं रिकार्ड प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

4. मैसर्स दीवान एण्ड सन्स ,लाकडी फाजलपुर, मिनी बाईपास, दिल्ली रोड, मुरादाबाद–

निरीक्षण के समय श्री जोगिन्दर गॉंधी, पार्टनर, उद्योग प्रतिनिधि के रुप में उपस्थित थे। उद्योग द्वारा सेमी फिनिश्ड मेटल एवं इण्डियन हैण्डिकाफट आदि का प्रयोग करके फिनिश्ड मेटल एवं इडियन हैण्डिकाफ्टस् लगभग 10,000 नग/दिन अथवा एक्सपोर्ट आर्डर के अनुसार उत्पादन किया जाता है। उद्योग में बफिंग, पोलिशिंग, पाउडर कोटिंग, इक्ट्रैप्लेटिंग प्रकियाएँ की जाती है। उद्योग में इलैक्ट्रोप्लेटिंग प्रकिया से लगभग 20 कि0ली0/दिन औद्योगिक उत्प्रवाह एवं लगभग 05 कि0ली0/दिन घरेलू उत्प्रवाह जनित होता है। उद्योग में औद्योगिक प्रक्रियाओं से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयत्र स्थापित है, जिसकी मुख्य इकाइयाँ इक्वेलाइजेशन टैंक, रिएक्शन टैंक, फ्लाकुलेशन टैंक, केमिकल डोजिंग टैंक, सेटलिंग टैंक, स्लज ड्राइंग बेड्स आदि है। निरीक्षण के समय उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र संचालित पाया गया तथा ई.टी.पी. के आउटलेट से उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला में विश्लेषित कराया गया। उत्प्रवाह के नमूने की विश्लेषण आख्या संलग्न है, जिसके अनुसार शुद्धिकृत उत्प्रवाह के समस्त प्रचालक निर्धारित मानको के अनुरूप पाये गये। उद्योग द्वारा शुद्धिकृत उत्प्रवाह का आवश्यकतानुसार पुनः प्रयोग किया जाता है तथा आवश्यक न होने पर ड्रेन में निस्तारित किया जाता है, जोकि गागन नदी में मिलता है। उद्योग को उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयत्र के संचालन से सम्बन्धित लॉग बुक जिसमें विद्युत खपत, रसायनों की खपत एवं उत्प्रवाह मात्रा आदि का विवरण हो, नियमित रुप से मेन्टेन किये जाने एवं रिकार्ड प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

5. मैसर्स लोहिया ब्रास प्रा0 लि0, लाकडी फाजलपुर, दिल्ली रोड, मुरादाबाद–

निरीक्षण के समय श्री विभोर कुमार गुप्ता, पार्टनर, उद्योग प्रतिनिधि के रुप में उपस्थित थे। उद्योग द्वारा मुख्य कच्चे माल के रुप में ब्रॉस, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक स्कैप आदि का प्रयोग करके मेल्टिग प्रकिया द्वारा इनगटस् लगभग 10 टन/दिन का उत्पादन किया जाता है। उद्योग में 04 पिट फर्नेस तथा 2700 किग्रा/बैच क्षमता की एक इन्डकशन फर्नेस स्थापित है। इण्डक्शन फर्नेस पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रुप में हुड, डक्ट, आई.डी.फैन, साइक्लोन, वेट स्क्रबर एवं भूतल से लगभग 30 मीटर ऊँची चिमनी स्थापित है। उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजनों तथा कूलिंग/स्क्रबर में किया जाता है। कूलिंग एवं स्क्रबर में प्रयुक्त जल को पूर्णतया रिसाइकल कर लिया जाता हैं। उद्योग परिसर से किसी प्रकार का औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित होता नही पाया गया। उद्योग को क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से जल अधिनियम 1974 की धारा 25/26 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के अर्न्तगत सशर्त सहमति स्वीकृत की गयी है, जिसकी वैधता दिनांक 31.07.2023 तक है।

6. मैसर्स होरिजन इम्पैक्ट (यूनिट–2),लाकडी फाजलपुर मिनी बाईपास, दिल्ली रोड, मुरादाबाद–

निरीक्षण के समय श्री सुभाष कुमार अग्रवाल, पार्टनर, उद्योग प्रतिनिधि के रुप में उपस्थित थे। उद्योग द्वारा सेमी फिनिश्ड मेटल एवं इण्डियन हैण्डिक्राफ्ट आदि का प्रयोग करके फिनिश्ड मेटल एवं इंडियन हैण्डिक्राफ्टस् लगभग 925 नग/दिन अथवा एक्सपोर्ट आदि के अनुसार उत्पादन किया जाता है। उद्योग में बफिंग, पॉलिशिंग एवं इलेक्ट्रोप्लेटिंग आदि प्रक्रिया की जाती है। उद्योग में इलेक्ट्राप्लेटिंग प्रक्रिया से लगभग 05 कि0ली0/दिन औद्योगिक उत्प्रवाह एवं लगभग 1.6 कि0ली0/दिन घरेलू उत्पंवाह जनित होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया से जनित औद्योगिक उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयत्र स्थापित है, जिसकी मुख्य इकाइयाँ कलेक्शन टैंक, कैमिकल डोजिंग टैंक, स्टेटिक मिक्सर, लामेला कलेरीफायर, ड्यूअल मीडिया फिल्टर एवं स्लज ड्राइग बेड्स है, जोकि निरीक्षण के समय संचालित पायी गयी। निरीक्षण के समय ई.टी.पी. आउटलेट से उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला में विश्लेषित कराया गया, जिसके अनुसार शुद्धीकृत उत्प्रवाह के समस्त प्रचालक निर्धारित मानकों के अनुरुप पाये गये। उद्योग द्वारा शुद्धिकृत उत्प्रवाह का निस्तारण ड्रेन में किया जाता है, जिसके माध्यम से गागन नदी में मिलता है। उद्योग को बोर्ड मुख्यालय स्तर से जल अधिनियम 1974 की धारा 25/26 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के अर्न्तगत सशर्त सहमति स्वीकृत की गयी है, जिसकी वैधता दिनांक 31.07.2023 तक है। उद्योग को उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयत्र के संचालन में सम्बन्धित लॉग बुक जिसमें विद्युत खपत, रसायनों की खपत उत्प्रवाह की मात्रा आदि का उल्लेख हो, नियमित रुप से मेन्टेन किये जाने एवं रिकार्ड प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

7. मैसर्स सॉई क्रियेशन्स, लाकडी फाजलपुर, दिल्ली रोड, मुरादाबाद–

निरीक्षण के समय श्री कुणाल दवे, पार्टनर, उद्योग प्रतिनिधि के रुप में उपस्थित थे। उद्योग द्वारा मुख्य कच्चे माल के रुप में सेमी फिनिश्ड मेटल एवं इण्डियन आर्ट वेयर्स आदि का प्रयोग करके फिनिश्ड मेटल एवं इडियन आर्ट वेयर्स –600 नग/दिन उत्पादन किया जाता है। उद्योग में बफिंग, पोलिशिग एवं पैकिंग की जाती है। उद्योग में जल प्रदूषणकारी प्रक्रियाएँ जैसे इलैक्ट्रोप्लेटिंग/पिकलिंग/फास्फेटिंग नही की जाती है। उद्योग से मात्र घरेलू उत्प्रवाह लगभग 0.8 कि0ली0/दिन जनित होता है, जिसका निस्तारण सेप्टिक टैंक/सोक पिट के माध्यम से किया जाता है। उद्योग द्वारा जल एवं वायु अधिनियमों के अर्न्तगत सहमति प्राप्त किये जाने हेतु दिनांक 26.03.2021 को आनलाइन आवेदन किया गया था, जोकि अपूर्ण सूचनाओं के कारण दिनांक 22.04.2021 को अस्वीकृत कर दिया गया है। उपरोक्त को अधिनियमों के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु उपरोक्त को निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त जॉच आख्या से स्पष्ट है कि कमांक 1,2,3,4,6 पर उल्लिखित औद्योगिक इकाइयो द्वारा औद्योगिक उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयत्र की स्थापना की गयी है। जिनका संचालन व रखरखाव सतोषजनक पाया गया है। उक्त इकाइयो द्वारा अशोधित/केमिकलयुक्त प्रदूषित उत्पाह प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुप से गागन नदी में निस्तारित होता नही पाया गया। कमांक 5 व 7 पर अंकित इकाइयाँ द्वारा औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित नही होता है। आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(विनोद कुमार)
सहा0पर्या0अभि0

(एस.एस. सिंह)
सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

AEE CORS./Desk-2

Scanned with OKEN Scanner

REGIONAL LABORATORY OFFICE MORADABAD
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1-A/I.N.S.-1, Avas Vikas Colony, Buddha Vihar, Delhi Road,Moradabad

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 11801069/Moradabad/2021 **Date:09/04/2021**

1- Name and Address of Industry/S.T.P: DESIGNCO UNIT 4 (300 KLD) ,Moradabad
2- Description about sampling point: FINAL OUTLET OF ETP 300 KLD
3- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
4- Sample Collected By: S.S Singh AEE ,Vinod Kumar AEE
5- Colour and Odour: COLOURLESS ODOURLESS
6- Quantity and Packing: 2 liter (PLASTIC JERICAN)
7- Date of Sample Collection: 17/03/2021
8- Analyis Indented by: RO Moradabad
9- Date of sample receipt in Lab: 18/03/2021
10- method of analysis …. APHA, AWWA, WEF,23rd Edition,2017, IS 3025(Part-44) : For BOD

Parameter	Unit	Results	Detection Range
pH,4500 H B Electronic method	-	7.5	02-12
Suspended Solids , 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 0C	mg/l	24	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 0C	mg/l	1620	10- 50000 mg/l
Copper (Cu), 3111- B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	0.18	0.01-1000mg/l
Nickel (Ni), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	2.13	0.02-1000 mg/l
Zinc (Zn), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	3.65	0.01-1000mg/l
BOD, 3 day 27 0C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio	mg/l	3.8	1.0 -50000 mg/l
COD, 5220 B Open Reflux Method	mg/l	144	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1)General Standards for discharge of envieronment Pollutants are as pert-A Effluent(Schedule-VI)
The eniveronment (Protection) Rules,1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf
Besides these standards,refer EPA standards for specific purpose

Analysed by
[Kavita Saxena (JRF)]

Authorized by
Anil Vishwkarma SA
ANIL KUMAR VISHWAKARMA (Digitally signed)

VIKAS MISHRA (Digitally signed)
Regional Officer

Note: 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Scanned with OKEN Scanner

REGIONAL LABORATORY OFFICE MORADABAD
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1-A/I.N.S.-1, Avas Vikas Colony, Buddha Vihar, Delhi Road,Moradabad

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 11801057/Moradabad/2021 **Date:09/04/2021**

1- **Name and Address of Industry/S.T.P: DESIGNCO UNIT 4 (100 KLD) ,Moradabad**
2- **Description about sampling point: FINAL OUTLET OF ETP 100 KLD**
3- **Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab**
4- **Sample Collected By: S.S Singh AEE ,Vinod Kumar AEE**
5- **Colour and Odour: COLOURLESS ODOURLESS**
6- **Quantity and Packing: 2 liter (PLASTIC JERICAN)**
7- **Date of Sample Collection: 17/03/2021**
8- **Analyis Indented by: RO Moradabad**
9- **Date of sample receipt in Lab: 18/03/2021**
10- **method of analysis .... APHA, AWWA, WEF,23rd Edition,2017, IS 3025(Part-44) : For BOD**

Parameter	Unit	Results	Detection Range
pH,4500 H B Electronic method	-	7.1	02-12
Suspended Solids , 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 0C	mg/l	29	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 0C	mg/l	860	10- 50000 mg/l
Copper (Cu), 3111- B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	0.32	0.01-1000mg/l
Nickel (Ni), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	1.74	0.02-1000 mg/l
Zinc (Zn), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	2.94	0.01-1000mg/l
BOD, 3 day 27 0C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio	mg/l	4.0	1.0 -50000 mg/l
COD, 5220 B Open Reflux Method	mg/l	132.0	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1)General Standards for discharge of envieronment Pollutants are as pert-A Effluent(Schedule-VI)
The eniveronment (Protection) Rules,1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf
Besides these standards,refer EPA standards for specific purpose

Analysed by
[Kavita Saxena (JRF)]

Authorized by
Anil Vishwkarma SA
ANIL KUMAR VISHWAKARMA Digitally signed by ANIL KUMAR VISHWAKARMA Date: 2021.04.09

VIKAS MISHRA Digitally signed by VIKAS MISHRA Date: 2021.05.24
Regional Officer

Note: 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Scanned with OKEN Scanner

REGIONAL LABORATORY OFFICE MORADABAD
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1-A/I.N.S.-1, Avas Vikas Colony, Buddha Vihar, Delhi Road,Moradabad

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 11800974/Moradabad/2021 **Date:09/04/2021**

1- Name and Address of Industry/S.T.P: DESIGNCO UNIT 4 (30 kld) ,Moradabad
2- Description about sampling point: FINAL OUTLET OF STP 30 KLD
3- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
4- Sample Collected By: S.S Singh AEE ,Vinod Kumar AEE
5- Colour and Odour: COLOURLESS ODOURLESS
6- Quantity and Packing: 2 liter (PLASTIC JERICAN)
7- Date of Sample Collection: 17/03/2021
8- Analyis Indented by: RO Moradabad
9- Date of sample receipt in Lab: 18/03/2021
10- method of analysis .... APHA, AWWA, WEF,23rd Edition,2017, IS 3025(Part-44) : For BOD

Parameter	Unit	Results	Detection Range
pH,4500 H B Electronic method	-	7.9	02-12
Suspended Solids , 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 0C	mg/l	25	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 0C	mg/l	820	10- 50000 mg/l
BOD, 3 day 27 0C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio	mg/l	22	1.0 -50000 mg/l
COD, 5220 B Open Reflux Method	mg/l	88	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1)General Standards for discharge of envieronment Pollutants are as pert-A Effluent(Schedule-VI)

The eniveronment (Protection) Rules,1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf

Besides these standards,refer EPA standards for specific purpose

Analysed by

[Kavita Saxena (JRF)]

Authorized by

Anil Vishwkarma SA

ANIL KUMAR VISHWAKARMA Digitally signed by ANIL KUMAR VISHWAKARMA Date: 2021.04.09

VIKAS MISHRA Digitally signed by VIKAS MISHRA

Regional Officer

Note: 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Scanned with OKEN Scanner

REGIONAL LABORATORY OFFICE MORADABAD
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1-A/I.N.S.-1, Avas Vikas Colony, Buddha Vihar, Delhi Road,Moradabad

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 11800914/Moradabad/2021 **Date:09/04/2021**

1- Name and Address of Industry/S.T.P: DESIGNCO UNIT-3 ,Moradabad
2- Description about sampling point: FINAL OUTLET OF ETP
3- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
4- Sample Collected By: S.S Singh AEE ,Vinod Kumar AEE
5- Colour and Odour: COLOURLESS ODOURLESS
6- Quantity and Packing: 2 liter (PLASTIC JERICAN)
7- Date of Sample Collection: 17/03/2021
8- Analyis Indented by: RO Moradabad
9- Date of sample receipt in Lab: 18/03/2021
10- method of analysis .... APHA, AWWA, WEF,23rd Edition,2017, IS 3025(Part-44) : For BOD

Parameter	Unit	Results	Detection Range
pH,4500 H B Electronic method	-	7.9	02-12
Suspended Solids , 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 0C	mg/l	21	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 0C	mg/l	480.0	10- 50000 mg/l
Copper (Cu), 3111- B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	2.2	0.01-1000mg/l
Nickel (Ni), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	0.16	0.02-1000 mg/l
Zinc (Zn), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	1.57	0.01-1000mg/l
BOD, 3 day 27 0C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio	mg/l	3.8	1.0 -50000 mg/l
COD, 5220 B Open Reflux Method	mg/l	128	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1)General Standards for discharge of envieronment Pollutants are as pert-A Effluent(Schedule-VI)
The eniveronment (Protection) Rules,1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf
Besides these standards,refer EPA standards for specific purpose

Analysed by
[Kavita Saxena (JRF)]

Authorized by
Anil Vishwkarma SA
ANIL KUMAR VISHWAKARMA Digitally signed by ANIL KUMAR VISHWAKARMA Date: 2021.04.09 12:31:18 +05'30'

VIKAS MISHRA Digitally signed by VIKAS MISHRA Date: 2021.05.24 15:34:31 +05'30'
Regional Officer

Note: 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Scanned with OKEN Scanner

REGIONAL LABORATORY OFFICE MORADABAD
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1-A/I.N.S.-1, Avas Vikas Colony, Buddha Vihar, Delhi Road,Moradabad

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 11800889/Moradabad/2021 Date:09/04/2021

1- Name and Address of Industry/S.T.P: DESIGNCO ,Moradabad
2- Description about sampling point: FINAL OUTLET OF ETP
3- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
4- Sample Collected By: S.S Singh AEE ,Vinod Kumar AEE
5- Colour and Odour: COLOURLESS ODOURLESS
6- Quantity and Packing: 2 liter (PLASTIC JERICAN)
7- Date of Sample Collection: 17/03/2021
8- Analyis Indented by: RO Moradabad
9- Date of sample receipt in Lab: 18/03/2021
10- method of analysis .... APHA, AWWA, WEF,23rd Edition,2017, IS 3025(Part-44) : For BOD

Parameter	Unit	Results	Detection Range
pH,4500 H B Electronic method	-	7.8	02-12
Suspended Solids , 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 0C	mg/l	18	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 0C	mg/l	540	10- 50000 mg/l
Copper (Cu), 3111- B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	0.06	0.01-1000mg/l
Nickel (Ni), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	0.44	0.02-1000 mg/l
Zinc (Zn), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	1.02	0.01-1000mg/l
BOD, 3 day 27 0C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio	mg/l	1.6	1.0 -50000 mg/l
COD, 5220 B Open Reflux Method	mg/l	112	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1)General Standards for discharge of envieronment Pollutants are as pert-A Effluent(Schedule-VI)
The eniveronment (Protection) Rules,1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf
Besides these standards,refer EPA standards for specific purpose

Analysed by
[Kavita Saxena (JRF)]

Authorized by
Anil Vishwakarma SA
ANIL KUMAR VISHWAKARMA

VIKAS MISHRA
Digitally signed by VIKAS MISHRA
Regional Officer

Note: 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Scanned with OKEN Scanner

REGIONAL LABORATORY OFFICE MORADABAD
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1-A/L.N.S.-1, Avas Vikas Colony, Buddha Vihar, Delhi Road,Moradabad

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 11800481/Moradabad/2021 Date:09/04/2021

1- Name and Address of Industry/S.T.P: DEWAN AND SONS ,Moradabad
2- Description about sampling point: FINAL OUTLET OF ETP
3- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
4- Sample Collected By: S.S Singh AEE ,Vinod Kumar AEE
5- Colour and Odour: COLOURLESS ODOURLESS
6- Quantity and Packing: 2 liter (PLASTIC JERICAN)
7- Date of Sample Collection: 17/03/2021
8- Analyis Indented by: RO Moradabad
9- Date of sample receipt in Lab: 18/03/2021
10- method of analysis .... APHA, AWWA, WEF,23rd Edition,2017, IS 3025(Part-44) : For BOD

Parameter	Unit	Results	Detection Range
pH,4500 H B Electronic method	-	7.32	02-12
Suspended Solids , 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 0C	mg/l	32	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 0C	mg/l	1360	10- 50000 mg/l
Copper (Cu), 3111- B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	1.17	0.01-1000mg/l
Nickel (Ni), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	2.68	0.02-1000 mg/l
Zinc (Zn), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	2.13	0.01-1000mg/l
BOD, 3 day 27 0C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio	mg/l	24.0	1.0 -50000 mg/l
COD, 5220 B Open Reflux Method	mg/l	204.0	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1)General Standards for discharge of envieronment Pollutants are as pert-A Effluent(Schedule-VI)
The eniveronment (Protection) Rules,1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf
Besides these standards,refer EPA standards for specific purpose

Analysed by
[Kavita Saxena (JRF)]

Authorized by
Anil Vishwkarma SA
ANIL KUMAR VISHWAKARMA (Digitally signed)

VIKAS MISHRA (Digitally signed)
Regional Officer

Note: 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Scanned with OKEN Scanner

REGIONAL LABORATORY OFFICE MORADABAD
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
1-A/I.N.S.-1, Avas Vikas Colony, Buddha Vihar, Delhi Road,Moradabad

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 11800542/Moradabad/2021 Date:09/04/2021

1- Name and Address of Industry/S.T.P: HORIZON IMPEX ,Moradabad
2- Description about sampling point: FINAL OUTLET OF ETP
3- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
4- Sample Collected By: S.S Singh AEE ,Vinod Kumar AEE
5- Colour and Odour: COLOURLESS ODOURLESS
6- Quantity and Packing: 2 liter (PLASTIC JERICAN)
7- Date of Sample Collection: 17/03/2021
8- Analyis Indented by: RO Moradabad
9- Date of sample receipt in Lab: 18/03/2021
10- method of analysis .... APHA, AWWA, WEF,23rd Edition,2017, IS 3025(Part-44) : For BOD

Parameter	Unit	Results	Detection Range
pH,4500 H B Electronic method	-	7.6	02-12
Suspended Solids , 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 0C	mg/l	28	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 0C	mg/l	1560	10- 50000 mg/l
Copper (Cu), 3111- B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	0.25	0.01-1000mg/l
Nickel (Ni), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	2.29	0.02-1000 mg/l
Zinc (Zn), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	1.14	0.01-1000mg/l
BOD, 3 day 27 0C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio	mg/l	2.6	1.0 -50000 mg/l
COD, 5220 B Open Reflux Method	mg/l	132.0	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1)General Standards for discharge of envieronment Pollutants are as pert-A Effluent(Schedule-VI)
The eniveronment (Protection) Rules,1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf
Besides these standards,refer EPA standards for specific purpose

Analysed by
[Kavita Saxena (JRF)]

Authorized by
Anil Vishwkarma SA
ANIL KUMAR VISHWAKARMA Digitally signed by ANIL KUMAR VISHWAKARMA Date: 2021.04.09

VIKAS MISHRA Digitally signed by VIKAS MISHRA
Regional Officer

Note: 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Scanned with OKEN Scanner

Annexure 03

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता
बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद

प्रेषित,

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
मुरादाबाद

पत्रांक– C-५६ /बाखमु/शि / . दिनांक २8/०3/ 2021

विषय– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–303/2020, शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनको एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद के कार्यालय के पत्रांक–100/एन0–13/303/2020, दिनांक 25.01.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली के ओ0ए0 संख्या–303/2020 शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनको एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 के अनुपालन हेतु अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) मुरादाबाद(अध्यक्ष), नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद, सचिव मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद, उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग केन्द्र मुरादाबाद, अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, सिंचाई विभाग, मुरादाबाद, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड मुरादाबाद की समिति प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेख एवं स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु गठित की गई। प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखों एवं स्थलीय निरीक्षण दिनांक 17.03.2021 के आधार पर आख्या निम्नवत है–

ईकाई मैसर्स डिजाइनको एवं अन्य फर्म ग्राम लाकडी फाजलपुर , तहसील व जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत अवस्थित है, जो वर्तमान में नगर निगम की सीमान्तर्गत है। ग्राम लाकडी फाजलपुर तहसील व जिला मुरादाबाद की राजस्व खतौनी वर्ष फसली 1428–1431 की **खाता संख्या–424** की गाटा संख्या– 1712/0.0400, 1713/0.0120, 1799/0.1900, 1815अ/ 0.3840, 1441/1/0.0730, 1395/3/0.2140, 1725ब/0.0240, 1726ब/ 0.0140, 1726/1/0.0120, 1727/0.0570, 1772/1/0.1420, 1725अ/0.024, 1726मि0/0.0140, 1776मि0/0.2510 **कुल 14 किता रकबा,** डिजाइनको, ग्राम लाकडी फाजलपुर मुरादाबाद द्वारा पार्टनर श्री विनय कुमार गुप्ता पुत्र श्री नारायण कुमार गुप्ता, निवासी 131–लाजपतनगर, मुरादाबाद के नाम संक्रमण भूमिधर दर्ज है। **खाता संख्या–427 की गाटा संख्या**–1491/0.2550, 1444/2/0.1700, 1711/1/0.3160, 1790/1/0.1580, 1705/0.3400, 1431/2/0.0400, 1395/1/0.0810, 1428/0.1450, 1707/0.0280, 1708/0.0490, 1709/0.0570, 1710/0.2060 **कुल 12 किता रकबा 1.8450 हैक्ट0,** डिजाइनको, ग्राम लाकडी फाजलपुर, मुरादाबाद द्वारा पार्टनर श्री विपिन कुमार गुप्ता पुत्र श्री नारायण कुमार गुप्ता, निवासी 131–लाजपतनगर, मुरादाबाद एवं **खाता संख्या–1169** की गाटा संख्या– 1395/1/0.1410, श्री विपिन कुमार गुप्ता पुत्र श्री नारायण कुमार गुप्ता, निवासी 131–लाजपतनगर, मुरादाबाद के नाम संक्रमण भूमिधर दर्ज है। **खाता संख्या–428 की गाटा संख्या**–1389/1/0.1780, 1350/0.0400, 1356/1/0.0400, 1385/1/0.0810, 1386/1/0.0450, 1393/2/0.0320, 1394/2/0.2380, 1396/2/0.0400, 1395/1/0.1010, 1396/1/0.0970, 1406/2/0.01610, 1307/0.0160, 1392/0.0810 कुल 13 किता रकबा 1.0500 हैक्ट0 श्रेणी 1–क/भूमि जो संक्रमणीय भूमिधर के अधिकार में है, के अन्तर्गत डिजाइनको लाकडी फाजलपुर मुरादाबाद द्वारा पार्टनर श्री विभोर कुमार गुप्ता / श्री नारायण कुमार गुप्ता, निवासी 31–लाजपतनगर, मुरादाबाद के नाम दर्ज है।

उपरोक्त गाटा संख्याओ में मैसर्स डिजाइनको, फैक्ट्री अवस्थित है तथा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत कृषि भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किया गया है। ग्राम लाकडी फाजलपुर, तहसील व जिला मुरादाबाद की राजस्व खतौनी फसली वर्ष 1426–1431 की खाता संख्या 1720 की गाटा संख्या–1395/2/0.3340 हैक्ट0 श्रेणी 6–1, जलमग्न भूमि नदी में अंकित है। गाटा संख्या–1395 में मैसर्स डिजाइनको एवं किसानो के स्वामित्व वाली भूमि गांगन नदी के उत्तर दिशा में मैसर्स डिजाईनको की वाउन्ड्री ओर नदी के मध्य में खाली पडी है। मैसर्स डिजाईनको फैक्ट्री का निर्माण मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 25.08.1988 को मानचित्र स्वीकृत कराकर भूमिधरी, श्रेणी–01 जमीन पर किया गया है।

गांगन नदी एक बरसाती नदी है। मानसून काल में अत्यधिक वर्षा होने पर वर्षा का अतिरिक्त पानी प्रवाहित होता है। वर्तमान में नदी प्राकृतिक रूप में प्रवाहित हो रही है तथा प्रवाह मार्ग में किसी प्रकार का अवैध अतिक्रमण नहीं है।

Keep on file

२8/03/21
अधिशासी अभियन्ता
बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद
२8/03/२०21

208-2021

Scanned with OKEN Scanner

Annexure 04

डायरी न०.......
सीरियल नं०.......
फाइल नं० N-13/303/2020
दिनांक 10/3/22

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद

पत्रांक- /बाखमु/गांगन दिनांक /2022

विषय- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-303/2020, शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाईनको एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण बोर्ड, मुरादाबाद।

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद के पत्र संख्या-174/एन-13/303/2020 /जनरल/दिनांक 24.02.2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें जो इस कार्यालय को सम्बोधित एवं प्रतिलिपि आपको पृष्ठांकित है, के द्वारा विषयगत प्रकरण पर आख्या आपको उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी0 के आदेश नं-303/2020, दिनांक 07.01.2021 के गांगन नदी के बाँये किनारे पर हुए अवैध निर्माण को हटाने के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये थे, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय मुरादाबाद के पत्र संख्या-100/एन-13/303/2020,दिनांक 25.01.2021 द्वारा अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) मुरादाबाद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। उक्त गठित कमेटी द्वारा अवैध निर्माण के सम्बन्ध में कोई संयुक्त रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गई। तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद द्वारा पत्र संख्या-सी-46/बाखमु/शि0, दिनांक 28.03.2021 जो अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) मुरादाबाद को प्रेषित किया गया, जिसमें मैसर्स डिजाईनको को नदी के किनारे स्थित भूमि के मालिकाना हक, मार्च माह में नदी में के प्रवाह का न्यूनतम रहना एवं तत्समय मैसर्स मैसर्स डिजाईनको द्वारा प्रवाह मार्ग में अवरोध न करने के बारे में लिखा गया है। तदोपरान्त मैसर्स डिजाईनको, लाकड़ी फाजलपुर द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में एक रिट -33061/2021 मैसर्स डिजाईनको बनाम उ0प्र0 सरकार व 3 अन्य दायर की गई है जिसका प्रस्तरवार नेरेटिव तैयार कर इस कार्यालय के पत्र संख्या-182/बाखमु/रिट नोटिस संख्या-51982/2021, दिनांक 27.01.2022 द्वारा मुख्य अभियन्ता(पूर्वी गंगा)सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,उ0प्र0, मुरादाबाद को प्रेषित किया जा चुका है तथा अभियन्ता(पूर्वी गंगा)सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,उ0प्र0, मुरादाबाद के पत्र संख्या-836/मुअपूग/कोर्ट केस/दिनांक 02.02.2022 द्वारा मुख्य अभियन्ता(परिवाद) कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित किया जा चुका है।मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट की सुनवाई की अगामी तिथि 04.04.2022 निर्धारित की गई है। प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन है।

आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधिशासी अभियन्ता
बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद

पत्रांक- 431 /बाखमु/गांगन/तदिनांक 05-03-2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है--

1-जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद को उनके पत्र संख्या-174/एन-13/303/2020 /जनरल/दिनांक 24.02.2022 के सन्दर्भ में।

2 अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, मुरादाबाद।

3-सहायक अभियन्ता, बाढ़ उपखण्ड-द्वितीय मुरादाबाद को उनके पत्र संख्या-82/सअद्वि/डिजाईनको/दिनांक 03.03.2022 द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या के क्रम में।

अधिशासी अभियन्ता
बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद
05/03/2022

Scanned with OKEN Scanner

Annexure 05

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग खण्ड–मुरादाबाद,
निकट बी–161/4, जिगर विहार कालोनी,
सिविल लाइन,मुरादाबाद ।

पत्रांक: /भू0ज0वि0खं0–मुरा0/टी–4 /दिनांक/मुरादाबाद/अप्रैल 13,2021

विषयः–माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–303/2020 शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनकों एवं अन्य मे पारित आदेश संख्या–07–01–2021, के अनुपालन में गठित समिति द्वारा संयुक्त निरीक्षण जांच की आख्या के संबंध में।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),मुरादाबाद।

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा अओ0ए0 सं0–303/2020, शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनकों एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक–07–01–2021, के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद, के पत्रांक–100/एन–13/303/2020 दिनांक–25–01–2021, के माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों का अनुपालन किये जाने हेतु समिति गठित की गयी । तत्क्रम में संबंधित इकाइयों का बिन्दु सं0–14 के कम में समिति द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया तथा सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित, उत्तर प्रदेश शासन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–3, सं0–331/76–3–2020–13एन0जी0/2020,लखनऊ,दिनांक–17–06–2020,की अधिसूचना के अनुसार मुरादाबाद विकास खण्ड एवं म्यूनिसिपल कारपोरेशन/नगर निगम मुरादाबाद,क्षेत्र को गैर अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है।(छायाप्रति संलग्न)।

अतः उपरोक्त क्षेत्र गैर अधिसूचित क्षेत्र होने के कारण मैसर्स डिजाइनकों एवं अन्य इकाईयां प्रभावित नहीं है।

सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अधिशासी अभियन्ता)
भूगर्भ जल विभाग,
खण्ड–मुरादाबाद।

पत्रांक: /भू0ज0वि0खं0–मुरा0/तादिनांक।
प्रतिलिपि–जिलाधिकारी, महोदय मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

(अधिशासी अभियन्ता)
भूगर्भ जल विभाग,
खण्ड–मुरादाबाद।

Scanned with OKEN Scanner

Annexure 06

कार्यालय नगर निगम, मुरादाबाद।

पत्रांक :- 384 /सम्पति/न0नि0मु0/2021 दिनांक 10-06-2021

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
मुरादाबाद।

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-303/2020, शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाईनको एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 के अनुपालन के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद के कार्यालय पत्रांक-100/ एन0-13/303/2020 दिनांक 25.01.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. संख्या-303/2020, शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनको एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 के अनुपालन के सम्बंध में आपकी समिति का अध्यक्ष, नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, मुरादाबाद नामित प्रतिनिधि, सचिव मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद, उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केन्द्र मुरादाबाद, अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, सिचाई विभाग, मुरादाबाद, अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग खण्ड, मुरादाबाद, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद की समिति बनायी गयी है जिसके क्रम संख्या-02 नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, मुरादाबाद की ओर से अवैध निर्माण/अतिक्रमण के सम्बंध में आख्या निम्नवत है।

उक्त के सम्बंध में महोदय को अवगत कराना है कि ग्राम लाकड़ीफाज्लपुर तहसील व जिला मुरादाबाद गाटा संख्या-1712 रकबा 0.0400 हे0 गाटा संख्या-1713 रकबा 0.0120 हे0 गाटा संख्या-1799 रकबा 0.1900 हे0 गाटा संख्या-1815 अ रकबा 0.3840 हे0 गाटा संख्या-1444/01 रकबा 0.0730, गाटा संख्या-1395/03 रकबा 0.2140 हे0, गाटा संख्या-1725ब रकबा 0.0240 हे0 गाटा संख्या-1726ब रकबा 0.0140 हे0, गाटा संख्या-1726/01 रकबा 0.0120 हे0, गाटा संख्या-1727 रकबा 0.0570 गाटा संख्या-1772/01 रकबा 0.1420, गाटा संख्या-1725 अ रकबा 0.0240, गाटा संख्या-1726 मिनजुमला रकबा 0.0140, गाटा संख्या-1726 मिनजुमला रकबा 0.2510, गाटा संख्या-1369/01 रकबा 0.1790, गाटा संख्या-1350/02 रकबा 0.0400, गाटा संख्या-1356/01 रकबा 0.0810, गाटा संख्या-1386/01 रकबा 0.0400 हे0, गाटा संख्या-1393/02 रकबा 0.0320, गाटा संख्या-1395/01 रकबा 0.1010, गाटा संख्या-1396/01 रकबा 0.0970, गाटा संख्या-1406/02 रकबा 0.0610, गाटा संख्या-1307 रकबा 0.0160 हे0 तथा गाटा संख्या-1392 रकबा 0.0810 तथा गाटा संख्या-1395/01 रकबा 0.410 हे0 आदि समस्त गाटाएं राजस्व खतौनी वर्ष फसली 1428-1431 खाता संख्या-424, 428 तथा खाता-1169 पर डिजाइनको, लाकड़ीफाजलपुर, मुरादाबाद द्वारा पार्टनर, विनय कुमार गुप्ता/नारायण कुमार गुप्ता निवासी-131 लाजपतनगर, शहर मुरादाबाद का नाम संक्रमणीय भूमि धरी में अंकित है। उपरोक्त समस्त गाटाओं पर फर्म निर्मित है। फर्म निर्मित होने के कारण उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 08.05.2017 को कृषि भूमि से अकृषिक भूमि घोषित किया है।

राजस्व अभिलेखानुसार फसली वर्ष 1426-1431 खाता संख्या-1720 गाटा संख्या-1395/2 रकबा 0.3540 हे0 श्रेणी 6-1 आकृषिक भूमि जलमगन भूमि नदी में अंकित है। राजस्व मानचित्रानुसार जिसकी लम्बाई 440 मी0 और चौड़ाई 8.05 मी0 है। गाटा न0-1395 में मै0 डिजाइनको एंव किसानों की स्वामित्व वाली काफी अधिक भूमि गांगन नदी के उत्तर दिशा में डिजाइनको की बाउंड्री और नदी के बीच में खाली पड़ी है। मै0 डिजाइनको के स्वामी श्री वी0के0 गुप्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि उनकी फैक्ट्री का निर्माण दिनांक 25.08.1988 को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराकर किया गया था। तब उपरोक्त ग्राम लाकड़ी फाजलपुर ग्रामीण क्षेत्र में आता था उस समय मुरादाबाद नगर पालिका थी और ग्राम लाकड़ी फाजलपुर नगर पालिका के अन्तर्गत नही आता था।

अतः राजस्व अभिलेखानुसार मै0 डिजाइनको श्रेणी-01 संक्रमणीय भूमिधर भूमि में बनी है जिसमें मै0 डिजाइनको का ग्राम समाज एंव गागन नदी की भूमि पर कोई अतिक्रमण/अवैध कब्जा नही है।

अपर नगर आयुक्त,
नगर निगम, मुरादाबाद।

प्रतिलिपि :- नगर आयुक्त महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर नगर आयुक्त,
नगर निगम, मुरादाबाद।

Scanned with OKEN Scanner

Annexure 07

कार्यालयः उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, मुरादाबाद
निकट 23 पी०ए०सी० कांठ रोड, मुरादाबाद
दूरभाष नं0 0591: 2450044 ईमेल-gmdicmor@nic.in

पत्रांक 327-28 /जि०उ० एवं उ०प्रो०के० (मुरा०)/2021-22/दिनांकः 10/6/21

अपर जिला अधिकारी,
(वित्त एवं राजस्व)
मुरादाबाद।

कृपया माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०एस संख्या 7303/2020, शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनको एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा आपके निर्देशानुसार दिनांक 17.03.2021 को कार्यालय के सहायक आयुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, मुरादाबाद द्वारा लाकड़ी फाजलपुर में स्थापित औद्योगिक इकाईयों मै0 डिजाइनको, मै0 होरीजन इम्पैक्स, मै0 दीवान एण्ड संस एवं मै0 सांई क्रियेशन का संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसकी आख्या आपको संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

उपायुक्त उद्योग
जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र,
मुरादाबाद

पृ0 संख्या /उपरोक्त/तद्दिनांकः

प्रतिलिपि-जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।

F.O.C.f

उपायुक्त उद्योग
जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र,
मुरादाबाद

अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि० एवं रा०)
मुरादाबाद

Scanned with OKEN Scanner

क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure 8

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1–ए/आई.एन.एस.–1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद

पत्र संख्या 1176/N-13/303/जनरल/2020 दिनांक 27/8/21

माननीय एन0जी0टी0 प्रकरण

सेवा में

सचिव,
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण,
मुरादाबाद।

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. संख्या 303/2020, शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनको एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. संख्या 303/2020, शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनको एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। माननीय अधिकरण द्वारा गागन व रामगंगा नदियों के बाढ़ क्षेत्रों में (फ्लड जोन) में अवैध निर्माण/अतिक्रमणों की शिकायत के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये गये थे एवं उक्त के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद के पत्रांक 100/एन–13/303/2020 दिनांक 25.01.2021 के द्वारा अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) महोदया की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी थी। पारित आदेश के अनुपालन में समिति द्वारा संयुक्त स्थलीय निरीक्षण दिनांक 17.03.2021 को किया गया था, जिसमें आपके विभाग से सम्बन्धित कृत कार्यवाही की आख्या अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अग्रेतर जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 25.08.2021 को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. संख्या 303/2020, शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनको एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 के अनुपालन की समीक्षा की गयी एवं कृत कार्यवाही की जांच आख्या शीघ्र उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 एवं रिट की प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया प्रकरण की महत्ता के दृष्टिगत विभागीय बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या यथाशीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित कराने का कष्ट करें, जिससे कि तदानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

(विकास मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक : यथोपरि।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

F:\AEE Sir\AEE CORS..docx

Scanned with OKEN Scanner

Annexure 09

क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1–ए/आई.एन.एस.–1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद

पत्र संख्या: 245/N-13/303/2020

दिनांक 15/03.2022

मा० एन०जी०टी० प्रकरण

1. नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद।
2. सचिव, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. संख्या 303/2020, शैलेश सिंह बनाम गैसर्स डिजाइनको एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय के आदेश पत्रांक 174/एन–13/303/2020/जनरल दिनांक 24.02.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मुरादाबाद में गागन नदी के डूब क्षेत्र (फ्लड जोन) की भूमि पर स्थापित इकाइयों द्वारा अवैध निर्माण/अतिक्रमणों के संबंध में की गयी शिकायत के अनुक्रम में विभागीय बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। अवगत कराना है कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपने पत्र 1481/एन–13/303/2020/जनरल दिनांक 29.09.2021 के माध्यम से उक्त प्रकरण पर कृत कार्यवाही की आख्या प्रेषित किये जाने हेतु पूर्व में भी निर्देशित किया गया था।

अतः उक्त के संबंध में आपसे अनुरोध है कि गागन नदी के डूब क्षेत्र (फ्लड जोन) की भूमि पर उल्लिखित इकाइयों द्वारा अवैध निर्माण/अतिक्रमणों की शिकायत के संबंध में आपके विभाग द्वारा कृत कार्यवाही की आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों एवं माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

भवदीय

(विकास मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure 10

कार्यालय जिलाधिकारी, मुरादबाद

174/N-13/303/2020/न्याय दिनांक 24/2/22

1. नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद।
2. सचिव, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।
3. अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, सिंचाई विभाग, मुरादाबाद।

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. संख्या 303/2020, शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनको एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक श्री नौशाद चौधरी एडवोकेट, चैम्बर नं0 1028, जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, जिला गाजियाबाद द्वारा श्री शैलेश सिंह, निवासी 2 एबी, रीगल बिल्डिंग, संसद मार्ग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली द्वारा एन.जी.टी. अधिनियम 2010 के अन्तर्गत प्रेषित नोटिस दिनांक 07.02.2022 (छायाप्रति संलग्न), जोकि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. संख्या 303/2020, शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनको एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 के अनुपालन के सम्बन्ध में है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। शिकायतकर्ता द्वारा उक्त संदर्भित नोटिस में उल्लिखित इकाइयों द्वारा गागन नदी के डूब क्षेत्र की जमीन पर अवैध निर्माण/अतिक्रमणों के संबंध में शिकायत की गयी है।

अतः आपका निर्देशित किया जाता है कि गागन नदी के डूब क्षेत्र (फ्लड जोन) की भूमि पर उल्लिखित इकाइयों द्वारा अवैध निर्माण/अतिक्रमणों की गयी शिकायत के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए, विभागीय बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या प्राथमिकता के आधार पर 01 सप्ताह के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि सूचनाऐ संकलित कर शिकायतकर्ता को तदानुसार अवगत कराया जा सके तथा मा0 अधिकरण के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
जिलाधिकारी,
मुरादाबाद

प्रतिलिपि: क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त विभागो से प्राप्त सूचनाएं संकलित कर इस कार्यालय को एवं जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) को उपलब्ध करायें।

जिलाधिकारी,
मुरादाबाद

Scanned with OKEN Scanner

Annexure 11

S. No.	*Particulars of the document*	*Annexure No.*	*Date*	*Page No. (From - To)*
	map/plan Sanction Order No. 877/Mu.Vi.Pra./Manchitra No. 143/88-89 dated 25.08.1988 issued by Moradabad Development Authority, Moradabad.			
8	Copy of the Regisiration Certificate dated 04.08.2000 issued by the Directorate of Industries in favour of the Petitioner.	4	04.08.2000	~~40-45~~ 43-48
9	Copy of the Awards and Accolades webpage from the website of the Petitioner.	5	-	~~46-49~~ 49-52
10	Copy of the Order dated 07.01.2021 of National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi passed in Original Application No. 303 of 2020.	6	07.01.2021	~~50-52~~ 53-55
11	Copy of the Inspection Report dated 28.03.2021 of the Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad / Respondent No. 4.	7	28.03.2021	~~53-56~~ 56-59
12	Copy of the Letter dated 25.10.2021 of Commissioner, Moradabad Division, Moradabad.	8	25.10.2021	~~57-59~~ 60-62
13	Copy of the Notice dated 27.10.2021issued by the Assistant Engineer, Flood	9	27.10.2021	~~60-62~~ 63-65

S. No.	Particulars of the document	Annexure No.	Date	Page No. (From - To)
	Division-Second, Irrigation Department, Moradabad to the Petitioner.			
14	Copy of the Reply dated 30.10.2021 of the Petitioner against the Notice dated 27.10.2021.	10	30.10.2021	~~63-66~~ 66-69
15	Copy of the Report dated 20.03.2017 of the Revenue Department, Moradabad.	11	20.03.2017	~~67-71~~ 70-74
16	Copy of the Letter dated 22.11.2021 of the Petitioner addressed to the Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad.	12	22.11.2021	~~72-76~~ 75-77
17	Affidavit in support of the Writ Petition.	-	29.11.2021	~~77-78~~ 78-79
18	Verification.	-	29.11.2021	~~79-80~~ 80-81
19	Vakalatnama.	-	-	~~81-83~~ 82-84

Dated :29.11.2021

(Abhishek Tandon)
Advocate
Counsel for the Petitioner
High Court Roll No. A/A2071/2013
U. P. Bar Council Enrollment No. : UP 4106/2009
Chamber No. 45, High Court, Allahabad (Prayagraj)
Office : 7, Mayo Road (Shiv Ram Das Gulati Marg), Allahabad (Prayagraj)
Mobile No. +91 9415316905

(Manu Srivastava)
Advocate
Counsel for the Petitioner
High Court Roll No. A/M 1267/2017

U. P. Bar Council Registration No. UP 6924/2015
Office : 167/108/2A/1, Patel Nagar, Meerapur, Prayagraj
Mobile No. +91 9839694009

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

DATES AND EVENTS

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. OF 2021

(Under Article 226 of the Constitution of India)

(District –Moradabad)

M/s Designco, Lakri, Faazalpur..

.... Petitioner

Versus

State of U. P. and 3 Others.

.... Respondents

Dates	*Events*
- (*Annexure No. '2'*)	The Petitioner-Partnership Firm is the owner in possession of the Land Nos. 1353, 1357, 1358, 1359, 1360, Village Lakri Faazalpur, Moradabad along with several other land numbers situated in Village Lakdi Faazalpur, Moradabad which are recorded in favour of the Partners of the Petitioner-Partnership Firm and the use of same are recorded in the Khasra as *"Abaadi / Factory"*. The Petitioner-Partnership Firm is also owner in possession of the Land Nos. 1369M, 1395M, 1521M, 1739M, 1398, Village Lakri Faazalpur, Moradabad along with several other land numbers situated in Village Lakdi Faazalpur, Moradabad which are also recorded in favour of the Partners of the Petitioner-Partnership Firm. It is submitted even though these lands are in the ownership of the Petitioner/Partners of the Petitioner, yet no industrial activities are going on over the same. All the aforesaid lands of the Petitioner-Partnership Firm in a combined manner are hereinafter referred to as *"lands in*

	question".
25.08.1988 (Annexure No. '3')	The Petitioner-Partnership Firm constructed the Factory over the lands in question after getting the construction map/plan sanctioned from the Moradabad Development Authority, Moradabad vide Sanction Order No. 877/Mu.Vi.Pra./Manchitra No. 143/88-89 dated 25.08.1988 in favour Vipin Kumar Gupta (Partner of the Petitioner-Partnership Firm).
04.08.2000 (Annexure No. '4')	The Petitioner commenced manufacturing w.e.f. 01.04.1997 and accordingly the Registration Certificate dated 04.08.2000 was issued by the Directorate of Industries in favour of the Petitioner after due approvals from the concerned authorities.
- *(Annexure No. '5')*	The Petitioner is presently manufacturing handicraft items for export to foreign countries, thus generating Foreign Currency for the country and the Petitioner is recognized as one of the leading manufacturers of Indian Handicraft items in the world. The Petitioner is presently giving employment to more than 3000 persons in the factory situated over the lands in question and has a turnover of about 500 Crores.
07.01.2021 (Annexure No. '6')	Original Application No. 303 of 2020 : Shailesh Singh Vs. M/s Designco, Moradabad and Others, was filed before the National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi alleging that the Petitioner had encroached over the Gagan river (alleged). The National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi vide Order dated 07.01.2021 disposed of the aforesaid Original Application No. 303 of 2020 directing that a Joint Committee of District Magistrate, Moradabad, Irrigation and Water Resources Department, Moradabad and the State Pollution Control Board be created which would look into the matter and take appropriate action in accordance with law.
-	A Joint Committee of District Magistrate, Moradabad, Irrigation and Water Resources Department, Moradabad, the State Pollution Control Board, Moradabad and others was constituted in compliance of the aforesaid Order dated 07.01.2021 of the National Green Tribunal, Principal Bench,

	New Delhi.
17.03.2021	The spot inspection of the lands in question of the Petitioner was done by the aforesaid Joint Committee on 17.03.2021.
28.03.2021 (Annexure No. '7')	The Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad / Respondent No. 4 was also a member of the aforesaid Joint Committee which had inspected the lands in question on 17.03.2021. The Respondent No. 4 submitted his Inspection Report dated 28.03.2021 to the Additional District Magistrate (Finance / Revenue), Moradabad wherein he stated that Gagan river (alleged) was a rainy season river (i.e. it was not a regular river) and that no encroachment has been done by the Petitioner-Partnership Firm over the Gagan river(alleged).
25.10.2021 (Annexure No. '8')	The Commissioner, Moradabad Division, Moradabad / Respondent No. 2 vide Letter dated 25.10.2021 directed the Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad / Respondent No. 4 to inspect and identify and remove the illegal encroachment at the banks of Gagan river(alleged). It is evident that the Commissioner, Moradabad Division, Moradabad / Respondent No. 2 had issued the aforesaid Letter dated 25.10.2021 on the basis of the Letter dated 20.10.2021 of the local politician and others.
27.03.2021 (Annexure No. '9')	The Assistant Engineer, Flood Division-Second, Irrigation Department, Moradabad issued the Notice dated 27.10.2021 to the Petitioner to remove within three days the Factory constructed by the Petitioner over the area demarcated as Flood area/Doob area (Flood Plan Zone) in Village Lakri Faazalpur, Moradabad, otherwise the illegal constructions would be removed and legal proceedings against the Petitioner shall be initiated.
30.10.2021 (Annexure No. '10')	The Petitioner submitted its Reply dated 30.10.2021 against the aforesaid Notice dated 27.10.2021, stating therein that no illegal construction/encroachment had been done by the Petitioner over the Gagan river(alleged) and the same had been affirmed

	earlier in the year 2017 in the report of the Revenue Department, Moradabad and even affirmed during the inspection conducted on 17.03.2021 by the Joint Committee. Similar efforts were made in the year 2017 and the Flood Division had written the letter dated 19.01.2017 and the District Magistrate had got a survey conducted by the Revenue Department and accordingly the Revenue Department, Moradabad inspected the lands in question and submitted the Report dated 20.03.2017 *(Annexure No. '11')* wherein it was stated no encroachment/illegal construction(s) had been made by the Petitioner over the Gagan river(alleged). It appears that the Irrigation Department, Moradabad was satisfied with the aforesaid Report dated 20.03.2017 of the Revenue Department and no action(s) were taken thereafter against the Petitioner.
30.10.2021 (Annexure No. '1')	The Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad / Respondent No. 4 issued the Order dated 30.10.2021 that decision to remove illegal constructions along the left bank of Gagan river (alleged) has been taken and a joint drive regarding the same was to be undertaken on 16.11.2021 against the Petitioner and further the Assistant Engineer, Flood Division-Second, Irrigation Department, Moradabad was directed to identify and issue notice(s). It is also pertinent to state here that on 16.11.2021 the aforesaid decision to remove illegal constructions was not implemented.
22.11.2021 (Annexure No. '12')	The Order dated 30.10.2021 came into the knowledge of the Petitioner on 22.11.2021 and as per the best knowledge of the Petitioner the demolition drive to be conducted against the Petitioner on 16.11.2021 was postponed for December, 2021. As such, the Petitioner submitted a Representation dated 22.11.2021 before the Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad / Respondent No. 4 and the same is presently pending and the Petitioner has till date not

	received any reply in respect of the same.

Hence, the present Writ Petition.

Dated : 29.11.2021

(Abhishek Tandon)
Advocate
Counsel for the Petitioner
High Court Roll No. A/A2071/2013
Mobile No. +91 9415316905

(Manu Srivastava)
Advocate
Counsel for the Petitioner
High Court Roll No. A/M 1267/2017
Mobile No. +91 9839694009

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

CIVIL MISC. (STAY) APPLICATION NO. OF 2021

ON BEHALF OF

M/s Designco, Lakri, Faazalpur, through its Partner Vibhor Kumar Gupta, S/o Narain Kumar Gupta, R/o House No. 09, Rajan Enclave, Kanth Road, P. S. Civil Lines, Moradabad – 244001.

.... ***Applicant***

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. OF 2021

(Under Article 226 of the Constitution of India)

(District – Moradabad)

M/s Designco, Lakri, Faazalpur, through its Partner Vibhor Kumar Gupta, S/o Narain Kumar Gupta, R/o House No. 09, Rajan Enclave, Kanth Road, P. S. Civil Lines, Moradabad – 244001.

.... ***Petitioner***

Versus

1. *State of U. P. through Principal Secretary, Irrigation Department, Civil Secretariat, Lucknow.*
2. *Commissioner, Moradabad Division, Moradabad*
3. *District Magistrate / Collector, Moradabad.*
4. *Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad.*

.... ***Respondents***

To,

The Hon'ble Chief Justice and His other Companion Judges of the aforesaid Court :

The Applicants above named Most respectfully pray as under :-

1. That the full facts have been stated in the Writ Petition and the same are reiterated and form part of the instant application.

2. That it is expedient in the ends of justice that this Hon'ble Court may kindly be pleased to :-

   a. Stay the operation of the Order dated 30.10.2021 issued by the Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad / Respondent No. 4, during the pendency of the instant writ petition.

PRAYER

It is, therefore, prayed that that this Hon'ble Court may kindly be pleased to :

A. Stay the operation of the Order dated 30.10.2021 issued by the Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad / Respondent No. 4 in respect of the Petitioner, during the pendency of the instant writ petition, otherwise the Petitioner shall suffer and irreparable loss and injury; ***AND/OR***

B. Pass such suitable orders/directions as the ends of justice may require under the circumstances of the case.

Dated : 29.11.2021

(Abhishek Tandon)
Advocate
Counsel for the Petitioner
High Court Roll No. A/A2071/2013
Mobile No. +91 9415316905

(Manu Srivastava)
Advocate
Counsel for the Petitioner
High Court Roll No. A/M 1267/2017
Mobile No. +91 9839694009

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. OF 2021

(Under Article 226 of the Constitution of India)

(District – Moradabad)

M/s Designco, Lakri, Faazalpur, through its Partner Vibhor Kumar Gupta, S/o Narain Kumar Gupta, R/o House No. 09, Rajan Enclave, Kanth Road, P. S. Civil Lines, Moradabad – 244001.

……………………. ***Petitioner***

Versus

1. *State of U. P. through Principal Secretary, Irrigation Department, Civil Secretariat, Lucknow.*
2. *Commissioner, Moradabad Division, Moradabad*
3. *District Magistrate / Collector, Moradabad.*
4. *Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad.*

………………… ***Respondents***

The humble petition on behalf of the Petitioner Most Respectfully showeth as follows : -

1. That this is the first Writ Petition filed on behalf of the Petitioner is a Partnership Firm (registered under the Indian Partnership Act) and the instant Writ Petition is being filed through its Partner, who has been authorized to file this Writ Petition regarding the cause of action involved in this Writ Petition and no earlier Writ Petition has been filed on behalf of the Petitioner in this regard.

2. That the Petitioner has not been served with any caveat application for opposing the instant Writ Petition.

3. That the cause of action to file the instant Writ Petition arose on 30.10.2021 and every day thereafter, since the Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad / Respondent No. 4 issued the Order dated 30.10.2021 in an illegal and arbitrary manner without jurisdiction and against the principles of natural justice behind the back of the Petitioner without any notice or opportunity of hearing to the Petitioner.The Respondent No. 4 vide aforesaid Order dated 30.10.2021 has directed the demolition of the alleged illegal encroachment by the Petitioner along the Left Bank of Gagan river(alleged), without even identifying the alleged illegal encroachmentand even against its own finding vide Letter dated 28.03.2021 addressed to the District Magistrate, Moradabad.

A copy of the Order dated 30.10.2021 of the Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad / Respondent No. 4 is annexed herewith and is marked as ***Annexure No. '1'***.

4. That the Petitioner-Partnership Firm is the owner in possession of the Land Nos.1353, 1357, 1358, 1359, 1360,Village Lakri Faazalpur, Moradabad along with several other land numbers situated in Village Lakdi Faazalpur, Moradabad which are recorded in favour of the Partners of the Petitioner-Partnership Firm and the use of same are recorded in the Khasra as *"Abaadi / Factory"*.

The Petitioner-Partnership Firm is also owner in possession of the Land Nos. 1369M, 1395M, 1521M, 1739M, 1398, Village Lakri Faazalpur, Moradabadalong with several other land numbers situated in Village Lakdi Faazalpur, Moradabadwhich are also recorded in favour of the Partners of the Petitioner-Partnership Firm. It is submitted even though these lands are in the ownership of the Petitioner/Partners of the Petitioner,yet no industrial activities are going on over the same.

All the aforesaid lands of the Petitioner-Partnership Firm in a combined manner are hereinafter referred to as *"lands in question"*.

A copy of the Khasra and Khatauni of the Land Nos.1353, 1357, 1358, 1359, 1360, Village Lakri Faazalpur, Moradabad as exemplar are annexed herewith and are marked as ***Annexure No. '2'***.

5. That the Petitioner-Partnership Firm constructed the Factory over the lands in question after getting the construction map/plan sanctioned from the Moradabad Development Authority, Moradabad vide Sanction Order No. 877/Mu.Vi.Pra./Manchitra No. 143/88-89dated 25.08.1988 in favour Vipin Kumar Gupta (Partner of the Petitioner-Partnership Firm).

A copy of the construction map/plan Sanction Order No. 877/Mu.Vi.Pra./Manchitra No. 143/88-89 dated 25.08.1988 issued by Moradabad Development Authority, Moradabad is annexed herewith and is marked as ***Annexure No. '3'***.

6. That the Petitioner commenced manufacturing w.e.f. 01.04.1997 and accordingly the Registration Certificate dated 04.08.2000 was issued by the Directorate of Industries in favour of the Petitioner after due approvals from the concerned authorities.

The Petitioner is presently manufacturing handicraft itemsfor export to foreign countries, thus generating Foreign Currency for the country and the Petitioner is recognized as one of the leading manufacturers of Indian Handicraft items in the world. The Petitioner is presently giving employment to more than 3000 persons in the factory situated over the lands in question and has a turnover of about 500 Crores.

A copy of theRegistration Certificate dated 04.08.2000 issued by the Directorate of Industries in favour of the Petitioner and copy of the Awards and Accolades webpage from the website of the Petitionerare annexed herewith and are marked as ***Annexure Nos. '4' and '5'*** respectively.

7. That Original Application No. 303 of 2020 : Shailesh Singh Vs. M/s

Designco, Moradabad and Others, was filed before the National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi alleging that the Petitioner had encroached over the Gagan river(alleged).

The National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhivide Order dated 07.01.2021 disposed of the aforesaid Original Application No. 303 of 2020 directing that a Joint Committee of District Magistrate, Moradabad, Irrigation and Water Resources Department, Moradabad and the State Pollution Control Board be created which would look into the matter and take appropriate action in accordance with law.

A copy of the Order dated 07.01.2021 of National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi passed in Original Application No. 303 of 2020 is annexed herewith and is marked as ***Annexure No. '6'***.

8. That accordingly a Joint Committee of District Magistrate, Moradabad, Irrigation and Water Resources Department, Moradabad, the State Pollution Control Board, Moradabad and others was constituted in compliance of the aforesaid Order dated 07.01.2021 of the National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi.

9. That the spot inspection of the lands in question of the Petitioner was done by the aforesaid Joint Committee on 17.03.2021.

10. That the Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad / Respondent No. 4 was also a member of the aforesaid Joint Committee which had inspected the lands in question on 17.03.2021.The Respondent No. 4 submitted his Inspection Report dated 28.03.2021 to the Additional District Magistrate (Finance / Revenue), Moradabad wherein he stated that Gagan river(alleged) was a rainy season river (i.e. it was not a regular river)and that no encroachment has been done by the Petitioner-Partnership Firm over the Gagan river(alleged).

A copy of the Inspection Report dated 28.03.2021 of the Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad / Respondent No. 4is annexed herewith and is marked as ***Annexure No. '7'***.

11. That the Commissioner, Moradabad Division, Moradabad / Respondent No. 2 vide Letter dated 25.10.2021 directed the Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad / Respondent No. 4to inspect and identify and remove the illegal encroachment at the banks of Gagan river(alleged).

It is evident that the Commissioner, Moradabad Division, Moradabad / Respondent No. 2 had issued the aforesaid Letter dated 25.10.2021 on the basis of the Letter dated 20.10.2021 of the local politician and others.

A copy of the Letter dated 25.10.2021 of Commissioner, Moradabad Division, Moradabad is annexed herewith and is marked as ***Annexure No. '8'***.

12. That it is submitted that the Petitioner was the implied target of the aforesaid politically motivated Letter dated 25.10.2021 of the Respondent No. 2, since when everything was found to be in order in respect of the lands in question of the Petitioner during the inspection of the aforesaid Joint Committee and it has been found that the Petitioner had not committed any encroachment over the Gagan river(alleged), then to satisfy the personal vendetta the proceedings were got initiated against the Petitioner through the aforesaid Letter dated 25.10.2021 of the Respondent No. 2.

In fact to the best knowledge of the Petitioner the aforesaid Original Application No. 303 of 2020 before the National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi was also in fact a proxy petition filed at the behest of the local politician.

13. That the Assistant Engineer, Flood Division-Second, Irrigation Department, Moradabad issued the Notice dated 27.10.2021 to the Petitioner to remove within three days the Factoryconstructed by the Petitioner over the area demarcated as Flood area/Doob area (Flood Plan Zone) in Village Lakri Fanzalpur, Moradabad, otherwise the illegal constructions would be removed and legal proceedings against the

Petitioner shall be initiated.

A copy of the Notice dated 27.10.2021issued by the Assistant Engineer, Flood Division-Second, Irrigation Department, Moradabad to the Petitioner is annexed herewith and is marked as ***Annexure No. '9'***.

14. That the Petitioner submitted its Reply dated 30.10.2021 against the aforesaid Notice dated 27.10.2021, stating therein that no illegal construction/encroachment had been done by the Petitioner over the Gagan river(alleged) and the same had been affirmed earlier in the year 2017 in the report of the Revenue Department, Moradabad and even affirmed during the inspection conducted on 17.03.2021 by the Joint Committee.

Similar efforts were made in the year 2017 and the Flood Division had written the letter dated 19.01.2017 and the District Magistrate had got a survey conducted by the Revenue Department and accordingly the Revenue Department, Moradabad inspected the lands in question and submitted the Report dated 20.03.2017 wherein it was stated no encroachment/illegal construction(s) had been made by the Petitioner over the Gagan river(alleged).

It appears that the Irrigation Department, Moradabad was satisfied with the aforesaid Report dated 20.03.2017 of the Revenue Department and no action(s) were taken thereafter against the Petitioner.

A copy of the Reply dated 30.10.2021 of the Petitioner against the Notice dated 27.10.2021 and copy of the Report dated 20.03.2017 of the Revenue Department, Moradabadare annexed herewith and are marked as ***Annexure Nos. '10' and '11'***.

15. That the Order dated 30.10.2021 came into the knowledge of the Petitioner on 22.11.2021 and as per the best knowledge of the Petitioner the demolition drive to be conducted against the Petitioner on 16.11.2021 was postponed for December, 2021.

As such, the Petitioner submitted a Representation dated 22.11.2021 before

the Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad / Respondent No. 4 and the same is presently pending and the Petitioner has till date not received any reply in respect of the same.

A copy of the Letter dated 22.11.2021 of the Petitioner addressed to the Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad is annexed herewith and is marked as ***Annexure No. '12'***.

16. That theExecutive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad / Respondent No. 4 issued the Order dated 30.10.2021that decision to remove illegal constructions along the left bank of Gagan river (alleged) has been taken and a joint drive regarding the same was to be undertaken on 16.11.2021 against the Petitioner and further the Assistant Engineer, Flood Division-Second, Irrigation Department, Moradabad was directed to identify and issue notice(s). It is also pertinent to state here that on 16.11.2021 the aforesaid decision to remove illegal constructions was not implemented.

17. That the aforesaid Order dated 30.10.2021 has been issued in an illegal and arbitrary manner without jurisdiction and sanction of law.The Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad / Respondent No. 4 does not have any authority in law to direct demolition of EVEN any illegal construction(s) and in the absence of any statutory provisions specifically authorizing him to issue such order(s),he cannot derive the authority to issue demolition order(s) through any Government Order and/or any other administrative order(s).

18. That it is evident from the aforesaid Order dated 30.10.2021 itself that it is vague and the same had been issued against the Petitioner without even identifying the alleged illegal constructions made by the Petitioner, since it was only in the Order dated 30.10.2021 itself thatthe Assistant Engineer, Flood Division-Second, Irrigation Department, Moradabad was directed to identify and issue notice(s) in respect thereof.

19. That till date NO notice(s) have been received by the Petitioner from the Flood Division, Irrigation Department, Moradabad in compliance of the

aforesaid directions in the Order dated 30.10.2021 to the Assistant Engineer, Flood Division-Second, Irrigation Department, Moradabad and the Order dated 30.10.2021 has been issued in violation of the principles of natural justice, behind the back of the Petitioner without its knowledge.

20. That the Petitioner has till date not received any reply/letter in respect of the aforesaid Reply dated 30.10.2021 submitted against the aforesaid Notice dated 27.10.2021 and it appears that the Order dated 30.10.2021 has been issued without considering the aforesaid Reply dated 30.10.2021 of the Petitioner.

21. That the Order dated 30.10.2021 has been issued by the Respondent No. 4 against the Petitioner against the specific findings of the Respondent No. 4 vide aforesaid Letter dated 28.03.2021 as well as against the Report dated 20.03.2017 of the Revenue Department, Moradabad.

22. That it appears the Order dated 30.10.2021 is politically motivated to harass the Petitioner as the state elections are fast approaching and as the partner(s) of the Petitioner did not meet the illegal expectations of the local politician, since the same appears to have been issued in furtherance of the Letter dated 25.10.2021 of the Commissioner, Moradabad Division, Moradabad (on the basis of the letter of the local politician).

23. That it is evident from the aforesaid Order dated 30.10.2021 that the same had been issued pre-maturely specifically targeting the Petitioner (to harass and tarnish the image of the Petitioner in the global market), since in the aforesaid Order dated 30.10.2021 only the Petitioner had been specifically named against whom the demolition action was to be taken on 16.11.2021, while the demolition action(s) to be conducted on other dates are against very general area(s) and no person(s) have been named therein.

It is also pertinent to state here that on the Left Bank of Gagan river(alleged) (where the Petitioner is situated) there are several other factories and establishments situated downstream but only the Petitioner has been illegally and arbitrarily targeted.

24. That it is noteworthy that even in accordance with aforesaid Report dated 28.03.2021 of Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad / Respondent No. 4, Gagan river(alleged) is not even a regular river but is just a rainy season river, yet the Order dated 30.10.2021 has been issued considering it to be as a river.

25. That the Petitioner has no other equally efficacious, speedy and alternate remedy for seeking the relief(s) prayed for in the instant Writ Petition, except through this Writ Petition under Article 226 of the Constitution of India or any other direction this Hon'ble Court may choose to issue.

26. That the Petitioner seek the directions prayed for, on the following grounds amongst others :-

GROUNDS

A. Because the Petitioner-Partnership Firm is the owner in possession of the Land Nos. 1353, 1357, 1358, 1359, 1360, Village Lakri Faazalpur, Moradabad along with several other land numbers situated in Village Lakdi Faazalpur, Moradabad which are recorded in favour of the Partners of the Petitioner-Partnership Firm and the use of same are recorded in the Khasra as *"Abaadi / Factory"*.

The Petitioner-Partnership Firm is also owner in possession of the Land Nos. 1369M, 1395M, 1521M, 1739M, 1398, Village Lakri Faazalpur, Moradabad along with several other land numbers situated in Village Lakdi Faazalpur, Moradabad which are also recorded in favour of the Partners of the Petitioner-Partnership Firm. It is submitted even though these lands are in the ownership of the Petitioner/Partners of the Petitioner, yet no industrial activities are going on over the same.

All the aforesaid lands of the Petitioner-Partnership Firm in a combined manner are hereinafter referred to as *"lands in question"*.

B. Because the Petitioner-Partnership Firm constructed the Factory over the lands in question after getting the construction map/plan sanctioned from

the Moradabad Development Authority, Moradabad vide Sanction Order No. 877/Mu.Vi.Pra./Manchitra No. 143/88-89 dated 25.08.1988 in favour Vipin Kumar Gupta (Partner of the Petitioner-Partnership Firm).

C. Because the Petitioner commenced manufacturing w.e.f. 01.04.1997 and accordingly the Registration Certificate dated 04.08.2000 was issued by the Directorate of Industries in favour of the Petitioner after due approvals from the concerned authorities.

The Petitioner is presently manufacturing handicraft items for export to foreign countries, thus generating Foreign Currency for the country and the Petitioner is recognized as one of the leading manufacturers of Indian Handicraft items in the world. The Petitioner is presently giving employment to more than 3000 persons in the factory situated over the lands in question and has a turnover of about 500 Crores.

D. Because Original Application No. 303 of 2020 : Shailesh Singh Vs. M/s Designco, Moradabad and Others, was filed before the National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi alleging that the Petitioner had encroached over the Gagan river(alleged).

The National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi vide Order dated 07.01.2021 disposed of the aforesaid Original Application No. 303 of 2020 directing that a Joint Committee of District Magistrate, Moradabad, Irrigation and Water Resources Department, Moradabad and the State Pollution Control Board be created which would look into the matter and take appropriate action in accordance with law.

E. Because accordingly a Joint Committee of District Magistrate, Moradabad, Irrigation and Water Resources Department, Moradabad, the State Pollution Control Board, Moradabad and others was constituted in compliance of the aforesaid Order dated 07.01.2021 of the National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi.

F. Becausethe spot inspection of the lands in question of the Petitioner was done by the aforesaid Joint Committee on 17.03.2021.

G. Because the Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad / Respondent No. 4 was also a member of the aforesaid Joint Committee which had inspected the lands in question on 17.03.2021. The Respondent No. 4 submitted his Inspection Report dated 28.03.2021 to the Additional District Magistrate (Finance / Revenue), Moradabad wherein he stated that Gagan river(alleged) was a rainy season river (i.e. it was not a regular river) and that no encroachment has been done by the Petitioner-Partnership Firm over the Gagan river(alleged).

H. Because the Commissioner, Moradabad Division, Moradabad / Respondent No. 2 vide Letter dated 25.10.2021 directed the Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad / Respondent No. 4 to inspect and identify and remove the illegal encroachment at the banks of Gagan river(alleged).

It is evident that the Commissioner, Moradabad Division, Moradabad / Respondent No. 2 had issued the aforesaid Letter dated 25.10.2021 on the basis of the Letter dated 20.10.2021 of the local politician and others.

I. Because it is submitted that the Petitioner was the implied target of the aforesaid politically motivated Letter dated 25.10.2021 of the Respondent No. 2, since when everything was found to be in order in respect of the lands in question of the Petitioner during the inspection of the aforesaid Joint Committee and it has been found that the Petitioner had not committed any encroachment over the Gagan river(alleged), then to satisfy the personal vendetta the proceedings were got initiated against the Petitioner through the aforesaid Letter dated 25.10.2021 of the Respondent No. 2.

In fact to the best knowledge of the Petitioner the aforesaid Original Application No. 303 of 2020 before the National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi was also in fact a proxy petition filed at the behest of the local politician.

J. Because the Assistant Engineer, Flood Division-Second, Irrigation

Department, Moradabad issued the Notice dated 27.10.2021 to the Petitioner to remove within three days the Factory constructed by the Petitioner over the area demarcated as Flood area/Doob area (Flood Plan Zone) in Village Lakri Fazalpur, Moradabad, otherwise the illegal constructions would be removed and legal proceedings against the Petitioner shall be initiated.

K. Because the Petitioner submitted its Reply dated 30.10.2021 against the aforesaid Notice dated 27.10.2021, stating therein that no illegal construction/encroachment had been done by the Petitioner over the Gagan river(alleged) and the same had been affirmed earlier in the year 2017 in the report of the Revenue Department, Moradabad and even affirmed during the inspection conducted on 17.03.2021 by the Joint Committee.

Similar efforts were made in the year 2017 and the Flood Division had written the letter dated 19.01.2017 and the District Magistrate had got a survey conducted by the Revenue Department and accordingly the Revenue Department, Moradabad inspected the lands in question and submitted the Report dated 20.03.2017 wherein it was stated no encroachment/illegal construction(s) had been made by the Petitioner over the Gagan river(alleged).

It appears that the Irrigation Department, Moradabad was satisfied with the aforesaid Report dated 20.03.2017 of the Revenue Department and no action(s) were taken thereafter against the Petitioner.

L. Because the Order dated 30.10.2021 came into the knowledge of the Petitioner on 22.11.2021 and as per the best knowledge of the Petitioner the demolition drive to be conducted against the Petitioner on 16.11.2021 was postponed for December, 2021.

As such, the Petitioner submitted a Representation dated 22.11.2021 before the Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad / Respondent No. 4 and the same is presently pending and the Petitioner has till date not received any reply in respect of the same.

M. Because the Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad / Respondent No. 4 issued the Order dated 30.10.2021 that decision to remove illegal constructions along the left bank of Gagan river (alleged) has been taken and a joint drive regarding the same was to be undertaken on 16.11.2021 against the Petitioner and further the Assistant Engineer, Flood Division-Second, Irrigation Department, Moradabad was directed to identify and issue notice(s). It is also pertinent to state here that on 16.11.2021 the aforesaid decision to remove illegal constructions was not implemented.

N. Because the aforesaid Order dated 30.10.2021 has been issued in an illegal and arbitrary manner without jurisdiction and sanction of law. The Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad / Respondent No. 4 does not have any authority in law to direct demolition of EVEN any illegal construction(s) and in the absence of any statutory provisions specifically authorizing him to issue such order(s), he cannot derive the authority to issue demolition order(s) through any Government Order and/or any other administrative order(s).

O. Because it is evident from the aforesaid Order dated 30.10.2021 itself that it is vague and the same had been issued against the Petitioner without even identifying the alleged illegal constructions made by the Petitioner, since it was only in the Order dated 30.10.2021 itself that the Assistant Engineer, Flood Division-Second, Irrigation Department, Moradabad was directed to identify and issue notice(s) in respect thereof.

P. Because till date NO notice(s) have been received by the Petitioner from the Flood Division, Irrigation Department, Moradabad in compliance of the aforesaid directions in the Order dated 30.10.2021 to the Assistant Engineer, Flood Division-Second, Irrigation Department, Moradabad and the Order dated 30.10.2021 has been issued in violation of the principles of natural justice, behind the back of the Petitioner without its knowledge.

Q. Because the Petitioner has till date not received any reply/letter in respect of the aforesaid Reply dated 30.10.2021 submitted against the aforesaid

Notice dated 27.10.2021 and it appears that the Order dated 30.10.2021 has been issued without considering the aforesaid Reply dated 30.10.2021 of the Petitioner.

R. Because the Order dated 30.10.2021 has been issued by the Respondent No. 4 against the Petitioner against the specific findings of the Respondent No. 4 vide aforesaid Letter dated 28.03.2021 as well as against the Report dated 20.03.2017 of the Revenue Department, Moradabad.

S. Because it appears the Order dated 30.10.2021 is politically motivated to harass the Petitioner as the state elections are fast approaching and as the partner(s) of the Petitioner did not meet the illegal expectations of the local politician, since the same appears to have been issued in furtherance of the Letter dated 25.10.2021 of the Commissioner, Moradabad Division, Moradabad (on the basis of the letter of the local politician).

T. Because it is evident from the aforesaid Order dated 30.10.2021 that the same had been issued pre-maturely specifically targeting the Petitioner (to harass and tarnish the image of the Petitioner in the global market), since in the aforesaid Order dated 30.10.2021 only the Petitioner had been specifically named against whom the demolition action was to be taken on 16.11.2021, while the demolition action(s) to be conducted on other dates are against very general area(s) and no person(s) have been named therein.

It is also pertinent to state here that on the Left Bank of Gagan river(alleged) (where the Petitioner is situated) there are several other factories and establishments situated downstream but only the Petitioner has been illegally and arbitrarily targeted.

U. Because it is noteworthy that even in accordance with aforesaid Report dated 28.03.2021 of Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad / Respondent No. 4, Gagan river(alleged) is not even a regular river but is just a rainy season river, yet the Order dated 30.10.2021 has been issued considering it to be as a river.

PRAYER

It is, therefore, most respectfully prayed that this Hon'ble Court may most graciously be pleased to :

A. Issue a writ, order or direction in the nature of certiorari quashing/setting aside the Order dated 30.10.2021 of the Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad*(Annexure No. 1')*in respect of the Petitioner; *AND*

B. Issue a writ, order or direction in the nature of mandamus directing the Respondents not to demolish the construction(s) of the Petitioner in respect of the lands in question without following the due process of law; *AND/OR*

C. Issue any other suitable writ, order or direction as this Hon'ble Court may deem fit and proper in the facts and circumstances of the instant matter.

D. Award cost of this petition in favour of the Petitioner.

Dated :29.11.2021

(Abhishek Tandon)
Advocate
Counsel for the Petitioner
High Court Roll No. A/A2071/2013
Mobile No. +91 9415316905

(Manu Srivastava)
Advocate
Counsel for the Petitioner
High Court Roll No. A/M 1267/2017
Mobile No. +91 9839694009

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
भारत सरकार
Unique Identification Authority of India
Government of India

E-Aadhaar Letter

नामांकन क्रमांक/Enrolment No.: 2077/40219/00434

Date - 15/10/2014

Vibhor Kumar Gupta (विभोर कुमार गुप्ता)
S/O: Narain Kumar Gupta, H.NO.-09, RAJAN ENCLAVE KANTH ROAD, PS- CIVIL LINE, Moradabad,
Moradabad,
Uttar Pradesh - 244001

आपका आधार क्रमांक/ Your Aadhaar No.:

5759 7774 4981

आधार-आम आदमी का अधिकार

1947 1800 300 1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

सूचना

- आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं।
- पहचान का प्रमाण ऑनलाइन ऑथेन्टिकेशन द्वारा प्राप्त करें।
- यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया द्वारा बना हुआ पत्र है।

INFORMATION

- Aadhaar is a proof of identity, not of citizenship.
- To establish identity, authenticate online.
- This is electronically generated letter.

Validity unknown
Digitally signed by [illegible]
Date: 2014.10.15 [illegible] IST

- आधार देश भर में मान्य है.
- आधार के लिए आपको एक ही बार नामांकन दर्ज करवाने की आवश्यकता है.
- कृपया अपना नवीनतम मोबाइल नंबर तथा ई-मेल पता दर्ज करवाएं. इससे आपको विभिन्न सुविधाएं प्राप्त करने में सहूलियत होगी.

- Aadhaar is valid throughout the country.
- You need to enrol only once for Aadhaar.
- Please update your mobile number and e-mail address. This will help you to avail various services in future.

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

विभोर कुमार गुप्ता
Vibhor Kumar Gupta
जन्म तिथि/ DOB: 02/07/1956
पुरुष / MALE

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता:
संबोधित: नारायण कुमार गुप्ता, एच.न.-09, राजन एन्क्लेव कांठ रोड, थाना सिविल लाइन, मुरादाबाद, मुरादाबाद,
उत्तर प्रदेश - 244001

Address:
S/O: Narain Kumar Gupta, H.NO.-09, RAJAN ENCLAVE KANTH ROAD PS- CIVIL LINE, Moradabad, Moradabad,
Uttar Pradesh - 244001

5759 7774 4981

5759 7774 4981

आधार-आम आदमी का अधिकार Aadhaar-Aam Admi ka Adhikar

Vibhor

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Annexure No. '1'

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. OF 2021

(Under Article 226 of the Constitution of India)

(District –Moradabad)

M/s Designco, Laakadi, Faazalpur

.... *Petitioner*

Versus

State of U. P. and 3 Others.

.... *Respondents*

[P. T. O.]

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,
बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मुरादाबाद।

पत्रांक /बाखमु/अवैध कब्जा दिनांक /2021

विषयः– गांगन/रामगंगां नदी के दाये किनारे पर निर्माण को हटाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आयुक्त महोदय, मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद के पत्रांक 828/15–70(2020–21) जे०ए० प्रथम, दिनांक 30.07.2021 एवं पत्रांक 53/15–70 (2020–21) जे०ए० दिनांक 25.10.2021 एवं कार्यालय जिलाधिकारी, मुरादाबाद के पत्र संख्या 760/जि०भू०व्य० सहा०/21–22, दिनांक 18.09.2021 के अनुपालन के एक संयुक्त टीम के साथ अभियान चलाकर गांगन नदी के बाये किनारे एवं रामगंगा नदी के दाये किनारे पर अवैध निर्माण को हटाने का निर्णय लिया गया है। अवैध निर्माण हटाने की कार्यवाही निम्नानुसार की जायेगी :–

क०सं०	दिनांक	थाना	नदी	क्षेत्र
1	16.11.2021	मझोला	गांगन	मै० डिजाइनको लाकडी फाजलपुर
2	23.11.2021	कटघर	गांगन	गगन नदी पर संभल पुल के डाउनस्ट्रीम में
3	27.11.2021	कटघर	रामगंगा	सूरजनगर रामपुर ब्रिज के डाउनस्ट्रीम मे

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपसे निवेदन है कि पर्याप्त संख्या में पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेटों की तैनाती करने की कृपा करे।

सादर।

अधिशासी अभियन्ता
बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद

पत्रांक 2070/बाखमु/तदिनॉक 30.10.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. आयुक्त महोदय, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, मुरादाबाद।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद को कम से कम 100 नं0 पुलिस (पुरूष एवं महिला) बल उपलब्ध कराने हेतु।
4. उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बन्धित क्षेत्र के स्वीकृत मानचित्रों के साथ भिन्न अधिकारी भेजने एवं नगर

निगम, मुरादाबाद से समन्वय स्थापित करते हुये आवश्यक संख्या में अधिकारी/कर्मचारी को उपयुक्त मशीनरी के साथ नियुक्त करने हेतु।

5. नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित है कि अपर नगर आयुक्त, मुरादाबाद की अध्यक्षता में पवर्तन दल एवं मशीनरी उपलब्ध कराने हेतु।
6. जिला प्रदूषण अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुरादाबाद।
7. अपर जिलाधिकारी, प्रशासन, मुरादाबाद।
8. सिटी मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद।
9. उपजिलाधिकारी, सदर मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त क्षेत्र की राजस्व की टीम को अभिलेखों सहित मौके भेजने हेतु।
10. उपाधीक्षक, एल0आई0यू0, मुरादाबाद।
11. तहसीलदार सदर, मुरादाबाद का इस आशय से प्रेषित है कि अपने राजस्व टीम को निर्देशित करने का कष्ट करें।
12. सहायक अभियन्ता, बाढ़ उपखण्ड द्वितीय, मुरादाबाद को उनके पत्र संख्या–सी–247/समद्धि/अवैध निर्माण/दिनांक 30.10.2021 के कम में चिन्हाकंन एवं नोटिस की कार्यवाही सुनिश्चित करे।

ह0 अस्पष्ट30/10/2021
अधिशासी अभियन्ता
बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद।

–सत्यप्रतिलिपि–

31

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता
बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मुरादाबाद।

पत्रांक - [illegible] /बाखमु/ [illegible] दिनांक [illegible] /2021

विषय - गागन, रामगंगा नदी के दांये किनारे पर अवैध निर्माण को हटाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त महोदय, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद के पत्रांक [illegible]/15-70(2020-21) [illegible], दिनांक [illegible] 2021 एवं पत्रांक 53/15-70(2020-21) [illegible], दिनांक 25.10.2021 एवं कार्यालय जिलाधिकारी मुरादाबाद के पत्र संख्या [illegible]/2021-22, दिनांक 18.09.2021 के अनुपालन में एक संयुक्त टीम के साथ [illegible] गागन नदी के दांये किनारे एवं रामगंगा नदी के दांये किनारे पर अवैध निर्माण को हटाने का निर्णय लिया गया है। अवैध निर्माण हटाने की कार्यवाही निम्नानुसार की जायेगी :-

क्रम0	दिनांक	थाना	नदी	क्षेत्र
1	16.11.2021	मझोला	गागन	मं0 डिजाइनको लाकड़ी फाजलपुर
2	23.11.2021	कटघर	गागन	गागन नदी पर, [illegible] पुल के डाउनस्ट्रीम में
3	27.11.2021	कटघर	रामगंगा	सूरजनगर, रामपुर ब्रिज के डाउनस्ट्रीम में

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपसे निवेदन है कि पर्याप्त संख्या में पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेटों की तैनाती करने की कृपा करें।

सादर।

अधिशासी अभियन्ता
बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद

पत्रांक-1070 /बाखमु/तद्दिनांक 30-10-2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. आयुक्त महोदय, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, मुरादाबाद।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद को कम से कम 100 नं0 पुलिस (पुरुष एवं महिला) बल उपलब्ध कराने हेतु।
4. उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बन्धित क्षेत्र के स्वीकृत मानचित्रों के साथ निम्न अधिकारी भेजने एवं नगर निगम, मुरादाबाद से समन्वय स्थापित करते हुये आवश्यक संख्या में अधिकारी/कर्मचारी को उपयुक्त मशीनरी के साथ नियुक्त करने हेतु।
5. नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित है कि अपर नगर आयुक्त, मुरादाबाद की अध्यक्षता में [illegible] दल एवं मशीनरी उपलब्ध कराने हेतु।
6. जिला प्रदूषण अधिकारी, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, मुरादाबाद।
7. अपर जिलाधिकारी प्रशासन, मुरादाबाद।
8. सिटी मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद।
9. उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त क्षेत्र की राजस्व की टीम को मौके भेजने हेतु।
10. उपाधीक्षक [illegible], मुरादाबाद।
11. तहसीलदार सदर मुरादाबाद को आशय से प्रेषित है कि अपनी राजस्व टीम को निर्देशित करने का कष्ट करें।
12. सहायक अभियन्ता बाढ़ [illegible] द्वितीय, मुरादाबाद को उनके पत्र संख्या-सी-237/[illegible]/अवैध निर्माण/दिनांक 30.10.2021 के क्रम में [illegible] एवं [illegible] की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

[illegible]

अधिशासी अभियन्ता
बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद
30/10/2021

EAAE 2\GAMIAL doc 137

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Annexure No. '2'

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. OF 2021

(Under Article 226 of the Constitution of India)

(District –Moradabad)

M/s Designco, Laakadi, Faazalpur.

.... *Petitioner*

Versus

State of U. P. and 3 Others.

.... *Respondents*

[P. T. O.]

http://upbhulekh.gov.in/public/public_ror/public_ror_report.jsp

33

BHULEKH
Uttar Pradesh

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : [illegible] परगना : (मुरादाबाद) तहसील : मुरादाबाद जनपद : मुरादाबाद फसली वर्ष : 1426-1431 भाग : 1 खाता संख्या : 01108

खातेदार का नाम / पिता पति व संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।				
विपिन कुमार गुप्ता / नरेश कुमार गुप्ता / नि0 131 [illegible]	1370/2	0.0670		
	1371/2	0.0530		
	1373.	0.0080		
	1357.	0.0450		
	1356	0.1330		
	1370	0.0670		
	1371/3	0.0530		
	1373..	0.0080		
	1359	0.2020		
	1360	0.0450		
	1289	0.0120		
	1361अ	0.0200		
	1362.	0.0260		
	1363अ	0.0460		
	1364	0.0240		
	1370/1	0.0650		
	1371/1	0.0200		
	1372.	0.0810		
योग	18	0.9760		

कृपया उक्त खाते की प्रविष्टि (धारा [illegible]) के बाद दाखिल खारिज / [illegible] हेतु खाता संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अप्रमाणित है, सत्यापित कम्प्यूटर केन्द्र एवं सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से खतौनी की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Software Powered By : National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

BHULEKH
Uttar Pradesh

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

[illegible] फसली वर्ष : 1420-1431 भाग : 1 खाता संख्या : 00410

[illegible]	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
[illegible]				
[illegible]	1406	0.0730	[illegible] दि. 7.2.06	
	1406/2	0.1410	[illegible]	
	1407	0.0730	[illegible] 2.8.2006	
	1408	0.0970	[illegible]	
	1410	0.3160	[illegible]	
	1414	0.2750	[illegible]	
	1357	0.0240	[illegible]	
	1393/1	0.2040	[illegible] 012.03.13	
योग	8	1.2030		

[illegible]

Disclaimer: [illegible]

Software Powered By : National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

11/30/2021, 2:50 PM

BHULEKH
Uttar Pradesh

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : [illegible] परगना : [illegible] तहसील : [illegible] जनपद : [illegible] फसली वर्ष : 1426-1431 भाग : 1 खाता संख्या : 01161

खातेदार का नाम / पिता पति या संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (है.)	आदेश	टिप्पणी
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।				
विनीत कुमार गुप्ता / [illegible] कुमार गुप्ता / नि0 [illegible]	1353मि 1353/2	0.2100 0.0650		
योग	2	0.2750		

कृपया उक्त खसरे की प्रविष्टि (भू.खंड (गाटा) के बंद प्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण वही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अपठन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Annexure No. '3'

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. *OF 2021*

(Under Article 226 of the Constitution of India)

(District –Moradabad)

M/s Designco, Laakadi, Faazalpur.

.... Petitioner

Versus

State of U. P. and 3 Others.

.... Respondents

[P. T. O.]

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत भवन निर्माण, विकास के लिए स्वीकृति पत्र

संख्या 877 / मु0वि0प्रा0 / मानचित्र संख्या 143 / 88–89 दिनांक 25.08.88

श्री विपिन कुमार गुप्ता एस0ओ0 श्री नारायण कुमार गुप्ता,

निवासी– लाकड़ी फाजलपुर, मुरादाबाद।

आपके प्रार्थना पत्र संख्या ....दिनांक ....के सन्दर्भ में मुझे आपको सूचित करना है कि उपरोक्त पत्र के साथ आप द्वारा प्रस्तुत किया गया भवन निर्माण सम्बन्धी मानचित्र उ0 प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृत किया जाता है। जिसकी प्रति आदेश के साथ संलग्न है।

1. यह मानचित्र स्वीकृति के दिनांक से केवल 3 वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की इस स्वीकृति से सम्बन्धित किसी भी प्रशासनिक विभाग स्थानीय निकाय। जैसे नगरपालिका, मु0वि0 प्रा0 रेलवे सेटिलमेंट, नोटिफिकेशन एरिया किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित नहीं होता है तो इसकी जिम्मेदारी निर्माणकर्ता पर होगी।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो बिना आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य के उपर्युक्त नहीं होगा उस पर शासन अथवा किसी भी स्थानीय निकाय को विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
6. दरवाजे एवं खिडकियां इस तरह लगाये जायेंगे कि वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि अथवा सड़क आदि की ओर प्रोजेक्ट न हों।
7. बिजली की लाईन से 5फिट के अन्तर से तथा विद्युत उपनियमों (पाईप लाइन) के विरुद्ध कोई कार्य न किया जायगा।
8. सड़क,सर्विस लेन, सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटेरियल) नहीं रखा जायेगा तथा गन्दे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
9. स्वीकृत मानचित्र का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना आवश्यक होगा ताकि

उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों (स्पैसीफिकेशन) नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भूमि एवं भवन के स्वामित्व की जिम्मेदारी स्वयं प्रार्थी पर होगी।

10. सड़क पर अथवा बैकलेन में कोई रेम्प अथवा स्ट `प्स नहीं बनाया जायेगा और वह अपना कार्य केवल अपनी भूमि पर सम्पन्न करेगा।

11. मानचित्र में कटे हुए मार्ग का निर्माण नहीं किया जायेगा एवं निर्माण स्वीकृत मानचित्र के आधार पर ही करना होगा।

12. यदि मानचित्र में उ0 प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 धारा 15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त (कंडीशन) के साथ स्वीकृत किया जाता है तो वह पूर्ति मान्य होगी। एवं भवन निर्माण सम्बन्धी समय–समय पर प्रसारित शासनादेशों को ध्यान में रखते हुए ही किया जायेगा।

13. निर्माणकर्ता इस स्वीकृति का उपयोग नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1976 की किसी धारा से बचने के लिए नहीं कर सकेगा और यदि उस स्वीकृति का विपरीत प्रभाव उपरोक्त अधिनियम की किसी भी धारा पर पड़ता है तो वह स्वीकृति उस सीमा तक निरस्त समझी जायेगी।

14. स्वीकृति मानचित्र के अनुसार भवन निर्माण पूर्ण होने के एक माह के अन्दर अपना कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेगें। प्रमाण पत्र के बगैर भवन प्रयोग में नहीं लायेगें।

15. भू स्वामित्व की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

16. आवेदक प्राधिकरण को प्रस्तुत कियेगये शपथपत्रों में दी गयी शर्तों का पालन करेगा।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

सचिव / उपाध्यक्ष
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण,
मुरादाबाद

–सत्यप्रतिलिपि–

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत भवन निर्माण, विकास के लिए स्वीकृति पत्र

संख्या......327....... /मु० वि०प्रा०/मानचित्र संख्या 143/88-89 दिनांक...25-8-88

श्री/श्रीमती....विपिन कुमार गुप्ता S/o श्री नारायण कुमार गुप्ता........

निवासी.........मोहल्ला फाजलपुर, मुरादाबाद...........................

आपके प्रार्थना पत्र संख्या..............दिनांक.............के सन्दर्भ में मुझे आपको सूचित करना है कि उपरोक्त पत्र के साथ आप द्वारा प्रस्तुत किया गया भवन निर्माण सम्बन्धी मानचित्र उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम १९७३ की धारा १४ के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृत किया जाता है। जिसकी प्रति आदेश के साथ संलग्न है।

१. यह मानचित्र स्वीकृति के दिनांक से केवल ३ वर्ष तक वैध है।

२. मानचित्र की इस स्वीकृति से सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय। जैसे नगरपालिका, मु० वि० प्रा० रेलवे सेटिलमेंट, नोटिफिकेशन एरिया किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित नहीं होता यदि प्रभावित होता है तो इसकी जिम्मेदारी निर्माणकर्ता पर होगी। आवासीय

३. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायगा।

४. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना आपत्ति के देय होगा।

५. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगा उस पर शासन अथवा किसी भी स्थानीय निकाय को विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

६. दरवाजे व खिड़कियां इस तरह लगाये जायेंगे कि वह खुलें तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि अथवा सड़क आदि की ओर प्रोजक्टेड न हों।

७. बिजली की लाईन से ५ फीट के अन्तर से तथा विद्युत उपनियमों (पावर लाईन) के विरुद्ध कोई कार्य न किया जायगा।

८. सड़क सर्विस लेन, सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटेरियल) नहीं रखा जायेगा तथा गन्दे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।

९. स्वीकृत मानचित्र का एक सेट निर्माण स्थल पर रखना आवश्यक होगा ताकि उसको मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों (स्पेसीफिकेशन) नियमों के अनुसार ही कराया जायगा तथा भूमि एवं भवन के स्वामित्व की जिम्मेदारी स्वयं प्रार्थी पर होगी।

१०. सड़क पर अथवा बैक लेन में कोई रैम्प अथवा स्टेप्स नहीं बनाया जायेगा और यह समस्त कार्य केवल अपनी ही भूमि पर सम्पन्न करेगा।

११. मानचित्र में कटे हुए भाग का निर्माण नहीं किया जायेगा एवं निर्माण स्वीकृत मानचित्र के आधार पर ही करना होगा।

१२. यदि मानचित्र में उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम १९७३ की धारा १५ के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त (संशोधन) के साथ स्वीकृत किया जाता है तो वह पूर्ति मान्य होगी। एवं भवन निर्माण संबंधी समय-समय पर प्रसारित शासनादेशों को ध्यान में रखते हुए ही किया जायगा।

१३. निर्माणकर्ता इस स्वीकृति का उपयोग नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम १९७६ की किसी धारा से बचने के लिए नहीं कर सकेगा और यदि उस स्वीकृति का विपरीत प्रभाव उपरोक्त अधिनियम की किसी भी धारा पर पड़ता है तो यह स्वीकृति उस सीमा तक निरस्त समझी जायगी।

१४. स्वीकृत मानचित्र के अनुसार भवन निर्माण पूर्ण होने के एक माह के अन्दर अपना कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे। प्रमाण-पत्र के बगैर भवन प्रयोग में नहीं लायेंगे।

१५. भू स्वामित्व की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

16. आवेदक प्राधिकरण को प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र में दी गयी शर्तों का पालन करेगा।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार

सचिव/उपाध्यक्ष
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Annexure No. '4'

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. OF 2021

(Under Article 226 of the Constitution of India)

(District –Moradabad)

M/s Designco, Laakadi, Faazalpur.

.... Petitioner

Versus

State of U. P. and 3 Others.

.... Respondents

[P. T. O.]

सहा0 अभि0 बाढ़ खण्ड

ना0 तहसीलदार नगर को ...

अग्रसारित। ह0 अपठनीय 01 / 04 / 2017

उत्तर प्रदेश सरकार

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

उद्योग निदेशालय

DEPARTMENT OF INDUSTRIES

जिला उद्योग केन्द्र मुरादाबाद

साझेदारों के नाम

1. श्री किशोर कुमार गुप्ता।
2. श्री विजय कुमार गुप्ता।
3. श्री विपिन कुमार गुप्ता।
4. श्रीमती अवधेश गुप्ता।
5. श्रीमती कुमकुम गुप्ता।

इकाई की कार्यशाला का संशोधित पता –

लाकड़ी फाजलपुर, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

DISTRICT INDUSTRIES CENT

स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र

PARMANENT REGISTRATION CERTIFICATE

लघु इकाई के रूप में

AS A

SMALL SCALE /ANCILLARY UNDERTAKING/

SMALL SERVICE ESTABLISHMENT/TENY UNIT

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स डिजाइनको स्वामित्व / साझेदारी / प्राइवेट लिमिटेड / सरकारी, सोसाइटी / अन्य।

This is to certify that M/s. ....Property/partnership/Pvt. Ltd./ Co-oprative Society/Others.

(कार्यालय का पता)

(Office Address)

गलशहीद रोड, मुरादाबाद।

नीचे दी गई संख्या और तारीख के अधीन लघु / सहायक उद्योग उपनाम / लघु सेवा स्थापना / अति लघु इकाई के रूप में स्थायी रूप से पंजीकृत है :–

Permanently Registered as Small Scale/Aneillary Undertaking/Small Service Establishment/Tiny Unit Under the Number and date Given Here Under :-

संख्या

तारीख

Number

Date

42

गल शहीद रोड, मुरादाबाद.. में स्थित फैक्ट्री के लिए

For the factory located at ....

(Full Address)

(पूरा पता)

निम्नलिखित मदों के निर्माण/प्रकिया के लिए :–

For the manufacture/Proposal of the following Item :-

ब्रास एण्ड जर्मल सिल्वर आर्ट वेयर्स, एल्यूमिनियम आर्ट वेयर्स, आयरन आर्ट वेयर्स जैसे :– वैस, प्लान्टर, कैण्डिल स्टैण्ड, बास्केट, स्टैन्लेस स्टील एवं एल्यूमीनियम, यूटैनसिल्स

वार्षिक उत्पाद क्षमता

मूल्यानुसार रूपये 9.0 करोड़

डीशन

दिनांक 4.8.2000   आइटम्स के नाम   उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि

1. कापर आर्टवेयर्स एण्ड यूटीन्सल्स, स्टेनलेस स्टील, कटलरी एवं जी0पी0शीट आर्टीकल्स।   01.04.1997

1. ब्रास एण्ड जर्मल सिल्वर आर्ट वेयर्स,
2. एल्यूमिनियम आर्ट वेयर्स,
3. स्टैनलेस स्टील यूटैनसिल्स
4. आयरन आर्ट वेयर्स

उत्पादन प्रारम्भ होने की तारीख (Date of Commencement of Product) 19/11/90

(जहाँ भी लागू हो) (Wherever Applicable) :

स्थान :– मुरादाबाद।   संयुक्त निदेशक/उप निदेशक उद्योग/निदेशक उद्योग, महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र

Place : Moradabad.   Jt. Dir./Dy.Dir.ind/Asstt. DirIndustries, General Manager, DIO.

दिनांक 26/10/93

टिप्पणी :–1. यह पंजीकरण इस प्रमाण–पत्र के आवंटन के समय फैक्ट्री की स्थिति, उत्पाद और इकाई की स्थापना के लिए वैध है।

This registration is valid for the factor lacation products and the constitution of the unit at the time of allotment of this certificate.

2. यदि उद्योग आयुक्त/निदेशक के मतानुसार किसी दुरूपयोग अथवा अनाधिकृत व्यपवर्तन का मामला बनता है, तो पंजीकरण को निरस्त/रद्द किया जा सकता है।

This registration is liable to revocation or cancellation in the event of any misuse or unauthorised diversion as determined by the Industries Commissioner/Director.

3. यह पंजीकरण प्रमाण–पत्र सुरक्षित रखा जाए और इसे किसी प्रकार के परिवर्तन, जैसे उत्पाद की नई वस्तुओं, स्थान के बदलाव आदि की प्रविष्टि के लिए प्रस्तुत करना होगा।

This registration certificate should be kept in safe custoudy and will have to be produced for incorporating any charges like new item of products, change of location etc.

4. इस अन्तिम पंजीकरण प्रमाण–पत्र द्वारा इकाई को इस प्रमाण–पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर उपर्युक्त वस्तुओं का निर्माण करने के लिए दिये गये सभी पिछले अनन्तिम अथवा स्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द हो गये है।

This final registration certificate cancels all previous provisional or permanent registration certificate granted to this unit for items mentioned above for the location mentioned in this certificate.

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

अतिरिक्त वस्तुओं के लिए

पंजीकरण की तारीख

हस्ताक्षर और मोहर

–सत्यप्रतिलिपि–

44

16

पार्टनरों के नाम

1-श्री किशोर कुमार गुप्ता।
2-श्री [illegible] कुमार गुप्ता
3-श्री विपिन कुमार गुप्ता
4-श्रीमती [illegible] गुप्ता
5-श्रीमती [illegible] गुप्ता

उत्तर प्रदेश शासन
GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

उद्योग निदेशालय
DIRECTORATE OF INDUSTRIES

जिला उद्योग केन्द्र मुरादाबाद
DISTRICT INDUSTRIES CENT[RE]

(स्थायी) पंजीकरण प्रमाण-पत्र
[PERMAN]ENT REGISTRATION CERTIFICATE

इकाई की कार्यशाला का संचालित पता

लाजपत नगर, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

[stamp] District Industries Centre MORADABAD

लघु/सहायक ... इकाई के रूप में
AS A
SMALL SCALE/ANCILLARY UNDERTAKING/
SMALL SERVICE ESTABLISHMENT/TINY UNIT

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स [illegible]
This is to certify that M/s. ___
स्वामित्व/साझेदारी/प्राइवेट लिमिटेड/सहकारी समिति/अन्य
Proprietary/partnership/Pvt. Ltd./Co-operative Society/others ___

(कार्यालय का पता)
(Office Address)

[illegible] रोड, मुरादाबाद।

नीचे दी गई संख्या और तारीख के अधीन लघु/सहायक उद्योग उपक्रम/लघु सेवा स्थापना/अति लघु इकाई के रूप में स्थायी रूप से पंजीकृत है :— ___ is
Permanently Registered as Small Scale/Ancillary Undertaking/Small Service Establishment/Tiny Unit Under the Number and date Given Hereunder—

संख्या
Number

तारीख
Date

| - | - | - | - | 0 | 7 | 7 | 9 | 1 | 1 |

| 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 |

रोड
[illegible] मुरादाबाद।

for the factory located at ___ में स्थित फैक्ट्री के लिए

(पूरा पता)
(Full address)

निम्नलिखित मदों के निर्माण/प्रक्रिया के लिए :—
for the manufacture/processing of the following items :—

मदें

बाथ एण्ड [illegible] आर्ट वेयर्स,
एल्यूमीनियम आर्ट वेयर, आयरन आर्ट वेयर्स
[illegible] वेयर, [illegible], [illegible] स्टैण्ड,
[illegible]
[illegible] स्टील एवं एल्यूमीनियम [illegible]

वार्षिक उत्पादन क्षमता

मूल्यानुसार रुपये 9.0 करोड़

संशोधन
दिनांक 4.8.2000

1. वाटर आर्टवेयर्स एण्ड [illegible], स्टेनलेस स्टील कटलरी एवं [illegible] आर्टिकल्स

उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि
1.4.1997

[signature, stamp] District Industries Centre MORADABAD

उत्पादन प्रारम्भ होने की तारीख (जहां भी लागू हो)
Date of commencement of production (wherever applicable) — 1- ग्रास ग्रेड [illegible] ATC पेपर 2- [illegible] ATC पेपर [illegible] 3- [illegible] 4- [illegible] ATC पेपर — 4-1-86 / 19-11-90

45

स्थान : मुरादाबाद।
Place :

Desp. No. → 7098
Dt → 27-10-93

तारीख : 26-10-93
Date :

General Manager
संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/उद्योग/सहायक निदेशक, उद्योग
महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र
Jt. Dir/Dy. Dir. Ind/Asstt. Dir. Industries,
General Manager, DIC

(मोहर)
(Seal)

टिप्पणी : (1) यह पंजीकरण इस प्रमाण-पत्र के आवंटन के समय फैक्ट्री की स्थिति, उत्पाद, और इकाई की संघटना के लिए वैध है।

NB : This registration is valid for the factory location, products and the constitution of the unit at the time of allotment of this Certificate.

(2) यदि उद्योग आयुक्त/निदेशक के मतानुसार किसी दुरुपयोग अथवा अनधिकृत व्यपवर्तन का मामला बनता है तो पंजीकरण को निरस्त/रद्द किया जा सकता है।
This registration is liable to revocation or cancellation in the event of any misuse or unauthorised diversion as determined by the Industries Commissioner/Director.

(3) यह पंजीकरण प्रमाण-पत्र सुरक्षित रखा जाए और इसे किसी प्रकार के परिवर्तन, जैसे उत्पाद की नई वस्तुओं, स्थान के बदलाव आदि की प्रविष्टि के लिए प्रस्तुत करना होगा।
This registration certificate should be kept in safe custody and will have to be produced for incorporating any changes like new item of products, change of location etc.

(4) इस अन्तिम पंजीकरण प्रमाण-पत्र द्वारा इकाई को इस प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर उपर्युक्त वस्तुओं का निर्माण करने के लिए दिये गए सभी पिछले अस्थायी अथवा स्थायी पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द हो गए हैं।
This final registration certificate cancels all previous provisional or permanent registration certificates granted to this unit for items mentioned above for the location mentioned in this Certificate.

केवल कार्यालय उपयोग के लिए
For Office Use Only

अतिरिक्त वस्तुओं के लिए
For Additional Items

वस्तु Item	पंजीकरण की तारीख Date of Regn. अस्थायी Prov.	स्थायी Pmt.	हस्ताक्षर और मोहर Signature & Stamp

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Annexure No. '5'

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO.   OF 2021

(Under Article 226 of the Constitution of India)

(District –Moradabad)

M/s Designco, Laakadi, Faazalpur.

.... ***Petitioner***

Versus

State of U. P. and 3 Others.

.... ***Respondents***

[P. T. O.]

AWARDS & RECOGNITION

AWARDS AND ACCOLADES

Designco has been awarded through prestigious awards in a number of categories, such as;

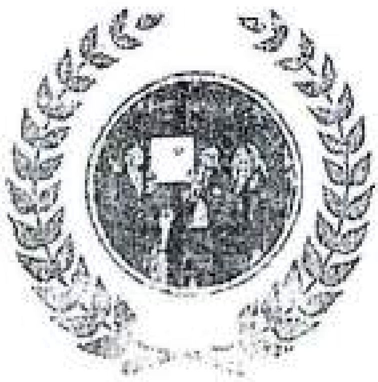

TOP EXPORT AWARD
(HANDICRAFTS)

EXCELLENT EXPORT AWARD

EXCELLENT EXPORT GROWTH
AWARD (IRON)

OUTSTANDING NATIONAL EXPORT PERFORMANCE
(ALUMINUM ART WARE)

49

OUTSTANDING NATIONAL EXPORT PERFORMANCE
(ART METAL WARE)

TOP EXPORT AWARD
(ART METAL)

OUR COMPANY

About Us (../index.html)
Vision (../vision-values-covenants/index.html)
Ethics & Compliance (../ethics-compliance/index.html)
Code of Conduct (../code-of-conduct.html)
Awards (index.html)
Our Offices (../offices/index.html)

OUR GROUP BUSINESSES

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Annexure No. '6'

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. OF 2021

(Under Article 226 of the Constitution of India)

(District –Moradabad)

M/s Designco, Laakadi, Faazalpur.

.... *Petitioner*

Versus

State of U. P. and 3 Others.

.... *Respondents*

[P. T. O.]

Item No. 05

Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 303/2020

Shailesh Singh

Applicant

Versus

M/s. Designco, Moradabad & Ors.

Respondent(s)

Date of hearing: 07.01.2021

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. NAGIN NANDA, EXPERT MEMBER

ORDER

1. Grievance in this application is encroachment on river Gagan and Ram Ganga at Moradabad. The applicant has mentioned names of M/s Designco, M/s Lohia Brass, M/s Dewan & Sons, M/s C.L. Gupta & Sons, M/s C.L. Gupta & Sons Farm House, Mining Contractor- Shri Mahipal Singh, Tirupati Builders, M/s Sai Creation and M/s Horizon Impex, District Moradabad, U.P. as the encroachers.

2. We find the application to be deficient in relevant particulars. At the same time, there are serious allegations. In these circumstances, instead of straightaway entering upon adjudication of the grievance, we consider it appropriate to direct a joint Committee of District Magistrate Moradabad, Irrigation & Water Resources Department, Moradabad and the State PCB to look into the matter and take further appropriate action, in accordance with law. The State PCB will be the nodal agency for compliance and coordination.

The application is disposed of.

A copy of this order be forwarded to District Magistrate Moradabad, Irrigation & Water Resources Department, Moradabad and the State PCB by e-mail for compliance.

Adarsh Kumar Goel, CP

S.K. Singh, JM

Dr. Nagin Nanda, EM

January 07, 2021
O.A. No. 303/2020
A

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Annexure No. '7'

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. OF 2021

(Under Article 226 of the Constitution of India)

(District –Moradabad)

M/s Designco, Laakadi, Faazalpur.

.... *Petitioner*

Versus

State of U. P. and 3 Others.

.... *Respondents*

[P. T. O.]

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,

बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),

मुरादाबाद।

पत्रांक– सी 46/बाखमु/शि/ दिनांक 28/03/2021

विषय :–माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–303/2020, शैलेश सिंह बनाम मैंसर्स डिजाइनको एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद के कार्यालय के पत्रांक7100/एन0–13/303/2020, दिनांक 25.01.2021 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नयी दिल्ली के ओ0ए0 संख्या–303/2020 शैलेश सिंह बनाम मेंसर्स डिजाइनको एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 के अनुपालन हेतु अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) मुरादाबाद (अध्यक्ष), नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद, सचिव, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद, उपायुक्त, उघोग जिला उघोग केन्द्र, मुरादाबाद अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, सिचांई विभाग, मुरादाबाद, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, मुरादाबाद की समिति प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेख एवं स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु गठित की गई। प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखों एवं स्थलीय निरीक्षण दिनांक 17.03.2021 के आधार पर आख्या निम्नवत् है :...

इकाई मेंसर्स डिजाइनको एवं अन्य फर्म ग्राम लाकडी फाजलपुर, तहसील व जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत अवस्थित है, जो वर्तमान में नगर निगम, की सीमान्तर्गत है। ग्राम लाकडी फाजलपुर तहसील व जिला मुरादाबाद की राजस्व खतौनी वर्ष फसली 1428–1431 की गाटा संख्या–424 की गाटा संख्या–1712/0.040, 1713/0.0120, 1799/0.1900, 1815अ/0.3840. 1441/1/0.0730, 1395/3/0.2140, 1725ब/0.0240, 1726ब/0.0140, 1726/1/0.0120, 1727/0.0570, 1772/1/0.1420, 1725अ/0.024, 1726मि0/0.2510 कुल किता रकबा, डिजाइनको, ग्राम लाकडी फाजलपुर मुरादाबाद द्वारा पार्टनर श्री विनय कुमार गुप्ता पुत्र श्री नारायण कुमार गुप्ता, निवासी–131, लाजपत, नगर मुरादाबाद

के नाम संक्रमण भूमिधर दर्ज है। खाता संख्या–427 की गाटा संख्या– 1491/0.2550, 1444/2/0.1700, 1711/1/0.3160, 1790/1/0.1580, 1705/0.3400, 1431/2/0.0400, 1395/1/0.0810, 1428/0.1450, 1707/0.0280, 1708/0.0490, 1709/0.0570, 1710/0.2060, कुल 12 किता रकबा 1.8450 हेक्ट0, डिजाइनको ग्राम लाकडी फाजलपुर, मुरादाबाद द्वारा पार्टनर श्री विपिन कुमार गुप्ता पुत्र श्री नारायण कुमार गुप्ता, निवासी–131–लाजपतनगर, मुरादाबाद एवं खाता संख्या– 1169 की गाटा संख्या–1395/1/0.1410, श्री विपिन कुमार गुप्ता पुत्र श्री नारायण कुमार गुप्ता, निवासी 131–लाजपत नगर, मुरादाबाद के नाम संक्रमण भूमिधर दर्ज है। खाता संख्या–428 की गाटा संख्या–1369/1/0.1780, 1350/0.0400, 1356/1/0.0400, 1385/1/0.0810, 1386/1/0.0450, 1393/2/0.0320, 1394/2/0.2360, 1396/2/0.0400, 1395/1/0.1010, 1396/1/0.0970, 1406/2/0.01610, 1307/0.0160, 1392/0.0810, कुल 13 किता रकबा 1,0500 हैक्ट0 श्रेणी 1–क/भूमि जो संक्रमणीय भूमिधर के अधिकार में है, के अन्तर्गत डिजाइनको लाकडी फाजलपुर, मुरादाबाद द्वारा पार्टनर श्री विनोर कुमार गुप्ता/श्री नारायण कुमार गुप्ता, निवासी–31, लाजपत नगर, मुरादाबाद के नाम दर्ज है।

उपरोक्त गाटा संख्याओं में मेसर्स डिजाइनको, फैक्ट्री अवस्थित है तथा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत कृषि भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किया गया है। ग्राम लाकडी फाजलपुर तहसील व जिला मुरादाबाद की राजस्व खतौनी फसली वर्ष 1326–1431 की ,ाता संख्या 1720 की गाटा संख्या–1395/2/0.3340 हैक्ट0 श्रेणी6–1, जलमग्न भूमि नदी में अंकित है। गाटा संख्या–1395 में मेसर्स डिजाइनको एवं किसानों के स्वामित्व वाली भूमि गांगन नदी के उत्तर दिशा में मैंसर्स डिजाइनको की बाउण्ड्री और नही के मध्य में खाली पडी है। मेसर्स डिजाइनको फैक्ट्री का निर्माण मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 25.08.1988 को मानचित्र स्वीकृत कराकर भूमिधरी, श्रेणी–01 जमीन पर किया गया है।

गांगन नदी एक बरसाती नदी है। मानसून काल में अत्यधिक वर्षा का अतिरिक्त पानी प्रवाहित होता है। वर्तमान में नदी प्राकृतिक रूप में प्रवाहित हो रही है तथा प्रवाह मार्ग में किसी प्रकार का अवैध अतिक्रमण नहीं है।

ह0 अपठनीय 28/02/21

अधिशासी अभियन्ता,

बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद।

–सत्यप्रतिलिपि–

56

अधिशासी अभियन्ता
बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद

प्रेषित,

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
मुरादाबाद

पत्रांक- C-56 /बाखमु/शि /

दिनांक 28/03/ 2021

विषय- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-303/2020, शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनको एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद के कार्यालय के पत्रांक-100/एन0-13/303/2020, दिनांक 25.01.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के ओ0ए0 संख्या-303/2020 शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनको एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 के अनुपालन हेतु अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) मुरादाबाद(अध्यक्ष), नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद, सचिव मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद, उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग केन्द्र मुरादाबाद, अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, सिंचाई विभाग, मुरादाबाद, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड मुरादाबाद की समिति प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेख एवं स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु गठित की गई। प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखों एवं स्थलीय निरीक्षण दिनांक 17.03.2021 के आधार पर आख्या निम्नवत है-

इकाई मैसर्स डिजाइनको एवं अन्य फर्म ग्राम लाकडी फाजलपुर, तहसील व जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत अवस्थित है, जो वर्तमान में नगर निगम की सीमान्तर्गत है। ग्राम लाकडी फाजलपुर तहसील व जिला मुरादाबाद की राजस्व खतौनी वर्ष फसली 1426-1431 की खाता संख्या-424 की गाटा संख्या- 1712/0.0400, 1713/0.0120, 1799/0.1900, 181531/ 0.3540, 1441/1/0.0730, 1395/3/0.2140, 1725ब/0.0240, 1726ब/ 0.0140, 1726/1/0.0120, 1727/0.0570, 1772/1/0.1420, 1725अ/0.024, 1776मि0/0.0140, 1776मि0/0.2510 कुल 14 किता रकबा, डिजाइनको, ग्राम लाकडी फाजलपुर मुरादाबाद द्वारा पार्टनर श्री विनय कुमार गुप्ता पुत्र श्री नारायण कुमार गुप्ता, निवासी 131-लाजपतनगर, मुरादाबाद के नाम संक्रमण भूमिधर दर्ज है। खाता संख्या-427 की गाटा संख्या-1491/0.2550, 1444/2/0.1700, 1711/1/0.8160, 1790/1/0.1500, 1705/0.3400, 1431/2/0.0400, 1395/1/0.0810, 1428/0.1450, 1707/0.0280, 1708/0.0490, 1709/0.0570, 1710/0.2080 कुल 12 किता रकबा 1.0450 हैक्टे0, डिजाइनको, ग्राम लाकडी फाजलपुर, मुरादाबाद द्वारा पार्टनर श्री विपिन कुमार गुप्ता पुत्र श्री नारायण कुमार गुप्ता, निवासी 131-लाजपतनगर, मुरादाबाद एवं खाता संख्या-1169 की गाटा संख्या- 1395/1/0.1410, श्री विपिन कुमार गुप्ता पुत्र श्री नारायण कुमार गुप्ता, निवासी 131-लाजपतनगर, मुरादाबाद के नाम संक्रमण भूमिधर दर्ज है। खाता संख्या-420 की गाटा संख्या-1389/1/0.1790, 1390/0.0400, 1350/1/0.0400, 1385/1/0.0810, .6/1/0.0460, 1393/2/0.0320, 1394/2/0.2300, 1396/2/0.0400, 1395/1/0.1010, 1398/1/0.0970, 1406/2/0.01610, 1307/0.0160, 1392/0.0810 कुल 13 किता रकबा 1.0500 हैक्टे0 श्रेणी 1-क/भूमि जो संक्रमणीय भूमिधर के अधिकार में है, के अन्तर्गत डिजाइनको लाकडी फाजलपुर मुरादाबाद द्वारा पार्टनर श्री किशोर कुमार गुप्ता / श्री नारायण कुमार गुप्ता, निवासी 31-लाजपतनगर, मुरादाबाद के नाम दर्ज है।

उपरोक्त गाटा संख्याओं में मैसर्स डिजाइनको, फैक्ट्री अवस्थित है तथा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत कृषि भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किया गया है। ग्राम लाकडी फाजलपुर, तहसील व जिला मुरादाबाद की राजस्व खतौनी फसली वर्ष 1426-1431 की खाता संख्या 1720 की गाटा संख्या-1395/2/0.3340 हैक्टे0 श्रेणी 6-1, जलमग्न भूमि नदी में अंकित है। गाटा संख्या-1395 में मैसर्स डिजाइनको एवं किसानों के स्वामित्व वाली भूमि गांगन नदी के उत्तर दिशा में मैसर्स डिजाईनको की बाउन्ड्री और नदी के मध्य में खाली पड़ी है। मैसर्स डिजाईनको फैक्ट्री का निर्माण मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 26.06.1988 को मानचित्र स्वीकृति करवाकर भूमिधरी, श्रेणी-01 जमीन पर किया गया है।

गांगन नदी एक बरसाती नदी है। मानसून काल में अत्यधिक वर्षा होने पर वर्षा का अतिरिक्त पानी प्रवाहित होता है। वर्तमान में नदी प्राकृतिक रूप में प्रवाहित हो रही है तथा प्रवाह मार्ग में किसी प्रकार का अवैध अतिक्रमण नहीं है।

28/03/21
अधिशासी अभियन्ता
बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद
28/03/2021

मा0 2021

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Annexure No. '8'

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. OF 2021

(Under Article 226 of the Constitution of India)

(District –Moradabad)

M/s Designco, Laakadi, Faazalpur.

.... Petitioner

Versus

State of U. P. and 3 Others.

.... Respondents

[P. T. O.]

महत्वपूर्ण / समयबद्ध / ई–मेल।

कार्यालय आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।

संख्या 55 / 15–70 (2020–21) जे0ए0

दिनांक 23 अक्टूबर 2021

विषय :– गांगन नदी (मुरादाबाद) किनारे अवैध अतिक्रमण / निर्माण के संबंध में

अधिशासी अभियन्ता,
बाढ़ खण्ड,
मुरादाबाद।

उपरोक्त विषयक कुँवर सर्वेश कुमार पूर्व संसद सदस्य (लोक सभा) मुरादाबाद, श्री विकास जैन, सदस्य, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद निवासी– राम बिहार कालोनी कचहरी कम्पाउन्ड, मुरादाबाद श्री ओमवीर सिंह (एडो0) प्रदेश, अध्यक्ष (प0 उ0 प्र0) अध्यक्ष बाबा हरदेव सिंह डिग्री कालेज मण्डी धनौरा, अमरोहा एवं सैनी प्रगतिशील समाज, मुरादाबाद के पत्र दिनांक 20.10.2021 (छाया प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा गांगन नदी (मुरादाबाद) के किनारे पर अवैध अतिक्रमण / निर्माण को हटवाये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि उपरोक्त वर्णित पत्र दिनांक 20.10.2021 में उल्लिखित बिन्दुओं पर जॉच कराकर गांगन नदी (मुरादाबाद) के किनारे अवैध अतिक्रमण / निर्माण को चिहिन्त कर अनाधिकृत अतिक्रमण को हटवाना सुनिश्चित करें तथा प्रगति से दो दिन में अधोहस्ताक्षरी को अवगत करावें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(आन्जनेय कुमार सिंह)
आयुक्त

संख्या व दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मुरादाबाद।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद।
3. उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।

ह0 अपठनीय,
(आन्जनेय कुमार सिंह)
आयुक्त

–सत्यप्रतिलिपि–

कार्यालय आयुक्त मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।

संख्या [illegible] /15-70 (2020-21) [illegible]   दिनांक [illegible] अक्टूबर [illegible]

विषय- गांगन नदी (मुरादाबाद) [illegible] /निर्माण के [illegible]

अधिशासी अभियन्ता,
बाढ़ खण्ड,
मुरादाबाद।

उपरोक्त विषयक कुँवर सर्वेश कुमार पूर्व संसद सदस्य (लोक सभा) मुरादाबाद, श्री विकास जैन, सदस्य, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद, निवासी राम विहार कॉलोनी कचहरी कम्पाउण्ड, मुरादाबाद, श्री ओमवीर सिंह [illegible] 3000) अध्यक्ष-[illegible] हरदेव सिंह डिग्री कालेज मण्डी धनौरा, अमरोहा एवं श्री [illegible], मुरादाबाद के पत्र दिनांक 20-10-2021 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा गांगन नदी (मुरादाबाद) के किनारे पर अवैध अतिक्रमण/निर्माण को [illegible] का अनुरोध किया गया है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि उपरोक्त वर्णित पत्र दिनांक 20-10-2021 में उल्लिखित बिन्दुओं पर जाँच करवाकर गांगन नदी (मुरादाबाद) के किनारे अवैध अतिक्रमण/निर्माण को चिन्हित कर अनाधिकृत अतिक्रमण को हटवाना सुनिश्चित करें तथा [illegible] दिन में अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

(आन्जनेय कुमार सिंह)
आयुक्त

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- जिलाधिकारी, मुरादाबाद।
2- नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद।
3- उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।

(आन्जनेय कुमार सिंह)
आयुक्त

[illegible]

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Annexure No. '9'

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. OF 2021

(Under Article 226 of the Constitution of India)

(District –Moradabad)

M/s Designco, Laakadi, Faazalpur.

.... ***Petitioner***

Versus

State of U. P. and 3 Others.

.... ***Respondents***

[P. T. O.]

कार्यालय सहायक अभियन्ता

बाढ़ उपखण्ड–द्वितीय, मुरादाबाद

नोटिस

पत्रांक :– सी–241/रा0310–2/नोटिस मुकदमा दिनांक 27/10/2021

विषय–नोटिस/सूचना नदियों के बाढ़ क्षेत्र (फलड प्लेन जोन) में अवैध निर्माणों के सम्बन्ध में।

मैसर्स/श्री प्रबन्धक, डी0 सी0 डिजाइनको पिता का नाम श्री ....निवासी–लाकडी फाजलपुर, तह0 व जिला मुरादाबाद। थाना मंझोला जिला मुरादाबाद को नोटिस द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा गांगन नदी के बाढ क्षेत्र/डूब क्षेत्र (फलड प्लेन जोन) ग्राम लाकडी फाजलपुर, मुरादाबाद में फैक्ट्री का का निर्माण किया गया है जो कि अवैध है। बाढ़ के समय इस निर्माण के क्षतिग्रस्त होने से अप्रत्याशित जनधन की हानि हो सकती है। सिंचाई विभाग जिला प्रशासन या शासन किसी भी स्थिति में इस निर्माण कार्य को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है। इस निर्माण से नदी का बहाव परिवर्तित हो सकता है। उक्त अवैध निर्माण को हटाने हेतु इस कार्यालय द्वारा आपको पूर्व में भी कई बार सूचित किया जा चुका है लेकिन अभी तक आपके द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाया गया।

अतः आप स्वयं इस निर्माण को तीन दिवस नें हटा लें यदि आपके द्वारा अवैध निर्माण तीन दिवस में नहीं हटाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में शासनादेश सं0 1417बी/09–27–सिं0–02–181बाढ़/09, दिनांक 16.03.2010 के अन्तर्गत अवैध निर्माण हटाते हुए आपके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। अवैध निर्माण हटाने में की गई कार्यवाही के दौरान किसी प्रकार की जन–धन की हानि एवं होने वाले हर्जे–खर्चे के आप स्वयं उत्तरदायी होंगें।

ह0 अपठनीय

सहायक अभियन्ता

बाढ उपखण्ड–द्वितीय, मुरादाबाद

27/10/21

–सत्यप्रतिलिपि–

62

कार्यालय सहायक अभियन्ता
बाढ़ उपखण्ड–द्वितीय, मुरादाबाद

नोटिस

पत्रांक :– C-251 /सा0अ0–2/नोटिस मुकदमा

विषय:– नोटिस/सूचना नदियों के बाढ़ क्षेत्र (फ्लड प्लेन जोन) में अवैध निर्माणों के सम्बन्ध में। दिनांक :– 27/10/2021

मैसर्स/श्री पवनदीप, डी०सी० डिजाइनर्स पिता का नाम श्री — निवासी लाकड़ी फाजलपुर तह० व जिला मुरादाबाद। थाना मंझोला जिला मुरादाबाद को इस नोटिस द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा गांगन नदी के बाढ़ क्षेत्र/डूब क्षेत्र (फ्लड प्लेन जोन) ग्राम लाकड़ी फाजलपुर मुरादाबाद में बाउन्ड्री वाल का निर्माण किया गया है जो कि अवैध है। बाढ़ के समय इस निर्माण के क्षतिग्रस्त होने से अप्रत्याशित जनधन की हानि हो सकती है। सिंचाई विभाग जिला प्रशासन या शासन किसी भी स्थिति में इस निर्माण कार्य को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान नही कर सकता है। इस निर्माण से नदी का बहाव परिवर्तित हो सकता है। उक्त अवैध निर्माण को हटाने हेतु इस कार्यालय द्वारा आपको पूर्व में भी कई बार सूचित किया जा चुका है लेकिन अभी तक आपके द्वारा अवैध निर्माण नही हटाया गया।

अतः आप स्वयं इस निर्माण को तीन दिवस में हटा लें यदि आपके द्वारा अवैध निर्माण तीन दिवस में नहीं हटाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में शासनादेश सं0 1417बी/09–27–सिं0–2–181 बाढ़/09, दिनांक 16.03.2010 के अन्तर्गत अवैध निर्माण हटाते हुये आपके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। अवैध निर्माण को हटाने में की गई कार्यवाही के दौरान किसी प्रकार की जन–धन की हानि एवं होने वाले हर्जे–खर्चे के आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

सहायक अभियन्ता
बाढ़ उपखण्ड–द्वितीय, मुरादाबाद
27/10/21

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Annexure No. '10'

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. OF 2021

(Under Article 226 of the Constitution of India)

(District –Moradabad)

M/s Designco, Laakadi, Faazalpur.

.... *Petitioner*

Versus

State of U. P. and 3 Others.

.... *Respondents*

[P. T. O.]

सेवा में,

64

सहायक अभियन्ता,

बाढ़ उपखण्ड–द्वितीय, मुरादाबाद।

दिनांक 30.10.2021

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या सी–241/सं0अ0–2/दिनांक 27.10.2021, जो दिनांक 29.10.2021 की अपराह्न में प्राप्त हुआ है का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें।

उपरोक्त पत्र के कम में आपको पुनः स्मरण कराना है कि वर्णित विषय के सम्बन्ध में आपके द्वारा पत्र संख्या 23/स0 अधि0/अतिकमण दिनांक 19.01.2017 के माध्यम से उप जिलाधिकारी महोदय, सदर मुरादाबाद के द्वारा भौतिक रूप से स्थलीय नाप–खोज करायी गयी थी तदउपरान्त डिजाइनको का किसी प्रकार का कोई अवैध निर्माण/अतिकमण नहीं पाया गया था। (छाया प्रति संलग्न)

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली ओ0ए0 303/2020, शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनको एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 07.01.2021 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद द्वारा स्थलीय जॉच समिति गठित की गयी थी। जिसमें आप स्वयं भी स्थलीय जॉच समिति के सदस्य थे।

जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद द्वारा गठित, जॉच समिति के द्वारा दिनॉक 17.03.2021 को संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया था जिसमें आप स्वयं भी स्थल पर जॉच समिति के साथ उपस्थित थे। स्थलीय निरीक्षण करने के उपरान्त संयुक्त जॉच समिति के द्वारा डिजाइनको का गांगन नदी की भूमि पर कोई अवैध निर्माण/अतिकमण नहीं पाया गया है। (छाया प्रतियॉ संलग्न)

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यहीन एवं निराधार नोटिस को न्याय हित में निरस्त करने की कृपा करें।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार

65

भवदीय,

ह0 अपठनीय

(वी0 के0 गुप्ता)

डिजाइनको,

लाकड़ी फाजलपुर मुरादाबाद

--सत्यप्रतिलिपि--

66

सेवा में

सहायक अभियन्ता,

बाढ़ उपखण्ड–द्वितीय,मुरादाबाद।

दिनाँक 30.10.2021

महोदय,

कृप्या अपने कार्यालय के पत्र संख्या सी–241/सं0अ0–2/दिनाँक 27.10.2021, जो दिनाँक 29.10.2021 की अपराह्न में प्राप्त हुआ है का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें।

उपरोक्त पत्र के कम में आपको पुनः स्मरण कराना है कि वर्णित विषय के संम्बन्ध में आपके द्वारा पत्र संख्या 23/ स0अधि0/ अतिक्रमण दिनाँक 19.01.2017 के माध्यम से उप जिलाधिकारी महोदय, सदर मुरादाबाद के द्वारा भैतिक रुप से स्थलीय नाप–खोज करायी गयी थी तद्उपरान्त डिजाइनको का किसी प्रकार का कोई अवैध निर्माण/अतिकमण नही पाया गया था। (छाया प्रति संलग्न)

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली ओ0ए0 303/2020, शैलेश सिंह वनाम मैसर्स डिजाइनको एवं अन्य में पारित आदेश दिनाँक 07.01.2021 के अनुपालन मे जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद द्वारा जाँच समिति गठित की गयी थी। जिसमें आप स्वयं भी स्थलीय जाँच समिति के सदस्य थे।

जिलाधिकारी महोदय मुरादाबाद द्वारा गठित, जाँच समिति के द्वारा दिनाँक 17.03.2021 को संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया था जिसमें आप स्वयं भी स्थल पर जाँच समिति के साथ उपस्थित थे। स्थलीय निरीक्षण करने के उपरान्त संयुक्त जाँच समिति के द्वारा डिजाइनको का गागन नदी की भूमि पर कोई अवैध निर्माण/अतिकमण नही पाया गया है। (छाया प्रतियाँ संलग्न)

अतः आपसे विन्रम अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यहीन एवं निराधार नोटिस को न्याय हित में निरस्त करने की कृपा करें।

संलग्नकः–उपरोक्तनुसार

भवदीय

VK

(वी0के0 गुप्ता)

डिजाइनको

लाकड़ी फाजलपुर मुरादाबाद

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Annexure No. '11'

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO.   OF 2021

(Under Article 226 of the Constitution of India)

(District – Moradabad)

M/s Designco, Laakadi, Faazalpur.

.... ***Petitioner***

Versus

State of U. P. and 3 Others.

.... ***Respondents***

[P. T. O.]

महोदय,

संलग्न पत्र कार्यालय सहायक अभियन्ता, बाढ़ खण्ड द्वितीय, मुरादाबाद पत्रॉक 23/स0अद्वि0/अतिक्रमण दिनॉक 19/01/2017 विषय जिसमें गांगन नदी पर अवैध निर्माण को हटाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करने का निवेदन किया गया है। जिसके सम्बन्ध में आपके द्वारा नियमानुसार जॉच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। उक्त के कम में ग्राम लाकडी फाजलपुर में डिजाइनको कम्पनी व गागन नदी की जॉच की गई। जॉच आख्या निम्न प्रकार है :–

डिजाइनको कम्पनी ग्राम लाकडी फाजलपुर में मिनी बाई पास के किनारे स्थित है। जो कि पश्चिम दिशा में पीछे तक है। डिजाइनको कम्पनी के पीछे गांगन नदी बह रही है। शजरा अनुसार गांगन नदी दिल्ली रोड पर स्थित गांगन पुल से सीधे बह रही है। जबकि मौके पर उक्त नदी शजरा अनुसार न बह कर थोडी टेढी–मेढी बह रही है। परन्तु ग्राम के शजरे अनुसार डिजाइनको कम्पनी का नदी पर अवैध निर्माण परिलक्षित नहीं होता है। जबकि सहायक अभियन्ता बाढ ने अपने पत्र में गागन नदी पर अवैध निर्माण को हटाने हेतु लिखा है। लेकिन यह नहीं लिखा है कि नदी के कितने भाग पर अवैध निर्माण है। जिसे हटाया जा सके। अतः अवैध निर्माण सहायक अभियन्ता के पत्र में स्पष्ट नहीं है। जबकि डिजाइनको के पाटनर श्री वी0केगुप्ता ने अपने लिखित पत्र में कहा है कि हमारी दूसरी इकाई का निर्माण मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा 25.09.1988 को निर्माण स्वीकृत कराने के पश्चात् ही किया गया था/व करा है कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की नया मुरादाबाद आवासीय योजना को सुरक्षित करने के उद्देश्य से बाढ़ खण्ड विभाग की सहमति से मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नही के दूसरे किनारे पर तटबंध बनाकर नदी के घुमाव को परिवर्तित किया गया है व अन्त में यह भी कहा है कि नदियों में जल स्तर बढने पर पानी की धारा का

प्रवाह भी बदलता रहता है। और नदियां अपने स्थान परिवर्तित करती रहती है। जब हमारे द्वारा फैक्ट्री की बाउन्ड्री बनाई गई थी तब गागन नदी सैकडो मीटर दूर बहती थी। जिसके अवशेष आज भी मौजूद है और वर्तमान में भी नदी हमारी दीवार से काफी दूर बह रही है। अंत में नोटिस निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है।

अतः महोदय, उक्त ग्राम के राजस्व रिकार्ड के अनुसार गागन नदी शजरे अनुसार नहीं बह रही है। ग्राम के शजरे के अनुसार नदी के किनारे स्थित संप्रेमण भूमि कर भूमि पर घनी आबादी/फैक्ट्री बनी है। जिसकी स्पष्ट पैमाइश सम्भव नहीं है, लेकिन शजरे अनुसार डिजाइनको का नदी पर अवैध निर्माण परिलक्षित नहीं होता है। आख्या सभी संलग्नको सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में सादर प्रेषित है।

ह0 अपठनीय 20/03/2017

महोदय,

लेखपाल की स्थलीय अभिलेखीय जॉच आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित। ह0 अपठनीय 20/03/2017

उपजिलाधिकारी, सदर, मुरादाबाद।

महोदय,

उपरोक्त प्रकरण की जॉच आख्या रा0 नि0/लेखपाल द्वारा करायी गयी जो मूल रूप से संलग्न कर सेवा में सादर आश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

ह0 अपठनीय 01/04/2017

–सत्यप्रतिलिपि–

महोदय

[illegible]

P.T.O

पक्की नाली / कैनाल बनी है। जिसकी स्पष्ट जैसा [illegible] नहीं है/ लेकिन शजरे अनुसार [illegible] की कार्यवाही प्र० [illegible] किया [illegible] नहीं है। "ओदेश" [illegible]

सादर प्रेषित है।

[illegible]

[illegible]/2017

[illegible] [illegible] [illegible]

हेतु जांच के बावत प्रेषित

[illegible]

उपजिलाधिकारी [illegible]

[illegible]

[illegible]

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Annexure No. '12'

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. OF 2021

(Under Article 226 of the Constitution of India)

(District – Moradabad)

M/s Designco, Laakadi, Fazalpur.

.... *Petitioner*

Versus

State of U. P. and 3 Others.

.... *Respondents*

[P. T. O.]

सेवा में

अधिशासी अभियन्ता,
बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद।

विषयः– जनपद मुरादाबाद की सदर तहसील के राजस्व ग्राम लाकडी फाजलपुर में "गागन" नदी के बांयी ओर नदी के आराजी नम्बरान पर "डिजाइनको" द्वारा कथित रुप से अनाधिकार कब्जा/अतिक्रमण करने अथवा निर्माण किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या 2070/बाखमु/दिनाँक 30.10.2021 का सादर सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो जिलाधिकारी, मुरादाबाद महोदय को सम्बोधित तथा आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद और अधीक्षण अभियन्ता, सिचाई कार्य मण्डल, मुरादाबाद अदि को पृष्ठांकित हैं। इस पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि आयुक्त महोदय, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद के पत्रांक 828/15–70 (2020–21)जे0ए0 प्रथम दिनाँक 30.07.2021 एवं पत्रांक 53/15–70 (2020–2021)जे0ए0 दिनाँक 25.10. 2021 तथा कार्यालय जिलाधिकारी, मुरादाबाद के पत्र संख्या –760/जि0भू व्य0 सहा0/2021–2022 दिनाँक 18.09.2021 के अनुपालन में एक संयुक्त टीम के साथ अभियान चलाकर गागन नदी के बांये किनारे पर अवैध निर्माण को हटाने का निर्णय लिया गया है। अवैध निर्माण को हटाने के लिए निर्धारित की गयी तिथी (16.11.2021) में उक्त अवैध निर्माण "डिजाइनको, लाकडी फाजलपुर" द्वारा किया जाना दर्शाया गया है। इस पत्र की जानकारी प्रार्थी को आज दिनाँक 22.11.2021 को ही प्राप्त हुई है।

(1) बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद के उक्त पत्र संख्या 2070 के पृष्ठांकन कमांक 12 पर यह पत्र सहायक अभियन्ता, बाढ़ उप खण्ड द्वितीय, मुरादाबाद को अवैध निर्माण को चिन्हित करने एवं नोटिस की कार्यवाही करने हेतु पृष्ठांकित किया गया है। यहाँ यह उल्लेख किया जाना अप्रासंगिक नहीं होगा कि एक ओर तो अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपनी स्थलीय जांच आख्या में प्रार्थी का कोई अवैध अतिक्रमण गागन के कथित क्षेत्र में न पाया जाना दर्शाया गया है और दूसरी ओर किसी कुचक्र के तहत प्रश्नगत असंवैधानिक कार्यवाही प्रचलित की गयी है। वस्तुतः सहायक अभियन्ता श्री सुभाष चन्द्रा के स्वेच्छाचारितापूर्ण कुचक्र के वशीभूत वर्तमान कार्यवाही की गयी प्रतीत होती है जो विगत लगभग पाँच वर्षो से प्रार्थी को स्वार्थ–हित हेतु निरन्तर प्रताड़ित कर रहा है।

(2) बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद के उक्त पत्र संख्या 2070 से स्वतः स्पष्ट है कि अभी तक किसी सक्षम शासकीय संस्था द्वारा यह सुनिश्चित नही किया गया है कि किन गाटा संख्याओं पर 'डिजाइनको" द्वारा अवैध कब्जा/अवैध निर्माण किया गया है और न ही इस संदर्भ में "डिजाइनको" को आज दिनांक तक कोई नोटिस निर्गत की गयी है ताकि प्रार्थी सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके।

(3) प्रार्थी को अपने देश के संविधान में गहरी आस्था है तथा नियमों का पालन करते हुए अपना व्यवसाय चलाता है और चलाना चाहता है। प्रार्थी का कब्जा केवल उसके द्वारा क्रय की गयी भूमि पर ही है। प्रार्थी अपनी वचनबद्धता प्रदर्शित करता है कि यदि उसके स्टाफ द्वारा नदी के क्षेत्रफल पर या अन्य किसी शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने का तथ्य संज्ञान में लाया जाएगा तो वह स्वयं ही अपना कब्जा हटा लेगा परन्तु यहाँ यह स्पष्ट करना समीचीन होगा कि प्रार्थी/ डिजाइनको का किसी ऐसी आराजी पर कब्जा नही है जो "अवैध कब्जा" की श्रेणी में आता हो।

उपर्युक्त के क्रम में प्रार्थी उपर्युक्त के क्रम मे प्रार्थी आपके कृपापूर्ण संज्ञान में यह तथ्य भी लाना चाहता है कि **Q.A. NO. 303/2020**, शैलेश सिंह बनाम मै0 डिजाइनको, मुरादाबाद व अन्य मे **Hon'ble The National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi** के आदेश दिनांक 07.01.2021 के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद व भूगर्भ जल विभाग व सिंचाई विभाग व प्रदूषण विभाग एवं नगर निगम, मुरादाबाद की संयुक्त टीम द्वारा अवैध अतिक्रमण के सम्बन्ध में स्थलीय जांच करके अपनी जांच

-2-

74

(2)

आख्या प्रस्तुत की जा चुकी है, जिसमें प्रार्थी/डिजाइनकों का कोई अवैध अतिक्रमण नहीं पाया गया है। उक्त स्थिति के बावजूद प्रार्थी के हितों को नुकसान पहुँचाने की दृष्टि से प्रश्नगत कार्यवाही श्री सुभाष चन्द्र, सहायक अभियन्ता, बाढ़ खण्ड द्वितीय, मुरादाबाद के कुचक्र के तहत प्रारम्भ की गयी प्रतीत होती है। वस्तुतः प्रार्थी का श्रेणी 6(1) की किसी आराजी पर अथवा शासकीय सम्पत्ति पर कोई अनाधिकार कब्जा न कभी रहा है और न आज है। अस्तु, प्रार्थी निवेदन करता है कि नैसर्गिक न्याय की पृष्ठभूमि में यथोचित निर्णय लेकर निष्पक्ष एवं यथाविधि कार्यवाही करते हुए वर्तमान में प्रारम्भ की गयी द्वेषपूर्ण कार्यवाही को निक्षेपित करने की कृपा करें ताकि प्रार्थी की प्रतिष्ठा एवं छवि प्रभावित न हो और उसके व्यवसायिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

प्रार्थी

डिजाइनकों

द्वारा पार्टनर

(किशोर कुमार गुप्ता)

लाकड़ी फाजलपुर, मुरादाबाद

मो0 091–9837567777

प्रतिलिपिः (1) मा0 आयुक्त महोदय, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद की सेवा में सूचनार्थ एवं यथोचित आदेशार्थ।

(2) जिलाधिकारी, महोदय मुरादाबाद की सेवा में सूचनार्थ।

(3) अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) महोदय की सेवा में सूचनार्थ।

(4) नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद की सेवा में सूचनार्थ।

(5) उप जिलाधिकारी (सदर) महोदय की सेवा में सूचनार्थ।

(6) सहायक अभियन्ता, बाढ़ खण्ड द्वितीय, मुरादाबाद को सूचनार्थ।

(किशोर कुमार गुप्ता)

22.11.2021

EU4 923251481N INR:6965499239514
SP NPCH COUNTER MORADABAD RMS (244001)
Counter No:1,22/11/2021,20:25
To:EXECUTIVE ENG,MBD
PIN:244001, NPCH Counter Moradabad RMS
From:DESIGNED ,MBD
Wt:0gms
Amt:7.70(Cash)Tax:2.70
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868>-<Wear Masks, Stay Safe>

EU 992305311N INR:6965499239531
SP NPCH COUNTER MORADABAD RMS <244001>
Counter No:1,22/11/2021,20:25
To:-ESA RMS ,MBD
PIN:244001, NPCH Counter Moradabad RMS
From:DESIGNED ,MBD
Wt:20gms
Amt:17.70(Cash)Tax:2.70
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

EU499230267IN INR:6965499230
SP NPCH COUNTER MORADABAD RMS <244001>
Counter No:1,22/11/2021,20:25
To:SDM ,MBD
PIN:244105, Vikas Bhawan Moradabad SO
From:DESIGNED ,MBD
Wt:20gms
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

EU4992385S2IN INR:6965499238
SP NPCH COUNTER MORADABAD RMS <244001>
Counter No:1,22/11/2021,20:25
To:DM ,MBD
PIN:244001, NPCH Counter Moradabad RMS
From:DESIGNED ,MBD
Wt:20gms
Amt:17.70(Cash)Tax:2.70
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

EU499223850521N INR:550519923850
SP MPCM COUNTER MORADABAD RMS <244001>
Counter No:1,22/11/2021,20:25
To:COMM.MBD
PIN:244001, MPCM Counter Moradabad RMS
From:DESIRECO ,MBD
Wt:20gms
Amt:17.70(Cash)Tax:2.70
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

EU499223855910N INR:[illegible]
SP MPCM COUNTER MORADABAD RMS <244001>
Counter No:1,22/11/2021,20:25
To:ADM ,MBD
PIN:244001, MPCM Counter Moradabad RMS
From:DESIRECO ,MBD
Wt:20gms
Amt:17.70(Cash)Tax:2.70
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

EU499223854 5IN INR:690549923545
SP MPCM COUNTER MORADABAD RMS <244001>
Counter No:1,22/11/2021,20:25
To:NAGAR COMM ,MBD
PIN:244001, MPCM Counter Moradabad RMS
From:DESIRECO ,MBD
Wt:20gms
Amt:17.70(Cash)Tax:2.70
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

//

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. OF 2021

(Under Article 226 of the Constitution of India)

(District – Moradabad)

M/s Designco, Lakri, Faazalpur, through its Partner Vibhor Kumar Gupta, S/o Narain Kumar Gupta, R/o House No. 09, Rajan Enclave, Kanth Road, P. S. Civil Lines, Moradabad – 244001.

.... *Petitioner*

Versus

1. State *of U. P. through Principal Secretary, Irrigation Department, Civil Secretariat, Lucknow.*
2. *Commissioner, Moradabad Division, Moradabad*
3. *District Magistrate / Collector, Moradabad.*
4. *Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad.*

.... *Respondents*

Affidavit of M/s *Vibhor Kumar Gupta, aged about 65 years, S/o Narain Kumar Gupta, R/o House No. 09, Rajan Enclave, Kanth Road, P. S. Civil Lines, Moradabad – 244001.*

Nationality : Indian.

Religion : Hindu.

Occupation : Business

(DEPONENT)

I, the above named deponent, do hereby solemnly swear affirm and state as follows :-

1. That the deponent is the Partner of thePetitioner-Partnership Firm in the instant case and accordingly the deponent is fully acquainted with the facts deposed to below and those stated in the Writ Petition and is competent to swear this Affidavit.

2. That deponent by religion is a 'Hindu' and his nationality is 'Indian' and a copy of the Identity Card of the deponent as proof of his Identity and Residence is enclosed herewith.

3. That the contents of paragraphs 1 and 2 of this Affidavit and those of paragraphs1, 2, 3(part), 4(part), 5(part), 6(part), 7(part), 8, 9, 10(part), 11(part), 12, 13(part), 14(part), 15(part), 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 and 26of the Writ Petition are true to the personal knowledge of the deponent, those of paragraphs 3(part), 4(part), 5(part), 6(part), 7(part), 9, 10(part), 11(part), 13(part), 14(part) and 15(part) of the Writ Petition are based on perusal of records, those of paragraph nos. ---------- of the Writ Petition are based on information received by the deponent, those of paragraphs ---------- of the Writ Petition are based on legal advice which also the deponent believes to be true, that nothing material has been concealed and that no part of this affidavit is false. So help me God.

(DEPONENT)

I, Manu Srivastava, Advocate, High Court, Allahabad do hereby identify the deponent from perusal of the papers in his possession, and I am satisfied that he is same person making this affidavit and he is known to me.

(ADVOCATE)

Solemnly affirmed before me 29th day of November, 2021 at .... A.M./P.M. by the deponent who is identified by the aforesaid Advocate.

I have satisfied myself by examining the deponent that he fully understands the contents of this affidavit, which have been read over and explained to him.

OATH COMMISSIONER

number of the Declarant / Deponent / Petitioner are "*Vibhor Kumar Gupta, aged about 65 years, S/oNarain Kumar Gupta, R/o House No. 09, Rajan Enclave, Kanth Road, P. S. Civil Lines, Moradabad – 244001and Mobile No. +919837587777*" respectively.

4. That the declarant/deponent, due to COVID-19 epidemic, is unable to file the Affidavit in support of the accompanying Writ Petition.

5. That the declarant/deponent aforesaid hereby undertakes to file an Affidavit in support of the accompanying Writ Petition within one month of this Hon'ble Court returning to normal functioning after this COVID-19 epidemic.

6. That theaccompanying Writ Petition has been prepared on the basis of the instructions of the declarant / deponent and the document(s) provided by the declarant / deponent to the counsel(s) of the Petitioner.

7. That the counsel(s) for the Petitioner had sent the accompanying Writ Petitionalong with Annexures thereof to the declarant / deponent and the same have been read over and understood by the declarant / deponent.

8. That in view of the aforesaid facts and circumstances, this Hon'ble Court may be pleased to take this Verification on record and treat the same as part of the accompanying Writ Petition, otherwise the Petitioner shall suffer irreparable loss and injury.

Dated : 29.11.2021

(Abhishek Tandon)
Advocate
Counsel for the Petitioner
High Court Roll No. A/A2071/2013
Mobile No. +91 9415316905

(Manu Srivastava)
Advocate
Counsel for the Petitioner
High Court Roll No. A/M 1267/2017
Mobile No. +91 9839694009

Annexure 12

Court No. - 21

Case :- WRIT - C No. - 33061 of 2021

Petitioner :- M/S Designco Lakri
Respondent :- State Of U.P. And 3 Others
Counsel for Petitioner :- Abhishek Tandon,Manu Srivastava
Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble Manoj Kumar Gupta,J.
Hon'ble Dinesh Pathak,J.

List after three weeks.

Interim order shall remain in operation till the next date of listing.

(Dinesh Pathak, J.) (Manoj Kumar Gupta, J.)

Order Date :- 4.4.2022
SL

Digitally signed by SHYAM LAL
Date: 2022.04.04 16:07:26 IST
Reason:
Location: High Court of Judicature at Allahabad

Court No. - 2

Case :- WRIT - C No. - 33061 of 2021

Petitioner :- M/S Designco Lakri
Respondent :- State Of U.P. And 3 Others
Counsel for Petitioner :- Abhishek Tandon,Manu Srivastava
Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble Dr. Kaushal Jayendra Thaker,J.
Hon'ble Ajai Tyagi,J.

State to file reply.

Interim relief granted by this Court dated 19.1.2022 to continue.

List the matter on 4.4.2022.

Order Date :- 21.2.2022
Irshad

Digitally signed by IRSHAD AHMAD SIDDIQUI
Date: 2022.02.23 11:20:54 IST
Reason:
Location: High Court of Judicature at Allahabad

Court No. - 21

[illegible] ....
[illegible] ....

Case :- WRIT - C No. - 33061 of 2021

Petitioner :- M/S Designco Lakri
Respondent :- State Of U.P. And 3 Others
Counsel for Petitioner :- Abhishek Tandon,Manu Srivastava
Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble Siddhartha Varma,J.
Hon'ble Shekhar Kumar Yadav,J.

Upon certain complaints being made by one Sri Shailesh Singh, the National Green Tribunal on 7.1.2021 directed the Joint Committee of the District Magistrate, Moradabad, Irrigation and Water Resources Department, Moradabad and the State Pollution Control Board to look into the grievance of Sri Shailesh Singh with regard to encroachments on rivers Gagan and Ramganga in District Moradabad. Detailed report thereafter was submitted on 28.3.2021, wherein it was found that there was no encroachment over the River Gagan by the petitioner. Thereafter, it appears that another complaint was made by one Kunwar Sarvesh Kumar, Ex-member of Parliament, Moradabad with regard to encroachments over the same River Gagan.

The Commissioner, Moradabad on 25.10.2021 directed the Executive Engineer, Flood Division, Moradabad to look into the matter, whereupon, a notice was given to the petitioner to remove the encroachments made along River Gagan on 27.10.2021.

Learned counsel for the petitioner submits that the very Executive Engineer, who had earlier given the report on 28.3.2021 has now on the complaint of an Ex-member of Parliament directed the petitioner to remove the construction without any inquiry or show cause notice. Learned counsel for the petitioner further submits that the notice was infact in the shape of an order and, therefore, the petitioner had no option but to approach this Court.

Upon perusal of the various documents, this Court finds that there are two contradictory reports. At an earlier point of time i.e. on 28.03.2021, the Executive Engineer had found that there was no encroachment and thereafter again on some report, impugned notice dated 27.10.2021 for the removal of encroachments has been issued without any inquiry etc.

Matter requires consideration.

Respondents are represented by learned Standing Counsel. They may file counter affidavits within three weeks. The petitioner shall have two weeks thereafter to file rejoinder affidavit.

List this case on 21.02.2022. Till the next date of listing, no coercive action shall be taken against the petitioner.

Order Date :- 19.1.2022
RavindraKSingh

(Shekhar Kumar Yadav, J.) (Siddhartha Varma, J.)

Scanned with CamScanner

Annexure 13

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओं.ए. नं. 303/2020 शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनको, मुरादाबाद व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा दिनांक 25.05.2022 व 26.05.2022 को किये गये संयुक्त निरीक्षण की आख्या –

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. नं. 303/2020 शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनको, मुरादाबाद व अन्य में दिनांक 07.01.2021 को निम्न आदेश पारित किये गये थे :–

---------We find the application to be deficient in relevant particulars. At the same time, there are serious allegations. In these circumastances, instead of straightaway entering upon adjudication of the grievance, we consider it appropriate to direct a joint Committee of District Magistrate Moradabad, Irrigation &Water Resources Department, Moradabad and the State PCB to look into matter, and take further approprite action, in accordance with law. The State PCB will be the nodal agency for compliance and coordination.--------------,

उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद के पत्रांक 100/एन–13/303/2020 दिनांक 25.01.2021 के द्वारा अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) की अध्यक्षता में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में निम्न विभागों के अधिकारियों की समिति गठित की गयी –

1. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), मुरादाबाद (अध्यक्ष)।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद द्वारा नामित अधिकारी।
3. सचिव, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।
4. उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, मुरादाबाद।
5. अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड सिंचाई विभाग, मुरादाबाद।
6. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग, मुरादाबाद।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद (नोडल)।

उक्त प्रकरण में ओ0ए0 303/2020 में एम0ए0 सं0 23/2022 व 19/2021 को सम्मिलित करते हुए मा0 एन.जी.टी. द्वारा दिनांक 10.05.2022 को हुई सुनवाई के उपरान्त निम्नलिखित आदेश पारित किये गये है–

"2. According to the applicant, no action has been taken against encroachments in question inspite of order of this Tribunal. Let the UP State PCB furnish a status report in the matter within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR support PDF and not in the form of Image PDF.

List for further consideration on 25.07.2022."

उपरोक्तानुसार उक्त प्रकरण में स्टेटस रिपोर्ट मा0 एन.जी.टी. को प्रेषित न किये जाने के कारण जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद द्वारा प्रकरण की समीक्षा हेतु बैठक दिनांक 21.05.2022 को आयोजित की गयी, जिसमें समिति के सदस्यों को निर्देशित किया गया कि समिति द्वारा समस्त इकाईयों का अद्यतन निरीक्षण करते हुए पूर्व में की गयी कार्यवाही तथा नवीन कार्यवाही की आख्या तैयार कर नियत दिनांक से पूर्व मा0 एन.जी.टी. के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें, जिसके अनुपालन में समिति के सदस्यों/नामित अधिकारियों द्वारा निम्न संदर्भित उद्योगों का निरीक्षण दिनांक 25.05.2022 एवं 26.05.2022 को किया गया।

1. मैसर्स डिजाइनको
2. मैसर्स लोहिया ब्रास
3. मैसर्स दिवान एण्ड सन्स
4. मैसर्स साई क्रिऐशन
5. मैसर्स होरीजन इम्पैक्स
6. मैसर्स सी.एल. गुप्ता एण्ड सन्स
7. मैसर्स सी.एल. गुप्ता एण्ड सन्स फार्म हाउस
8. मैसर्स त्रिरूपति बिल्डर्स
9. मैसर्स माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर महिपाल सिंह

समिति द्वारा उपरोक्त उद्योगों के किए गये निरीक्षण की आख्या निम्नवत् है –

1. मैसर्स डिजाइनको, लाकड़ी फाजलपुर, दिल्ली रोड, मुरादाबाद –

मैसर्स डिजाइनको, लाकड़ी फाजलपुर, दिल्ली रोड, मुरादाबाद (जोकि मैसर्स डिजाइनको, मैसर्स डिजाइनको (यूनिट –3), मैसर्स डिजाइनको (यूनिट –4) के नाम से कार्यरत है) के द्वारा कच्चे माल के रुप में ब्रास, ग्लास, मेटल, वुडेन एवं सेमी फिनिश्ड आर्ट वेयर्स का प्रयोग करके फिनिश्ड मेटल आर्ट वेयर्स का उत्पादन कर एक्सपोर्ट का कार्य किया जाता है। उद्योग से जनित औद्यौगिक उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित है। निरीक्षण के समय स्थापित शुद्धिकरण संयंत्र के आउटलेट के नमूने एकत्रित कर केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ में विश्लेषण हेतु जमा कराये गये हैं, विश्लेषण आख्या आपेक्षित है। संदर्भित उद्योगों को बोर्ड द्वारा जल अधिनियम 1974 की धारा 25/26 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के अर्न्तगत सशर्त सहमति निर्गत की गयी है, जोकि वैध है।

संयुक्त टीम द्वारा की गयी पैमाइश के दौरान उक्त इकाई द्वारा गागन नदी के प्रवाह दिशा के बायें किनारे पर 100 मी. की दूरी के अन्दर गागन नदी के वर्तमान प्रवाह क्षेत्र एवं डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण किया गया है, जिस हेतु शासनादेश सं0 1417बी/09–27 –सिं–2–181बाढ़/09, दिनांक 16.03.2010, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उ0प्र0 अनुभाग–11, लखनऊ के पत्रांक जी–532/11–55–रा0आ0/2021, दिनांक 17.09.2021 एवं जिलाधिकारी मुरादाबाद के पत्र सं0 760/जि0भू0व्य0सहा0/2021–22 दिनांक 18.09.2021 के द्वारा नदी के तट से 100 मी. की सीमा के अन्तर्गत अवैध निर्माण को हटाये जाने के संबंध में सिंचाई विभाग द्वारा उक्त इकाई को नोटिस प्रेषित किये गये हैं। उपरोक्त शासनादेशों के कम में प्रस्तर संख्या –(1) के अनुसार महायोजनाओं के अन्तर्गत नदियों के किनारे फ्लड जोन को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित किया जाना एवं इसमें किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होना सुनिश्चित करने हेतु इस क्षेत्रों का भू–उपयोग हरित रखा जाए एवं प्रस्तर सं0 (5) के अनुसार सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों/औद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं नगर पालिका परिषदों द्वारा अधिनियन में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अवैध निर्माणकारियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाए (शासनादेश की प्रति संलग्न है) साथ ही यह भी अवगत कराना है कि मैसर्स डिजाईनको का एक वाद संख्या 33061/2021 मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन है।

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद के द्वारा इकाई के संचालकों को बिना अनुज्ञा के निर्माण के विरूद्ध उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत नोटिस जारी कर वाद योजित किया गया है, विवरण संलग्न।

उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग, मुरादाबाद द्वारा सूचित किया गया है कि सरकारी गजट उ0प्र0 प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित, उत्तर प्रदेश शासन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–3 सं0–331/76–3–2020, एन.जी.टी./2020, लखनऊ, दिनांक 17.06.2020 की अधिसूचना के अनुसार मुरादाबाद जनपद के विकास खण्ड–मुरादाबाद एवं मुरादाबाद शहर क्षेत्र को गैर अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। उक्त इकाइयां भूगर्भीय जल की दृष्टि से गैर अधिसूचित क्षेत्र में आच्छादित है।

2. मैसर्स लोहिया ब्रास प्रा० लि०, लाकडी फाजलपुर, दिल्ली रोड, मुरादाबाद–

उक्त इकाई मैसर्स लोहिया ब्रास प्रा0 लि0, लाकडी फाजलपुर, मिनी बाईपास, दिल्ली रोड, मुरादाबाद के नाम से कार्यरत है, जिसमें मुख्य कच्चे माल के रुप में ब्रास, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक स्कैप आदि का प्रयोग करके मेल्टिंग प्रक्रिया द्वारा इनगटस् लगभग 10 टन/दिन का उत्पादन किया जाता है। उद्योग में 04 पिट फर्नेस तथा 2700 किग्रा/बैच क्षमता की एक इन्डकशन फर्नेस स्थापित है। इण्डक्शन फर्नेस पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित है। उद्योग को बोर्ड द्वारा जल अधिनियम 1974 की धारा 25/26 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के अर्न्तगत सशर्त सहमति निर्गत की गयी है, जोकि वैध है। वर्तमान में उक्त इकाई स्वयं के कारणो से बन्द है।

संयुक्त टीम द्वारा की गयी पैमाइश के दौरान उक्त इकाई द्वारा गागन नदी के प्रवाह दिशा के बायें किनारे पर 100 मी. की दूरी के अन्दर गागन नदी के वर्तमान प्रवाह क्षेत्र एवं डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण किया गया है, जिस हेतु शासनादेश सं0 1417बी/09-27 –सिं–2–181बाढ़/09, दिनांक 16.03.2010, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उ0प्र0 अनुभाग–11, लखनऊ के पत्रांक जी–532/11–55–रा0आ0/2021, दिनांक 17.09.2021 एवं जिलाधिकारी मुरादाबाद के पत्र सं0 760/जि0भू0व्य0सहा0/2021–22 दिनांक 18.09.2021 के द्वारा नदी के तट से 100 मी. की सीमा के अन्तर्गत अवैध निर्माण को हटाये जाने के संबंध में सिंचाई विभाग द्वारा उक्त इकाई को नोटिस प्रेषित किये गये हैं। उपरोक्त शासनादेशों के कम में प्रस्तर संख्या –(1) के अनुसार महायोजनाओं के अन्तर्गत नदियो के किनारे फ्लड जोन को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित किया जाना एवं इसमें किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होना सुनिश्चित करने हेतु इस क्षेत्रों का भू–उपयोग हरित रखा जाए एवं प्रस्तर सं0 (5) के अनुसार सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों/औद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं नगर पालिका परिषदों द्वारा अधिनियम में वर्णित प्राविधानो के अन्तर्गत अवैध निर्माणकारियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाए (शासनादेश की प्रति संलग्न है)।

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद के द्वारा इकाई के संचालकों को अवैध निर्माण के विरूद्ध उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत नोटिस प्रेषित कर वाद योजित किया गया है, विवरण संलग्न।

उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग, मुरादाबाद द्वारा सूचित किया गया है कि सरकारी गजट उ0प्र0 प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित, उत्तर प्रदेश शासन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–3 सं0–331/76–3–2020, एन.जी.टी./2020, लखनऊ, दनिांक 17.06.2020 की अधिसूचना के अनुसार मुरादाबाद जनपद के विकास खण्ड–मुरादाबाद एवं मुरादाबाद शहर क्षेत्र को गैर अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। उक्त इकाई भूगर्भीय जल की दृष्टि से गैर अधिसूचित क्षेत्र में आच्छादित है।

3. मैसर्स दीवान एण्ड सन्स ,लाकडी फाजलपुर, मिनी बाईपास, दिल्ली रोड, मुरादाबाद–

उक्त इकाई मैसर्स दीवान एण्ड सन्स ,लाकडी फाजलपुर, मिनी बाईपास, दिल्ली रोड, मुरादाबाद के नाम से कार्यरत है, जिसके द्वारा कच्चे माल के रुप में ब्रास, ग्लास, मेटल, वुडेन एवं सेमी फिनिश्ड आर्ट वेयर्स का प्रयोग करके फिनिश्ड मेटल आर्ट वेयर्स का उत्पादन कर एक्सपोर्ट का कार्य किया जाता है। उद्योग से जनित औद्यौगिक उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित है। निरीक्षण के समय स्थापित शुद्धिकरण संयंत्र के आउटलेट से नमूने एकत्रित कर केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ में विश्लेषण हेतु जमा कराये गये हैं, विश्लेषण आख्या आपेक्षित है। संदर्भित उद्योग को बोर्ड द्वारा जल अधिनियम 1974 की धारा 25/26 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के अर्न्तगत सशर्त सहमति निर्गत की गयी है।

संयुक्त टीम द्वारा की गयी पैमाइश के दौरान उक्त इकाई द्वारा गागन नदी के प्रवाह दिशा के बायें किनारे पर 100 मी. की दूरी के अन्दर गागन नदी के प्रवाह क्षेत्र एवं डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण किया गया है, जिस हेतु शासनादेश सं0 1417बी/09-27 –सिं–2–181बाढ़/09, दिनांक 16.03.2010, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उ0प्र0 अनुभाग–11, लखनऊ के पत्रांक जी–532/11–55–रा0आ0/2021, दिनांक 17.09.2021 एवं जिलाधिकारी मुरादाबाद के पत्र सं0

760/जि0भू0व्य0सहा0/2021–22 दिनांक 18.09.2021 के द्वारा नदी के तट से 100 मी. की सीमा के अन्तर्गत अवैध निर्माण को हटाये जाने के संबंध में सिंचाई विभाग द्वारा उक्त इकाई को नोटिस प्रेषित किये गये हैं। उपरोक्त शासनादेशों के कम में प्रस्तर संख्या –(1) के अनुसार महायोजनाओं के अन्तर्गत नदियों के किनारे फ्लड जोन को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित किया जाना एवं इसमें किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होना सुनिश्चित करने हेतु इस क्षेत्रों का भू–उपयोग हरित रखा जाए एवं प्रस्तर सं0 (5) के अनुसार सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों/अद्योगिक विकास प्राधिकरणो एवं नगर पालिका परिषदों द्वारा अधिनियम में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अवैध निर्माणकारियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाए, (शासनादेश की प्रति संलग्न है)।

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद के द्वारा इकाई के संचालकों को बिना अनुज्ञा के निर्माण के विरूद्ध उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत नोटिस प्रेषित कर वाद योजित किया गया है, विवरण संलग्न।

उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग, मुरादाबाद द्वारा सूचित किया गया है कि सरकारी गजट उ0प्र0 प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित, उत्तर प्रदेश शासन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–3 सं0–331/76–3–2020, एन.जी.टी./2020, लखनऊ, दिनांक 17.06.2020 की अधिसूचना के अनुसार मुरादाबाद जनपद के विकास खण्ड–मुरादाबाद एवं मुरादाबाद शहर क्षेत्र को गैर अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है।

4. मैसर्स साँई कियेशन्स, लाकडी फाजलपुर, दिल्ली रोड, मुरादाबाद–

मैसर्स साँई कियेशन्स, लाकडी फाजलपुर, दिल्ली रोड, मुरादाबाद के नाम से कार्यरत है, जिनके द्वारा कच्चे माल के रुप में ब्रास, ग्लास, मेटल, वुडेन एवं सेमी फिनिश्ड आर्ट वेयर्स का प्रयोग करके फिनिश्ड मेटल आर्ट वेयर्स का उत्पादन कर एक्सपोर्ट का कार्य किया जाता है। उद्योग में मात्र घरेलू उत्प्रवाह जनित होता है, जिसका निस्तारण सेप्टिक/सोकपिट टैंक के माध्यम से किया जाता है। इकाई से किसी भी प्रकार का औद्योगिक उत्प्रवाह जनित नही होता है। संदर्भित उद्योगों को बोर्ड द्वारा जल अधिनियम 1974 की धारा 25/26 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के अर्न्तगत सशर्त सहमति निर्गत की गयी है।

उक्त उद्योग गागन नदी के लाकडी फाजलपुर क्षेत्र के मिनी बाईपास के किनारे पर स्थित है एवं गागन नदी के प्रवाह दिशा के बायें किनोर से लगभग 300 मी. की दूरी पर स्थित है जोकि डूब क्षेत्र में नहीं है। नदी एवं सांई कियेशन के बीच में मैसर्स डिजाइनकों की इकाई स्थित है।

5. मैसर्स होरिजन इम्पैक्ट, लाकडी फाजलपुर मिनी बाईपास, दिल्ली रोड, मुरादाबाद–

उक्त इकाई मैसर्स होरिजन इम्पैक्ट (यूनिट–1), लाकडी फाजलपुर मिनी बाईपास, दिल्ली रोड, मुरादाबाद एवं मैसर्स होरिजन इम्पैक्ट (यूनिट–2), लाकडी फाजलपुर मिनी बाईपास, दिल्ली रोड, मुरादाबाद के नाम से कार्यरत है, जिनके द्वारा कच्चे माल के रुप में सेमी फिनिश्ड आर्ट वेयर्स का प्रयोग करके फिनिश्ड मेटल आर्ट वेयर्स का उत्पादन कर एक्सपोर्ट का कार्य किया जाता है। उद्योग से जनित औद्यौगिक उत्प्रबाह के शुद्धीकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित है। निरीक्षण के समय स्थापित शुद्धिकरण संयंत्र से नमूने एकत्रित कर केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ में विश्लेषण हेतु जमा कराये गये हैं, विलेषण आख्या आपेक्षित है। संदर्भित उद्योग को बोर्ड द्वारा जल अधिनियम 1974 की धारा 25/26 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के अर्न्तगत सशर्त सहमति निर्गत की गयी है, जोकि वैध है।

उक्त उद्योग गांगन नदी के लाकड़ी फाजलपुर क्षेत्र के मिनी बाईपास के किनारे पर स्थित है एवं गांगन नदी के प्रवाह दिशा के बायें किनारे से लगभग 375 मी. पर स्थित है जोकि डूब क्षेत्र में नहीं है। नदी एवं सांई कियेशन के बीच मे मैसर्स डिजाइनकों फैक्ट्री है।

6. मैसर्स सी.एल. गुप्ता एण्ड सन्स, निकट गागन नदी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद–

मैसर्स सी.एल. गुप्ता एण्ड सन्स की भूमि पर वर्तमान में किसी प्रकार की औद्योगिक गतिविधि नही की जा रही है तथा पौधों की नर्सरी तैयार किये जाने का कार्य किया जाता है। उक्त भूमि गागन नदी के प्रवाह दिशा के दायें किनारे पर तटबन्ध से कन्ट्री साइड की ओर स्थित है एवं यह तटबन्ध की वजह से पूर्णतया सुरक्षित होने के कारण डूब क्षेत्र के अन्तर्गत आच्छादित नहीं है।

7. मैसर्स सी.एल. गुप्ता एण्ड सन्स फार्म हाउस , आशियाना, मुरादाबाद–

उक्त इकाई एक फार्म हाउस है, जिसमें योग केन्द्र, कम्पोस्ट खाद सेन्टर व एन.जी.ओ. संचालित है। उक्त इकाई को बोर्ड से सहमति निर्गत नहीं है। संयुक्त टीम द्वारा की गयी पैमाइश के दौरान उक्त इकाई द्वारा रामगंगा नदी के प्रवाह दिशा के दायें किनारे पर 100 मी. की दूरी के अन्दर रामगंगा नदी के वर्तमान प्रवाह क्षेत्र एवं डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण किया गया है, जिस हेतु शासनादेश सं0 1417बी/09–27 –सिं–2–181बाढ़/09, दिनांक 16.03.2010, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उ0प्र0 अनुभाग–11, लखनऊ के पत्रांक जी–532/11–55–रा0आ0 /2021, दिनांक 17.09.2021 एवं जिलाधिकारी मुरादाबाद के पत्र सं0 760/जि0भू0व्य0सहा0/ 2021–22 दिनांक 18.09.2021 के द्वारा नदी के तट से 100 मी. की सीमा के अन्तर्गत निर्माण अवैध है। उपरोक्त शासनादेशों के क्रम में प्रस्तर संख्या –(1) के अनुसार महायोजनाओं के अन्तर्गत नदियों के किनारे फ्लड जोन को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित किया जाना एवं इसमें किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होना सुनिश्चित करने हेतु इस क्षेत्रों का भू–उपयोग हरित रखा जाए एवं प्रस्तर सं0 (5) के अनुसार सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों/अद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं नगर पालिका परिषदों द्वारा अधिनियम में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अवैध निर्माणकारियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाए (शासनादेश की प्रति संलग्न है)।

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद के द्वारा इकाई के संचालकों को अवैध निर्माण के विरूद्ध उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत नोटिस प्रेषित किया गया है।

8. माइनिंग कॉन्ट्रेक्टर श्री महीपाल सिंह, पोस्टमार्टम हाउस के सामने, धारक नंगला बाईपास रोड, मुरादाबाद –

माइनिंग कॉन्ट्रेक्टर श्री महीपाल सिंह द्वारा रामगंगा नदी के डूब क्षेत्र मे पूर्व में किया गया निर्माण हटा पाया गया।

9. मैसर्स तिरूपति बिल्डर्स, पोस्टमार्टम हाउस के सामने, धारक नंगला बाईपास रोड, मुरादाबाद –

मैसर्स तिरूपति बिल्डर्स द्वारा पूर्व में रामगंगा नदी के किनारे बाउन्ड्री वॉल बनायी गई थी, जिसे रामगंगा नदी के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण (बाउन्ड्री वॉल) के विरूद्ध उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत नोटिस प्रेषित किया गया है। वर्तमान में संरचना निर्माण कार्य होता नहीं पाया गया।

निष्कर्ष :–

समिति के संयुक्त निरीक्षण के दौरान प्रथम दृष्टया मैसर्स डिजाइनको, मैसर्स लोहिया ब्रास प्रा0 लि0 एवं मैसर्स दीवान एण्ड सन्स का गागन नदी के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पाया गया तथा मैसर्स सी. एल. गुप्ता एण्ड सन्स फार्म हाउस का रामगंगा नदी के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पाया गया, जिसके संबंध में सम्बधित विभाग की कार्यवाही अपेक्षित है।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. नं. 303/2020 शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनको, मुरादाबाद व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा दिनांक 26.05.2022 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ –

अधिशासी अभियन्ता
उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग
मुरादाबाद

अधिशासी अभियन्ता
बाढ़ खण्ड सिंचाई विभाग
मुरादाबाद

उपायुक्त
जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र
मुरादाबाद

सचिव
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

नामित अधिकारी
नगर निगम, मुरादाबाद

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मुरादाबाद

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
मुरादाबाद

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

~~राजकीय पोलीटेक्निक के सामने, हरिद्वार रोड~~, मुरादाबाद

नया मुरादाबाद सेक्टर-17

वाद सं० 1150/2021 धारा 27 न० नियो० एवं विकास अधिनियम 1973

श्री..

....

आपको सूचित किया जाता है कि आप इस कार्यालय में दिनांक 8-12-2021 को प्रातः 10.30 बजे उपस्थित होकर अपने मुकदमे में पैरवी करें एवं निम्न औपचारिकता पूर्ण करें, अन्यथा एक तरफा कार्यवाही की जायेगी :-

(1) पूर्व स्वीकृत मानचित्र (यदि कोई हो)

(2) भू-स्वामित्व का प्रमाण (विक्रय पत्र / फर्द आदि)

(3) शजरा प्लान / खसरा खतौनी की प्रतिलिपि

(4) पुरानेपन का प्रमाण (हाउस टैक्स का चिट्ठा आदि)

(5) नगर निगम / सा०नि०वि० / जिलाधिकारी / मुतबल्ली / वक्फ / मालिक मकान / सीलिंग / भूमि अध्याप्ति अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र (जो आवश्यक हो)

(6) बनाये गये अवैध निर्माण का स्थलानुसार मानचित्र (प्रशमन प्रार्थना-पत्र, शपथ-पत्र व क्षतिपूर्ति बांड के साथ)

(7) ....

Bajrang Singh
7-12-2021

~~उपाध्यक्ष / सचिव~~ / प्राधिकृत अधिकारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

दिनांक 23/11/2021

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

2/3

क्रम संख्या 2117

कार्यवाही संख्या- 450/2021

उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के अन्तर्गत

नोटिस

बनाम श्री [illegible] संत फार्म [illegible] राम गंगा विहार द्वितीय मुरादाबाद

क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के प्राविधानों के विरुद्ध उपाध्यक्ष मु. वि. प्रा. की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्दर मौहल्ला [illegible] पर स्थित अनाधिकृत रुप से निम्नलिखित विकास कार्य / भवन निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया है / पूरा कर लिया है और इस प्रकार उपरोक्त अधिनियम के प्राविधानों तथा उसके आधीन बनाये गये विनियमों का उलंघन किया गया है।

[illegible] मीटर के क्षेत्रफल में से लगभग 300.00 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में भूतल प्रथम एवं द्वितीय तल पर भवन निर्माण है एवं शेष भाग में लगभग 650.00 वर्ग मीटर में [illegible] निर्मित है [illegible] कोई स्वीकृत [illegible] गया।

अतः आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप इस कार्यालय में दिनांक 23/11/2021 को स्वयं अथवा अपने यथाविधि प्राधिकृत अधिकर्ता द्वारा उपस्थित होकर यह स्पष्टीकरण दें कि अपरोक्त अनाधिकृत निर्माण को गिराने की आज्ञा क्यों न दे दी जाये और आपके विरुद्ध उपरोक्त अधिनियम की धारा 26 तथा 27 के अन्तर्गत कार्यवाही क्यों न की जाये।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 28 (1) के अन्तर्गत आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप उपरोक्त अनाधिकृत निर्माण को तत्काल रोक दें अन्यथा उपरोक्त निर्माण को बलपूर्वक गिरा देने का आदेश पारित किया जा सकता है और इस प्रकार गिरवाने में जो व्यय होगा उसे आपसे उसी प्रकार वसूल किया जायेगा जैसे कि मालगुजारी का बकाया वसूल की जाती है।

टिप्पणी– आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 6 की ओर भी दिलाया जाता है जिसके अधीन आप उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन अपेक्षित प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना निर्माण करने के लिये अर्थदण्ड के भागी हो सकते हैं जो 10,000 रुपये (दस हजार रुपये) तक हो सकता है और अपराध अनवरत रुप में होने की दशा में ऐसे अपराध के लिए आप अतिरिक्त अर्थदण्ड के भागी हो सकते हैं जो अपराध के लिये प्रथम दोषी सिद्ध कराये जाने के पश्चात प्रत्येक ऐसे कार्य के लिये जिसमें अपराध जारी रहे रुपये 500 (पांच सौ रुपये) तक हो सकता है।

दिनांक 9/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर मुहर सहित जारी किया गया।

09/11/2021

उपाध्यक्ष/सचिव/जोन प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

[illegible] Singh
गाड 16/11/21

जोन-2 उप जोन-5

प्रपत्र "डी"

सेवा में, उपाध्यक्ष महोदय के कार्यालय आदेश का पत्रांक 147/प्रवि० प्रा०/उपाध्यक्ष/2021-22 दिनांक 27-8-2021 के अनुपालन में।

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

वाद सं० 450/2021
23/11/21

अनाधिकृत भवन निर्माण सम्बन्धी रिपोर्ट

1- निर्माण स्थल का थाना ....सिविल लाइन्स....

2- निर्माण कार्य की सम्भाव्य तिथि यदि निर्माण भिन्न समय में किया गया है तो प्रत्येक निर्माण की सम्भाव्य तिथि किये गये निर्माण के विवरण सहित लगभग कई वर्ष पूर्व का निर्मित है।

3- निर्माण कार्य पता लगने का दिनांक उपाध्यक्ष महोदय के आदेश की छाया प्रतिलिपि नहीं

4- निर्माण स्थल मैसर्स सी० एल० एण्ड संस फार्म हाउस, निकट राम गंगा विहार, मुरादाबाद

5- चल रहे भवन निर्माण का विवरण तथा उपयोग लगभग 950 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में से लगभग 300.00 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल पर भवन निर्मित है एवं शेष भाग में लगभग 650.00 वर्ग मीटर में ... निर्मित है मौके पर कोई स्वीकृत नहीं दिखाया गया।

6- भवन निर्माण स्वामी का नाम तथा पता मैसर्स सी० एल० गुप्ता एण्ड संस पता - फार्म हाउस निकट राम गंगा विहार द्वितीय मुरादाबाद

7- निर्माण की प्रकृति ....कार्यालय....

8- रिपोर्ट करने वाले अवर अभियन्ता का नाम ....एन० पी० सिंह....

9- रिपोर्ट करने वाले अवर अभियन्ता की संस्तुति उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है।

नियत अधिकारी के आदेश ... 09-11-2021

(अ) रिपोर्ट की जाँच कर ली गई है। J.E

(ब) उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1) के अन्तर्गत, कारण बताओ नोटिस धारा 28 (1) के अन्तर्गत कार्य रोकने के आदेश दिनांक .... को निर्गत हो।

09-11-2021

जोन प्रभारी/सचिव
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

कार्यालय मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

पत्रांक 157 /मु0वि0प्रा0/उपाध्यक्ष/2021-22

दिनाँक : 27/8/ 202

श्री मनोज कुमार सिंह, अधि0अभि0/वरिष्ठ जोन प्रभारी
श्री अमित कादयान, अधि0अभि0/वरिष्ठ जोन प्रभारी

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 303/20... ...श सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनको एवं अन्य में दिनांक 07.01.2021 द्वारा मुरादाबाद न... ...गन नदी एवं रामगंगा नदी के बाढ़ क्षेत्रों/फ्लड जोन में अवैध निर्माण/अतिक्रमण ... ...किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित इकाईयों की जांच किया जाना है :—

1. मैसर्स डिजाइनको, लाकड़ी फाजलपुर, दिल्ली रोड मझोला, मुरादाबाद।
2. मैसर्स लोहिया ब्रास, लाकड़ी फाजलपुर दिल्ली रोड मझोला, मुरादाबाद।
3. मैसर्स दीवान एण्ड सन्स, लाकड़ी फाजलपुर दिल्ली रोड मझोला, मुरादाबाद।
4. मैसर्स साई क्रिऐशन्स, लाकड़ी फाजलपुर दिल्ली रोड मझोला, मुरादाबाद।
5. मैसर्स हॉरीजन इम्पेक्स, लाकड़ी फाजलपुर दिल्ली रोड मझोला, मुरादाबाद।
6. मैसर्स सी0एल0 गुप्ता एण्ड सन्स, मुरादाबाद।
7. मैसर्स सी0एल0 गुप्ता एण्ड सन्स फार्म हाउस, मुरादाबाद।
8. माइनिंग कॉन्ट्रेक्टर श्री महिपाल सिंह, मुरादाबाद।
9. मैसर्स तिरुपति बिल्डर्स, मुरादाबाद।

... उपरोक्त इकाइयों/क्षेत्र के अंतर्गत तैनात अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता से ... आख्या फोटो सहित प्राप्त कर 03 दिन में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सु...त करें। यदि स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध निर्माण पाया जाता है तो तत्काल नि...सार कार्यवाही भी प्रस्तावित करें।

(हस्ताक्षर) 26/8/21
उपाध्यक्ष
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद।

प्रतिलिपि—

...आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद को अवलोकनार्थ प्रेषित।
...त्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास बुद्धि विहार, मुरादाबाद को ...आवश्यक कार्यवाही हेतु।
...चिव, मु0वि0प्रा0 को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपाध्यक्ष
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद।

श्री ...प्रसाद ... प्रभारी
श्री एस0 के0 गुप्ता अवर अभि0
श्री पी0 एन0 ... सहा0 अभि0
श्री ... अवर अभि0
श्री मनोज कुमार सिंह
... प्रकोष्ठ ... अधिशासी अभि0
... लिपिक
श्री ...प्रकाश

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत भवन निर्माण, विकास के लिए स्वीकृति पत्र

संख्या.....827....... (मु० वि० प्रा०) मानचित्र संख्या 143/88-89 दिनांक ....

श्री/श्रीमती.....विपिन कुमार गुप्ता आदि श्री नारायण कुमार गुप्ता.....

निवासी.....लालबाग पाकबड़ा जलालपुर मुरादाबाद.....

आपके आवेदन पत्र संख्या ....दिनांक..........के सन्दर्भ में मुझे आपको सूचित करना है कि उपरोक्त पत्र के साथ आप द्वारा प्रस्तुत किया गया भवन निर्माण सम्बन्धी मानचित्र उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम १९७३ की धारा १४ के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृत किया जाता है। जिसकी प्रति पत्र के साथ संलग्न है।

१. यह मानचित्र स्वीकृति के दिनांक से केवल ५ वर्ष तक वैध है।

२. मानचित्र की इस स्वीकृति से सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगरपालिका, मु० वि० प्रा० रेलवे, केंटोनमेंट, नोटिफाइड एरिया) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित नहीं होगा यदि प्रभावित होता है तो इसकी जिम्मेदारी निर्माणकर्ता पर होगी।

३. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायगा।

४. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना आपत्ति के देय होगा।

५. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य से उपयुक्त नहीं होगा उस पर शासन अथवा किसी भी स्थानीय निकाय को विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

६. दरवाजे व खिड़कियां इस तरह लगाये जायेंगे कि वह खुलने पर उनके पल्ले किसी सरकारी भूमि अथवा सड़क आदि की ओर प्रोजेक्टेड न हों।

७. बिजली की लाईन से ५ फीट के अन्तर में तथा विद्युत उपस्थितों (पावर लाईन) के विरुद्ध कोई कार्य न किया जायगा।

८. सड़क, गलियारे, सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटेरियल) नहीं रखा जायेगा तथा गन्दे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।

९. स्वीकृत मानचित्र का एक सेट निर्माण स्थल पर रखना आवश्यक होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों (स्पेसीफिकेशन) नियमों के अनुसार ही कराया जायगा तथा भूमि एवं भवन के स्वामित्व की जिम्मेदारी स्वयं प्रार्थी पर होगी।

१०. सड़क पर अथवा दुकान क्षेत्र में कोई रैम्प अथवा स्टेप्स नहीं बनाया जायगा और वह अपना कार्य केवल अपनी ही भूमि पर सम्पादन करेगा।

११. मानचित्र में कटे हुए भागों का निर्माण नहीं किया जायेगा एवं निर्माण स्वीकृत मानचित्र के आधार पर ही करना होगा।

१२. यदि मानचित्र में उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम १९७३ की धारा १५ के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त (कंडीशन) के साथ स्वीकृत किया जाता है तो वह पूर्ति मान्य होगी। एवं भवन निर्माण संबंधी समय-समय पर प्रसारित शासनादेशों को ध्यान में रखते हुए ही किया जायगा।

१३. निर्माणकर्ता इस स्वीकृति का उपयोग नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम १९७६ की किसी धारा से बचने के लिए नहीं कर सकेगा और यदि इस स्वीकृति का विपरीत प्रभाव उपरोक्त अधिनियम की किसी भी धारा पर पड़ता है तो वह स्वीकृति उस सीमा तक निरस्त समझी जायगी।

१४. स्वीकृत मानचित्र के अनुसार भवन निर्माण पूर्ण होने के एक माह के अन्दर अपना कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे। प्रमाण-पत्र के बगैर भवन प्रयोग में नहीं लायेंगे।

१५. भू स्वामित्व की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

१६. आवेदक प्राधिकरण को प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र में...

संलग्नक—उपरोक्तानुसार दी जाने वाली शर्तों का पालन करेगा।

सचिव/उपाध्यक्ष

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

मुरादाबाद

Scanned with CamScanner

प्रपत्र "डी"

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

124/92 अनाधिकृत भवन निर्माण सम्बन्धी रिपोर्ट

१-निर्माण कार्य की सम्भाव्य तिथि यदि निर्माण बिना अनुमति किया गया है तो प्रत्येक निर्माण की सम्भाव्य तिथि दिये गये निर्माण के विवरण सहित

२-निर्माण कार्य पता लगने की 23/1/92

३-निर्माण स्थान लाकड़ी फाजलपुर, थाना मझोला

४-चल रहे भवन निर्माण का विवरण तथा उपयोग भूतल पर एक बाउंड्रीवाल का निर्माण किया जा रहा है। स्थल पर कोई स्वीकृति नहीं दिखाई गयी

५-भवन निर्माण स्वामी का नाम तथा पता श्री किशोर कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम नारायण गुप्ता, आलिशान लौहिया ब्रास लिमिटेड, लाकड़ी फाजलपुर, थाना मझोला

६- रिपोर्ट करने वाले अधिकारी का पद तथा मुख्यालय पर की कार्यवाही की जानी चाहिए)

रिपोर्ट करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर 23/1/92

नियत अधिकारी के आदेश:-

(अ) रिपोर्ट की जाँच करली गई है।

(ब) उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा २७ (१) के अन्तर्गत, कारण बताओ नोटिस दिनांक
के लिये नियत हो। 26-2-92

सचिव / उपाध्यक्ष
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

Scanned with CamScanner

प्रपत्र 'क'

सेवा में,

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

मुरादाबाद

अनाधिकृत भवन निर्माण सम्बन्धी रिपोर्ट

१—निर्माण कार्य की सम्भाव्य तिथि यदि निर्माण भिन्न समय में किया गया है तो प्रत्येक निर्माण की सम्भाव्य तिथि किये गये निर्माण के विवरण सहित

२—निर्माण कार्य पता लगाने का .... [illegible]

३—निर्माण स्थान .... लाकड़ी रोड मझोला

४—अब तक भवन निर्माण का विवरण तथा .... [illegible] निर्माण किया जा रहा है। [illegible] Roof Level [illegible]

५—भवन निर्माण स्वामी का नाम तथा पता .... [illegible] मझोला मुरादाबाद

६—रिपोर्ट करने वाले अधिकारी का पद तथा सुझाव .... धारा २७ व २८ की कार्यवाही [illegible]

रिपोर्ट करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर [illegible]

17/9/93
JE

नियत अधिकारी के आदेश :—

(अ) रिपोर्ट की जाँच कर ली गई है।

(ब) उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा २७ (१) के अन्तर्गत, कारण बताओ नोटिस दिनांक 5-10-93 के लिए नियत हो।

23/9

सचिव/उपाध्यक्ष
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

Scanned with CamScanner

2

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

मुरादाबाद

527/2000

अनाधिकृत भवन निर्माण सम्बन्धी रिपोर्ट

१—निर्माण कार्य की प्रारम्भ तिथि यदि निर्माण किया जा रहा है या पूर्ण निर्माण की सम्भाव्य तिथि किये गये निर्माण के विवरण सहित लगभग वर्ष (लगभग)

२—निर्माण कार्य पता लगने की 11/9/2000

३—निर्माण स्थान .... डिजाइनको मिनी बाईपास रोड लाकड़ी फाजलपुर

४—भवन या उसके भाग निर्माण का विवरण तथा उपयोग .... लगभग एक एकड़ जमीन जो कि गागन नदी के किनारे है पर पांच फीट से ऊंची दीवार का निर्माण कराया गया है। जी०आई० शीट पर पी०टी० की ओर से ओड हाल स्वं का LPG गैस प्लान्ट बनाये गये हैं।

५—भवन निर्माण स्वामी का नाम तथा पता श्री विपिन कुमार गुप्ता
.... डिजाइनको मिनी बाईपास रोड
.... लाकड़ी फाजलपुर मुरादाबाद।

६—रिपोर्ट करने वाले अधिकारी का पद तथा .... धारा 27 के अन्तर्गत कार्यवाही।
रिपोर्ट करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर

11/9/2000
जे०ई०

नियत अधिकारी के आदेश :—

(अ) रिपोर्ट की जांच कर ली गई है।

(ब) उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा २७ (१) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 15-9-2000 के लिए नियत हो।

11/09/2000

आर० एल० सिंह सरोज
सचिव
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण,
मुरादाबाद

Scanned with CamScanner

सेवा में, [illegible]

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

मुरादाबाद

530/2000

अनाधिकृत भवन निर्माण सम्बन्धी रिपोर्ट

१—निर्माण कार्य की सम्भाव्य तिथि यदि निर्माण [illegible] किया गया है तो प्रत्येक निर्माण की सम्भव तिथि दिये गये निर्माण के विवरण सहित

२—निर्माण कार्य पता लगने की ....11.9.2000 ....

३—निर्माण स्थान- कौशिक ग्राम / डिलारी के [illegible] मुरादाबाद

४—भवन एवं भवन निर्माण का विवरण तथा स्थान कौशिक ग्राम / डिलारी के [illegible] [illegible] × [illegible] मीटर की नाप में [illegible] का निर्माण कार्य [illegible]

....

५—भवन निर्माण स्वामी का नाम तथा पता श्री विपिन कुमार [illegible]

.... कौशिक ग्राम / डिलारी के ....

.... [illegible] मुरादाबाद

६—रिपोर्ट करने वाले अधिकारी का पद तथा नाम [illegible]

रिपोर्ट करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर [illegible]

[illegible] 11/9/2000

नियत अधिकारी के आदेश :—

(अ) रिपोर्ट की जांच कर ली गई है।

(ब) उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा २७ (१) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.9.2000 के लिए निर्गत हो।

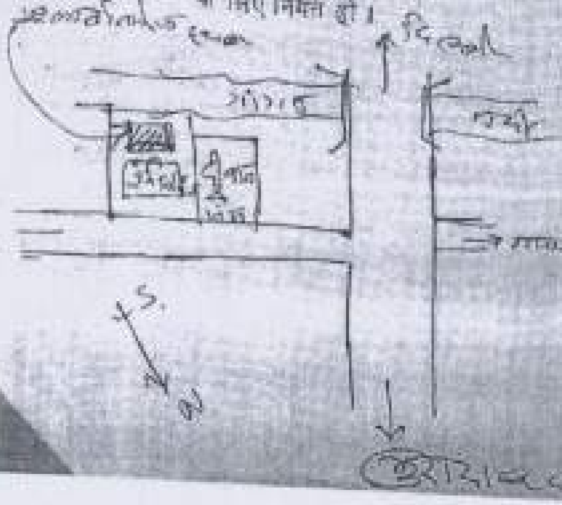

[illegible] 12.9.2000

आर० एल० सिंह सरोज
सचिव/[illegible]
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण,
मुरादाबाद

फ़ेबा सं.　　　　प्रपत्र "डी" वाद सं० — 98/2022
3/6/2022

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

मुरादाबाद

3/16

अनाधिकृत भवन निर्माण सम्बन्धी रिपोर्ट

१— निर्माण स्थल का थाना .... मझोला ....

२— निर्माण कार्य की सम्भाव्य तिथि यदि निर्माण भिन्न समय में किया गया है तो प्रत्येक निर्माण को सम्भाव्य तिथि किये गये निर्माण के विवरण सहित ....

३— निर्माण कार्य पता लगने का दिनांक .... 26.5.22 ....

४— निर्माण स्थल .... लोहिया ग्रास मुरादाबाद ....

५— चल रहे भवन निर्माण का विवरण तथा उपयोग .... गागन नदी के किनारे बाउन्ड्री वाल का निर्माण किया जा रहा है। स्थल पर कोई स्वीकृति नहीं दिखायी गयी। ....

६— भवन निर्माण स्वामी का नाम तथा पता .... श्री नितिन कुमार गुप्ता लोहिया ग्रास गागन तिराहा मिनी बाईपास रोड मुरादाबाद ....

७— निर्माण की प्रकृति .... बाउन्ड्री वाल ....

८— रिपोर्ट करने वाले अवर अभियन्ता का नाम .... गिरीश पाण्डेय ....

९— रिपोर्ट करने वाले अवर अभियन्ता की संस्तुति .... धारा 27, 28, की कार्यवाही प्रस्तावित है। ....

(हस्ताक्षर) 26.5.22

नियत अधिकारी के आदेश

(अ) रिपोर्ट की जाँच कर ली गई है।

(ब) उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम १९७३ की धारा २७ (१) के अन्तर्गत, कारण बताओ नोटिस तथा धारा २८ (१) के अन्तर्गत कार्य रोकने के आदेश दिनांक........................ के लिए नियत हो।

आज प्रस्तुत
(हस्ताक्षर) 3/6/22
टाकरसर

(हस्ताक्षर) 3/6/2022

जोन प्रभारी/सचिव
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

Scanned with CamScanner

सं० 23

क्रम सं० 237

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

निर्माण रोकने के आदेश

8-27/15

अन्तर्गत धारा २८।उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम, १९७३

श्री प्रा० लोहिया प्रा० लिमिटेड
लाकड़ी फाजलपुर रोड मझोला - मुरादाबाद
आपने बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के

मोहल्ला .... मकान नं० .... बिजली का खम्बा नं० ....
लाकड़ी फाजलपुर
के पास स्थल पर औद्योगिक निर्माण किया जा रहा है। स्थल पर कोई खुदाई नहीं दिखाई गयी।

.... अनाधिकृत निर्माण किया जा रहा है।

अतः आपको एतद् द्वारा आदेश दिया जाता है कि यह अवैध निर्माण कार्य तुरन्त रोक दें। राज-मजदूरों को निर्माण कार्य से हटा दें और दीवार की चिनाई, छत डालने/प्लास्टर करने/बाहर दीवारी बनाने का कार्य बन्द कर दें।

20/12/15

सचिव
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

नोट :—आपसे आग्रह किया जाता है कि इस आदेश के बाद भी यदि आपने निर्माण कार्य जारी
रखा तो अन्य प्राविधान के अन्तर्गत कार्यवाही के अलावा व निर्माण कर्त्ता, राज-मजदूरों
को पुलिस द्वारा निर्माण-स्थल से हटवा दिया जायेगा और इस आदेश के बाद धारा
२८ (४) उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम के अन्तर्गत फौजदारी मुकदमे में
प्रतिदिन २००/-रु० जुर्माना देने के भी आप जिम्मेदार होंगे।

Scanned with CamScanner

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण [illegible]/95

मु रा दा बा द

अनाधिकृत भवन निर्माण सम्बन्धी रिपोर्ट

१—निर्माण कार्य को [illegible] निर्माण [illegible] किया गया है तो [illegible] तिथि [illegible] निर्माण के विवरण सहित।

२—निर्माण कार्य पता लगने की 20/12/95

३—निर्माण स्थान लाकड़ी फाजलपुर

४—बन रहे भवन निर्माण का विवरण तथा कार्य स्थल पर [illegible] निर्माण [illegible] स्थल पर कोई स्वीकृति नहीं दिखायी तथा सील मुआयना से इंकार किया।

५—भवन निर्माण स्वामी का नाम तथा पता [illegible] लाकड़ी फाजलपुर रोड [illegible] मुरादाबाद

६—रिपोर्ट करने वाले अधिकारी का पद तथा सुझाव [illegible] धारा 27 व 28 की कार्यवाही

रिपोर्ट करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर [illegible] [signature] 20/12/95

नियत अधिकारी के आदेश :—

(अ) रिपोर्ट की जाँच कर ली गई है।

(ब) उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत, कारण बताओ नोटिस दिनांक 2-1-96 को [illegible] के लिये नियत हो।

[signature] 20/12/95

सचिव/उपाध्यक्ष
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

Scanned with CamScanner

प्रपत्र 'डी'

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

मु रा दा बा द

अनाधिकृत भवन निर्माण सम्बन्धी रिपोर्ट

१—निर्माण कार्य की सम्भाव्य तिथि सहित निर्माण किस समय में किया गया, है तो प्रश्नगत निर्माण की सम्भाव्य तिथि किये गये निर्माण के विवरण सहित।

२—निर्माण कार्य पता लगाने की 1/1/96

३—निर्माण स्थान ...... [illegible]

४—भवन/अनाधिकृत निर्माण का विवरण तथा नाप ...... [illegible]

५—भवन निर्माण करने वाले का नाम तथा पता ...... [illegible]

६—रिपोर्ट करने वाले अधिकारी का नाम या पदनाम ...... [illegible]

रिपोर्ट करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर ...... [illegible]

1/1/96

नियत अधिकारी के आदेश :—

(अ) रिपोर्ट की जाँच कर ली गई है।

(ब) उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा २७ (१) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 2-1-96 के लिए निर्गत हो।

[illegible] 1/96

सचिव/उपाध्यक्ष
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

कार्यालय मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक [illegible] मानचित्र [illegible] म-968/95-96 दिनांक [illegible]

श्री/श्रीमती [illegible] चौधरी [illegible] चौधरी [illegible]

पता [illegible]

निर्माण स्थल [illegible] रोड [illegible] मुरादाबाद

आपके [illegible] नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा [illegible] के अन्तर्गत [illegible] संख्या 968/95-96 मानचित्र द्वारा [illegible] हेतु दिये गये आवेदन पत्र दिनांक 15-2-96 [illegible] स्वीकृत करने हेतु [illegible] मुरादाबाद ने उपरोक्त अधिनियम की धारा [illegible] के अन्तर्गत दिनांक 27-2-96 को यह [illegible] किया था कि [illegible] [illegible] उपरोक्त [illegible] रसीद संख्या [illegible] दिनांक 11-3-96 [illegible] जमा कर दिया है। अतः आपके [illegible] हेतु मानचित्र [illegible] निम्नलिखित [illegible] के अनुसार [illegible] किया जाता है।

1–यह मानचित्र स्वीकृति के दिनांक से [illegible] वर्ष तक वैध है।

2–मानचित्र [illegible] नगर निगम, [illegible] किसी अन्य व्यक्ति का [illegible] निर्माण [illegible] निर्माणकर्ता [illegible]।

3–[illegible] मानचित्र [illegible] हेतु स्वीकृत [illegible] गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।

4–[illegible] विकास कार्य [illegible] होगा।

5–[illegible] मानचित्र [illegible] शासन अथवा किसी भी स्थानीय निकाय [illegible] विकास करने [illegible] नहीं होगा।

6–दरवाजे व खिड़कियाँ इस तरह लगाये जायेंगे कि वह खुलने पर उनके पल्ले किसी सरकारी भूमि अथवा सड़क आदि की ओर [illegible] न हों।

7–बिजली की [illegible] के अन्दर [illegible] विद्युत [illegible] (हाई टेन्शन [illegible]) के नीचे कोई निर्माण नहीं किया जायेगा।

8–सड़क, नाली, [illegible] सरकारी भूमि पर [illegible] निर्माण [illegible] नहीं किया जायेगा। [illegible] पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।

9–स्वीकृत मानचित्र [illegible] निर्माण स्थल पर रखना आवश्यक होगा [illegible] मौके पर [illegible] जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र [illegible] नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा [illegible] भवन [illegible] की जिम्मेदारी स्वयं [illegible] होगी।

10–सड़क पर [illegible] कोई [illegible] नहीं [illegible] स्वयं [illegible] भूमि पर [illegible]।

11–मानचित्र में [illegible] का निर्माण नहीं किया जायेगा स्वीकृत मानचित्र के आधार पर ही करना होगा।

12–[illegible] नगर योजना एवं विकास अधिनियम, [illegible] की धारा [illegible] के अन्तर्गत [illegible] शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है [illegible] भवन निर्माण [illegible] पर प्रसारित शासनादेशों को ध्यान में रखते हुए ही [illegible] जायेगा।

13–[illegible] अधिनियम [illegible] की धारा [illegible] और यदि [illegible] स्वीकृत [illegible] प्रभाव उपरोक्त अधिनियम की धारा [illegible] तो यह स्वीकृति [illegible] निरस्त समझी जायेगी।

14–स्वीकृत मानचित्र के अनुसार भवन निर्माण पूर्ण होने के एक माह के अन्दर अपना [illegible] का प्रमाण पत्र प्राप्त करें। प्रमाण पत्र के बगैर भवन प्रयोग में नहीं लाया [illegible]।

15–भू-स्वामित्व की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

सचिव/उपाध्यक्ष

कार्यालय

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

[illegible]- 368/9596

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम १९७३ की धारा २७ के अन्तर्गत

नोटिस

बनाम श्री [illegible]
[illegible]

[illegible] मुरादाबाद [illegible]

[illegible] उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम १९७३ की धारा [illegible] प्राविधानों के विरुद्ध [illegible] की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्दर [illegible] पर स्थित अनाधिकृत रूप से निम्नलिखित विकास कार्य अथवा निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया है [illegible] पूरा कर लिया है और इस प्रकार उपरोक्त अधिनियम के प्राविधानों तथा उसके अधीन बनाये गये विनियमों का उल्लंघन किया गया है।

[illegible]

[illegible] आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप इस कार्यालय में दिनांक [illegible] को स्वयं अथवा अपने यथाविधि प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा उपस्थित होकर यह स्पष्टीकरण दें कि उपरोक्त अनाधिकृत निर्माण को गिरा देने की आज्ञा क्यों न दे दी जाये और आपके विरुद्ध उपरोक्त अधिनियम की धारा २६ तथा २७ के अन्तर्गत कार्यवाही क्यों न की जाय।

उपरोक्त अधिनियम की धारा २७ (१) के अन्तर्गत आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप उपरोक्त अनाधिकृत [illegible] अथवा [illegible] निर्माण को [illegible] गिरा देने का [illegible] किया जा सकता है और इस प्रकार [illegible] उसी प्रकार वसूल किया जायेगा [illegible] मालगुजारी [illegible] वसूल की जाती है।

टिप्पणी — [illegible] उक्त अधिनियम की धारा २६ की ओर भी दिलाया जाता है जिसके अधीन आप उक्त अधिनियम की धारा १४ के अधीन [illegible] अधिकारी की अनुज्ञा के बिना निर्माण करने के लिए [illegible] हो सकते हैं जो १०,००० रुपया (दस हजार रुपये) तक हो सकता है और अपराध [illegible] अपराध के लिए [illegible] अतिरिक्त अर्थदण्ड [illegible] अपराध के लिए प्रथम बार सिद्ध [illegible] प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराध जारी रहे रुपये ५०० (पाँच सौ रुपये) तक हो सकता है।

आज दिनांक [illegible] को मेरे हस्ताक्षर मुहर सहित जारी किया गया।

[signature]

उपाध्यक्ष सचिव
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद।

प्रपत्र "डी"

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

मुरादाबाद

538/02

अनाधिकृत भवन निर्माण सम्बन्धी रिपोर्ट

१—निर्माण कार्य को सम्भाव्य तिथि यदि निर्माण भिन्न समय में किया गया है तो प्रत्येक निर्माण को सम्भाव्य तिथि किये गये निर्माण के विवरण सहित

२—निर्माण कार्य पता लगने को 7.11.2002

३—निर्माण स्थान .... रोड .... लाकड़ी फाजलपुर

४—चल रहे भवन निर्माण का विवरण तथा उपयोग .... 30 × 50 .... [illegible]

५—भवन निर्माण स्वामी का नाम तथा पता श्री योगेन्द्र कुमार पुत्र श्री .... दीवान .... लाकड़ी फाजलपुर .... मुरादाबाद

६—रिपोर्ट करने वाले अधिकारी का पद तथा सुझाव धारा 27, 28 .... [illegible]

रिपोर्ट करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर

7.11.2002

नियत अधिकारी के आदेश :-

8.11.02

(अ) रिपोर्ट की जांच कर ली गई है।

(ब) उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा २७ (१) के अन्तर्गत, कारण बताओ नोटिस दिनांक 15.11.2002 के लिए नियत हो।

सचिव/उपाध्यक्ष
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

आ०सं० ५६७/२०२१

प्रपत्र "डी"

सेवा में,

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

अनाधिकृत भवन निर्माण सम्बन्धी रिपोर्ट

1- निर्माण स्थल का थाना .... मझोला

2- निर्माण कार्य की सम्भाव्य तिथि यदि निर्माण भिन्न समय में किया गया है तो प्रत्येक निर्माण की सम्भाव्य तिथि किये गये निर्माण के विवरण सहित ....

3- निर्माण कार्य पता लगने का दिनांक .... पूर्व निर्मित

4- निर्माण स्थल .... दीवान सन्स गागन तिराहा मुरादाबाद

5- चल रहे भवन निर्माण का विवरण तथा उपयोग .... लगभग 30 बीघा के क्षेत्रफल में औद्योगिक इकाई संचालित किया जा रहा है स्थल पर कोई स्वीकृति नही दिखायी गयी

6- भवन निर्माण स्वामी का नाम तथा पता .... श्री योगेन्द्र गांधी दीवान सन्स गागन तिराहा मुरादाबाद

7- निर्माण की प्रकृति .... औद्योगिक

8- रिपोर्ट करने वाले अवर अभियन्ता का नाम .... गिरीश पाण्डेय

9- रिपोर्ट करने वाले अवर अभियन्ता की संस्तुति .... धारा 27 की कार्यवाही प्रस्तावित है।

G.K. Pandey
15.11.21 JE

नियत अधिकारी के आदेश

(अ) रिपोर्ट की जाँच कर ली गई है।

(ब) उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1) के अन्तर्गत, कारण बताओ नोटिस धारा 28 (1) के अन्तर्गत कार्य रोकने के आदेश दिनांक .... के लिए नियत हो।

श्री ओ०पी० .... अ० प्र०
..22

अजय कुमार

..21
जोन प्रभारी/सचिव
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

Scanned with CamScanner

क्रम संख्या 1593

कार्यवाही संख्या- 460/2021

उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के अन्तर्गत

नोटिस

बनाम श्री ......योगेन्द्र गांधी......

......[illegible] मुरादाबाद......

क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के प्रविधानों के विरुद्ध उपाध्यक्ष मु० वि० प्रा० की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्दर मौहल्ला पर स्थित अनाधिकृत रुप से निम्नलिखित विकास कार्य / भवन निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया है / पूरा कर लिया है और इस प्रकार उपरोक्त अधिनियम के प्राविधानों तथा उसके आधीन बनाये गये विनियमों का उलंघन किया गया है।

......लगभग 30 बीघा के क्षेत्रफल मे औद्योगिक ईकाई अनाधिकृत किया जा रहा है स्थल पर कोई स्वीकृति नहीं दिखायी गयी।......

अत: आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप इस कार्यालय में दिनांक ......26-11-2021...... को स्वयं अथवा अपने यथाविधि प्राधिकृत अधिकर्ता द्वारा उपस्थित होकर यह स्पष्टीकरण दें कि अपरोक्त अनाधिकृत निर्माण को गिराने की आज्ञा क्यों न दे दी जाये और आपके विरुद्ध उपरोक्त अधिनियम की धारा 26 तथा 27 के अन्तर्गत कार्यवाही क्यों न की जाये।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 28 (1) के अन्तर्गत आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप उपरोक्त अनाधिकृत निर्माण को तत्काल रोक दें अन्यथा उपरोक्त निर्माण को बलपूर्वक गिरा देने का आदेश पारित किया जा सकता है और इस प्रकार गिरवाने में जो व्यय होगा उसे आपसे उसी प्रकार वसूल किया जायेगा जैसे कि मालगुजारी की बकाया वसूल की जाती है।

टिप्पणी- आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 6 की ओर भी दिलाया जाता है जिसके अधीन आप उक्त अधिनियम की धारा 14 के आधीन अपेक्षित प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना निर्माण करने के लिये अर्थदण्ड के भागी हो सकते हैं जो 10,000 रुपये (दस हजार रुपये) तक हो सकता है और अपराध अनवरत रुप में होने की दशा में ऐसे अपराध के लिये आप अतिरिक्त अर्थदण्ड के भागी हो सकते हैं जो अपराध के लिये प्रथम दोषी सिद्ध ठहराये जाने के पश्चात प्रत्येक ऐसे कार्य के लिये जिसमें अपराध जारी रहे रुपये 500 (पांच सो रुपये) तक हो सकता है।

दिनांक 15-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर मुहर सहित जारी किया गया।

उपाध्यक्ष/सचिव/जोन प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

17/11/21

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

[illegible]वाही संख्या- 795/2019

क्रम संख्या 2756

उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के अन्तर्गत

नोटिस

श्री/श्रीमती [illegible]

[illegible]

चूंकि आपने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के प्राविधानों के विरुद्ध उपाध्यक्ष मु० वि० प्रा० की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्दर मौहल्ला [illegible] पर स्थित अनाधिकृत रुप से निम्नलिखित विकास कार्य / भवन निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया है / पूरा कर लिया है और इस प्रकार उपरोक्त अधिनियम के प्राविधानों तथा उसके आधीन बनाये गये विनियमों का उल्लंघन किया गया है।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

अतः आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप इस कार्यालय में दिनांक 11-11-19 को स्वयं अथवा अपने यथाविधि प्राधिकृत अधिकर्ता द्वारा उपस्थित होकर यह स्पष्टीकरण दें कि उपरोक्त अनाधिकृत निर्माण को गिराने की आज्ञा क्यों न दे दी जाये और आपके विरुद्ध उपरोक्त अधिनियम की धारा 26 तथा 27 के अन्तर्गत कार्यवाही क्यों न की जाये।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 28 (1) के अन्तर्गत आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप उपरोक्त अनाधिकृत निर्माण को तत्काल रोक दें अन्यथा उपरोक्त निर्माण को बलपूर्वक गिरा देने का आदेश पारित किया जा सकता है और इस प्रकार गिरवाने में जो व्यय होगा उसे आपसे उसी प्रकार वसूल किया जायेगा जैसे कि मालगुजारी की बकाया वसूल की जाती है।

टिप्पणी- आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 6 की ओर भी दिलाया जाता है जिसके अधीन आप उक्त अधिनियम की धारा 14 के आधीन अपेक्षित प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना निर्माण करने के लिये अर्थदण्ड के भागी हो सकते हैं जो 10,000 रुपये (दस हजार रुपये) तक हो सकता है और अपराध अनवरत रुप में होने की दशा में ऐसे अपराध के लिये आप अतिरिक्त अर्थदण्ड के भागी हो सकते हैं जो अपराध के लिये प्रथम दोषी सिद्ध ठहराये जाने के पश्चात प्रत्येक ऐसे कार्य के लिये जिसमें अपराध जारी रहे रुपये 500 (पांच सौ रुपये) तक हो सकता है।

दिनांक 4-11-19 को मेरे हस्ताक्षर मुहर सहित जारी किया गया।

[illegible]
10/11/19

उपाध्यक्ष/सचिव/जोन प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

[illegible] एवं विकास अधि[illegible]

Scanned with CamScanner

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

अनाधिकृत भवन निर्माण सम्बन्धी रिपोर्ट

1- निर्माण स्थल का थाना .... मझोला ....

2- निर्माण कार्य की सम्भाव्य तिथि यदि निर्माण भिन्न समय में किया गया है तो प्रत्येक निर्माण को सम्भव्य तिथि किये गये निर्माण के विवरण सहित .... / ....

3- निर्माण कार्य पता लगने का दिनांक .... 04.11.19 ....

4- निर्माण स्थल .... लाकड़ी फाजलपुर गागन नदी मुरादाबाद ....

5- चल रहे भवन निर्माण का विवरण तथा उपयोग .... मे. गागन नदी की भूमि को पर अतिक्रमण करते हुए लगभग 27.00 मी. X 60.00 मी. तीन मंजिला औद्योगिक भवन का निर्माण कार्य निरीक्षण के दौरान स्थल ....

6- भवन निर्माण स्वामी का नाम तथा पता .... मानचित्र नहीं दिखाया। .... सर्व श्री सुरेन्द्र गाँधी, जोगेन्द्र गाँधी व सोमनाथ गाँधी M/s दीवान ... लाकड़ी फाजलपुर, मुरादाबाद

7- निर्माण की प्रकृति ....

8- रिपोर्ट करने वाले अवर अभियन्ता का नाम .... राजेन्द्र सिंह ....

9- रिपोर्ट करने वाले अवर अभियन्ता की संस्तुति .... धारा 27 कार्यवाही प्रस्तावित है ....

04-11-19
JE

नियत अधिकारी के आदेश

(अ) रिपोर्ट की जाँच कर ली गई है।

(ब) उ॰ प्र॰ नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1) के अन्तर्गत, कारण बताओ नोटिस धारा 28 (1) के अन्तर्गत कार्य रोकने के आदेश दिनांक .... 11-11-19 .... के लिए नियत हो।

अनिल
5/11/19

जोन प्रभारी/सचिव
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

प्रपत्र "डी"

सेवा में,

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

Case No 139/2001

मुरादाबाद

अनाधिकृत भवन निर्माण सम्बन्धी रिपोर्ट

१—निर्माण कार्य की सम्भाव्य तिथि यदि निर्माण भिन्न समय में किया गया है तो प्रत्येक निर्माण की सम्भाव्य तिथि किये गये निर्माण के विवरण सहित

२—निर्माण कार्य पता लगने की 16.8.2001

३—निर्माण स्थान [illegible] बाईपास [illegible]

४—बन रहे भवन निर्माण का विवरण तथा उपयोग भूतल सामने दो [illegible] (12'x12') आदि है एवं [illegible] (30'x70') [illegible] निर्माणकार्य जारी है [illegible] पर कोई स्वीकृति नहीं दिखायी गयी

५—भवन निर्माण स्वामी का नाम तथा पता श्री वी० के० गुप्ता ([illegible]) [illegible] रोड लाकड़ी फाजलपुर मुरादाबाद

सेवा में,

प्रपत्र "डी"

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

82/95

मु रा दा बा द

अनाधिकृत भवन निर्माण सम्बन्धी रिपोर्ट

१—निर्माण कार्य की सम्भाव्य तिथि यदि निर्माण भिन्न समय में किया गया है तो प्रत्येक निर्माण की सम्भाव्य तिथि किये गये निर्माण के विवरण सहित

२—निर्माण कार्य पता लगने की 2.11.95

३—निर्माण स्थान लाकड़ी फाजलपुर

(1)

प्रपत्र "डी"

सेवा में,

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

मुरादाबाद Case No. 304/2001

अनाधिकृत भवन निर्माण सम्बन्धी रिपोर्ट

१—निर्माण कार्य की सम्भावित तिथि यदि निर्माण भिन्न समय में किया गया है तो प्रत्येक निर्माण की सम्भाव्य तिथि किये गये निर्माण के विवरण सहित

२—निर्माण कार्य पता लगने की 4.1.02

३—निर्माण स्थान [illegible] पास रोड लाकड़ी फजलपुर

४—भवन एवं भवन निर्माण का विवरण तथा उपयोग [illegible] पर पीछे की ओर एक [illegible] के लिए RCS Pillars डालकर 150 म० ऊँचाई [illegible] है तथा [illegible] में [illegible] कार्य [illegible] जा रहा है। निरीक्षण स्थल पर कोई स्वीकृति नहीं दिखाई [illegible]

५—भवन निर्माण कर्ता का नाम तथा पता श्री बी० के० गुप्ता [illegible] डिजाइनर्स [illegible] पास दिल्ली रोड लाकड़ी फाजलपुर [illegible] मुरादाबाद

६—रिपोर्ट करने वाले अधिकारी का पद तथा सुझाव रिपोर्ट करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर धारा 27, 28 व 26 के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी चाहिए। [illegible] 04-01-02 JE

नियत अधिकारी के आदेश :-

(अ) रिपोर्ट की जांच कर ली गई है।

(ब) उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा २७ (१) के अन्तर्गत, कारण बताओ नोटिस दिनांक 10-1-2002 के लिए नियत हो।

[illegible]

सचिव/उपाध्यक्ष
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

Scanned with CamScanner

1

प्रपत्र "डी"

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

मुरादाबाद

332/0?

अनाधिकृत भवन निर्माण सम्बन्धी रिपोर्ट

१—निर्माण कार्य की सम्भाव्य तिथि यदि निर्माण भिन्न समय से किया गया है तो प्रत्येक निर्माण की सम्भाव्य तिथि किये गये निर्माण के विवरण सहित

२—निर्माण कार्य पता लगने की 2/11/2

३—निर्माण स्थान [illegible] पार्क रोड [illegible]

४—चल रहे भवन निर्माण का विवरण तथा उपयोग प्रथम तल पर बेसमेंट के 50'×100' क्षेत्र में हाल के निर्माण [illegible] R.C.C. पिलर्स आदि [illegible] स्थल पर कोई स्वीकृति नहीं दिखायी

५—भवन निर्माण स्वामी का नाम तथा पता श्री नितिन कुमार गुप्ता पु० श्री [illegible] गुप्ता व श्रीमती शिखा गुप्ता प० श्री नितिन कुमार गुप्ता [illegible] [illegible] मुरादाबाद।

६—रिपोर्ट करने वाले अधिकारी का पद तथा सुझाव धारा 27, 28 व 26 के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी चाहिए।

रिपोर्ट करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर) 2/11/02

नियत अधिकारी के आदेश :-

(अ) रिपोर्ट की जांच कर ली गई है। (हस्ताक्षर) 02-11-02

(ब) उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा २७ (१) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 15-11-2002 के लिए नियत हो।

सचिव/उपाध्यक्ष
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

Scanned with CamScanner

क्रम संख्या 19   2

[मुराद]ाबाद विकास प्राधिकरण, इकाई गजरौला, मुरादाबाद

निर्माण रोकने के आदेश

33 नो०
1 .....

अन्तर्गत धारा २८ उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम, १९७३

को विपिन कुमार गुप्ता S/O श्री नारायण कुमार गुप्ता व श्रीमति शिखा गुप्ता W/O श्री विपिन कुमार गुप्ता

आपने द्वारा बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के

मोहल्ला .... मकान नं० .... बिजली का खम्बा नं० ....

के पास डिज़ाइन को. [illegible] [illegible]पुर मुरादाबाद [illegible] [illegible] [illegible] रोड [illegible]पुर प्रथम तल पर [illegible] 50'X100' क्षेत्र में हाल के लिए निर्माण कार्य RCC के पिलर लगाकर 1.50 M ऊँचाई तक जारी है स्थल पर कोई स्वीकृति नहीं दिखाई गयी

.... अनाधिकृत निर्माण किया जा रहा है।

अतः आपको एतद द्वारा आदेश दिया जाता है कि यह अवैध निर्माण कार्य तुरन्त रोक दें राज-मजदूरों को निर्माण कार्य से हटा दें और दीवार की चिनाई, छत डालने, प्लास्टर करने/बाहर दीवारें बनाने का कार्य बन्द कर दें।

अधिकृत अधिकारी/सचिव
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, इकाई गजरौला
मुरादाबाद

नोट :—आपसे आग्रह किया जाता है कि इस आदेश के बाद भी यदि आपने निर्माण कार्य जारी रखा तो अन्य प्राविधान के अन्तर्गत कार्यवाही के अलावा व निर्माण कर्ता, राज-मजदूरों को पुलिस द्वारा निर्माण-स्थल से हटवा दिया जायेगा और इस आदेश के बाद धारा २८ (४) उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम के अन्तर्गत फौजदारी मुकदमे में प्रतिदिन २००/-रु० जुर्माना देने के भी आप जिम्मेदार होंगे।

Scanned with CamScanner

नोटिस ५६३/२०२१

प्रपत्र "डी"

सेवा में,

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

अनाधिकृत भवन निर्माण सम्बन्धी रिपोर्ट

1- निर्माण स्थल का थाना ......मझोला

2- निर्माण कार्य की सम्भाव्य तिथि यदि निर्माण भिन्न समय में किया गया है तो प्रत्येक निर्माण की सम्भाव्य तिथि किये गये निर्माण के विवरण सहित ......पूर्व से संचालित

3- निर्माण कार्य पता लगाने का दिनांक ......

4- निर्माण स्थल ......डिजाइनको कम्पनी निकट गांगन तिराहा मुरादाबाद

5- चल रहे भवन निर्माण का विवरण तथा उपयोग ......लगभग 100 बीघा के क्षेत्रफल में डिजाइनको कम्पनी संचालित किया जा रहा है स्थल पर कोई स्वीकृति नही दिखायी गयी

6- भवन निर्माण स्वामी का नाम तथा पता ......श्री विपिन कुमार गुप्ता डिजाइनको कम्पनी निकट गांगन तिराहा मुरादाबाद

7- निर्माण की प्रकृति ......औद्योगिक

8- रिपोर्ट करने वाले अवर अभियन्ता का नाम ......गिरीश पाण्डेय

9- रिपोर्ट करने वाले अवर अभियन्ता की संस्तुति ......धारा 27 की कार्यवाही प्रस्तावित

[signature] 15.11.21 JE

नियत अधिकारी के आदेश

(अ) रिपोर्ट की जाँच कर ली गई है।

(ब) उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 (1) के अन्तर्गत, कारण बताओ नोटिस धारा 28 (1) के अन्तर्गत कार्य रोकने के आदेश दिनांक ...... के लिए नियत हो।

[signature] 15.11.21

जोन प्रभारी/सचिव
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

Scanned with CamScanner

Key Plan

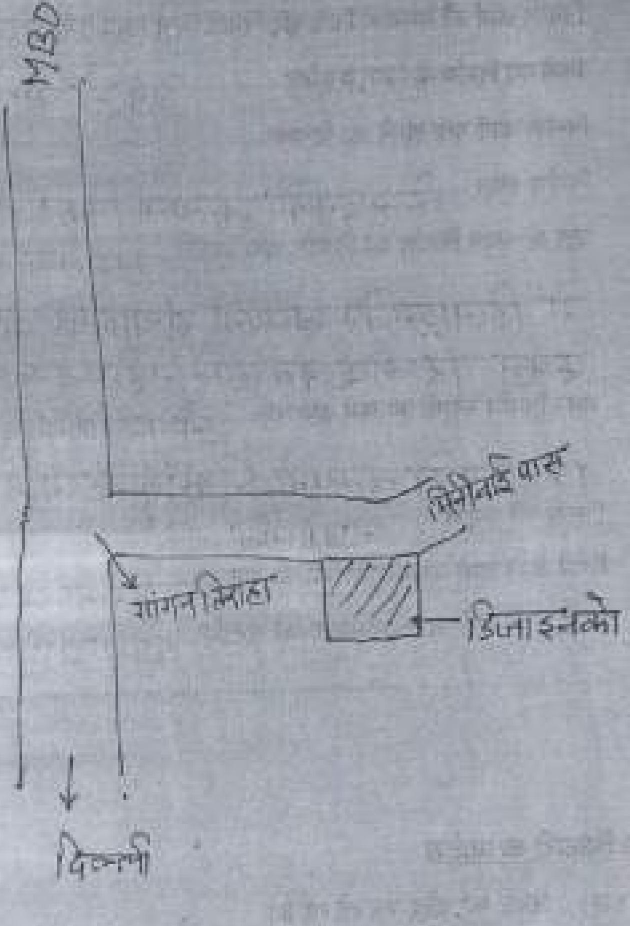

Key Plan not to scale

[signature]

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

कार्यवाही संख्या- ये 59/2021 क्रम संख्या 1594

उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के अन्तर्गत

नोटिस

बनाम श्री विपिन कुमार गुप्ता
डिजाइनर्स कम्पनी ग्राम [illegible] मुरादाबाद

क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के प्राविधानों के विरुद्ध उपाध्यक्ष मु० वि० प्रा० की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्दर मौहल्ला पर स्थित अनाधिकृत रुप से निम्नलिखित विकास कार्य / भवन निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया है / पूरा कर लिया है और इस प्रकार उपरोक्त अधिनियम के प्राविधानों तथा उसके आधीन बनाये गये विनियमों का उलंघन किया गया है।

लगभग 100 बीघा के क्षेत्रफल में डिजाइनर्स कम्पनी संचालित किया जा रहा है। स्थल पर कोई स्वीकृति नहीं दिखायी गयी।

अत: आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप इस कार्यालय में दिनांक 26-11-21 को स्वयं अथवा अपने यथाविधि प्राधिकृत अधिकर्ता द्वारा उपस्थित होकर यह स्पष्टीकरण दें कि अपरोक्त अनाधिकृत निर्माण को गिराने की आज्ञा क्यों न दे दी जाये और आपके विरुद्ध उपरोक्त अधिनियम की धारा 26 तथा 27 के अन्तर्गत कार्यवाही क्यों न की जाये।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 28 (1) के अन्तर्गत आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप उपरोक्त अनाधिकृत निर्माण को तत्काल रोक दें अन्यथा उपरोक्त निर्माण को बलपूर्वक गिरा देने का आदेश पारित किया जा सकता है और इस प्रकार गिरवाने में जो व्यय होगा उसे आपसे उसी प्रकार वसूल किया जायेगा जैसे कि मालगुजारी की बकाया वसूल की जाती है।

टिप्पणी- आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 6 की ओर भी दिलाया जाता है जिसके अधीन आप उक्त अधिनियम की धारा 14 के आधीन अपेक्षित प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना निर्माण करने के लिये अर्थदण्ड के भागी हो सकते हैं जो 10,000 रुपये (दस हजार रुपये) तक हो सकता है और अपराध अनवरत रुप में होने की दशा में ऐसे अपराध के लिये आप अतिरिक्त अर्थदण्ड के भागी हो सकते हैं जो अपराध के लिये प्रथम दोषी सिद्ध ठहराये जाने के पश्चात प्रत्येक ऐसे कार्य के लिये जिसमें अपराध जारी रहे रुपये 500 (पांच सौ रुपये) तक हो सकता है।

दिनांक 15-11-21 को मेरे हस्ताक्षर मुहर सहित जारी किया गया।

उपाध्यक्ष/सचिव/जोन प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

17-11-21

Scanned with CamScanner

नग/67/22
8-3-2022

प्रपत्र "डी"

सेवा में,

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

अनाधिकृत भवन निर्माण सम्बन्धी रिपोर्ट

1- निर्माण स्थल का थाना .... मझोला

2- निर्माण कार्य की सम्भाव्य तिथि यदि निर्माण भिन्न समय में किया गया है तो प्रत्येक निर्माण को सम्भाव्य तिथि किये गये निर्माण के विवरण सहित ....

3- निर्माण कार्य पता लगने का दिनांक .... 28.2.2022.

4- निर्माण स्थल डिजाइनको गांगन तिराहा मुरादाबाद

5- चल रहे भवन निर्माण का विवरण तथा उपयोग .... मै० डिजाइनको द्वारा गांगन नदी के किनारे जो कि नदी का क्षेत्र प्रतीत हो रहा है, पर R.C.C बाउन्ड्री वाल का निर्माण किया जा रहा है।

6- भवन निर्माण स्वामी का नाम तथा पता श्री विपिन कुमार गुप्ता डायरेक्टर डिजाइनको फैक्ट्री गांगन तिराहा मुरादाबाद

7- निर्माण की प्रकृति बाउन्ड्री वाल

8- रिपोर्ट करने वाले अवर अभियन्ता का नाम गिरीश कुमार पाण्डेय

9- रिपोर्ट करने वाले अवर अभियन्ता की संस्तुति धारा 27, 28, की कार्यवाही .... प्रस्तावित

GK Pandey
28/02/2022 JE

नियत अधिकारी के आदेश

(अ) रिपोर्ट की जाँच कर ली गई है।

(ब) उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 (1) के अन्तर्गत, कारण बताओ नोटिस धारा 28 (1) के अन्तर्गत कार्य रोकने के आदेश दिनांक .... के लिए नियत हो।

[signature] 2/3/22

[signature] 02/03/22

[signature] 1/3/2022

जोन प्रभारी/सचिव
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

Scanned with CamScanner

KEY PLAN

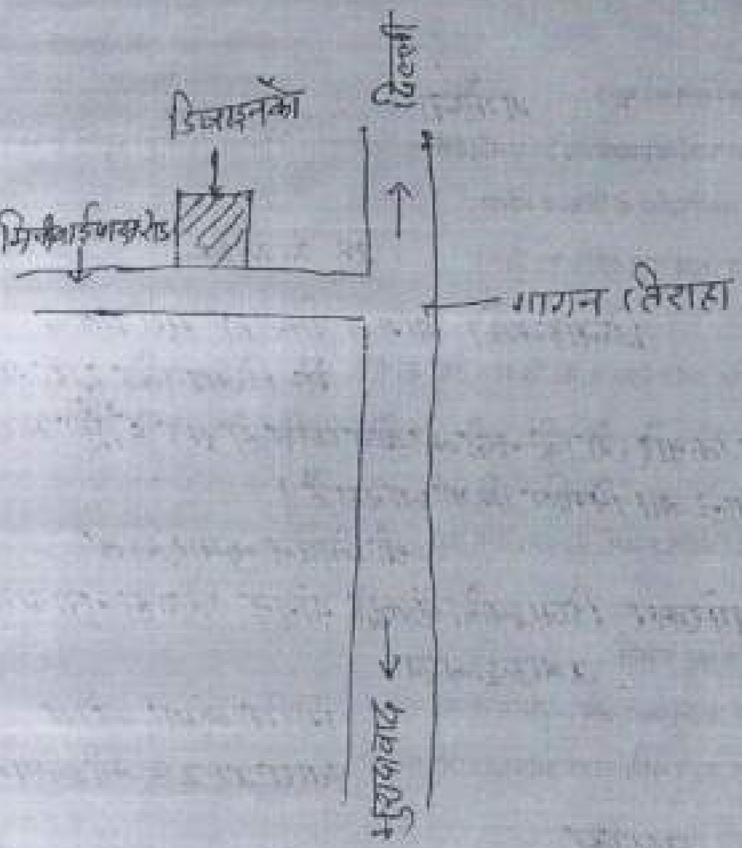

28-2-22

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

क्रम संख्या ...3303....

निर्माण रोकने के आदेश

वादसं 767/2021

अन्तर्गत धारा 28 ऊ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 02-3-2022

श्री ...विपिन कुमार गुप्ता...

...डायरेक्टर डिजाइनको गागन तिराहा मुरादाबाद...

आपने बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के

मौहल्ला .... मकान सं० .... बिजली का खम्बा नं० ....

के पास ...मैं. डिजाइनको द्वारा गागन नदी के किनारे जो कि नदी का क्षेत्र प्रतीत हो रहा है उस पर R.C.C बाउन्ड्रीवाल का निर्माण किया जा रहा है।...

............अनाधिकृत निर्माण किया जा रहा है।

अतः आपको एतद् द्वारा आदेश दिया जाता है कि यह अवैध निर्माण कार्य तुरन्त रोक दें। राज–मजदूरों को निर्माण कार्य से हटा दें और दीवार की चिनाई, छत डालने / प्लास्टर करने / चाहर दीवारी बनाने का कार्य बन्द कर दें।

दिनांक .... को मेरे हस्ताक्षर मुहर सहित जारी किया गया

2/3/2022

उपाध्यक्ष/सचिव/जोन प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

2-3-2022

नोट : – आपसे आग्रह भी किया जाता है कि इस आदेश के बाद यदि आपने निर्माण कार्य जारी रखा तो अन्य प्राविधान के अन्तर्गत कार्यवाही के अलावा निर्माण कर्ता, राज–मजदूरों को पुलिस द्वारा निर्माण–स्थल से हटवा दिया जायेगा और इस आदेश के बाद धारा 18 (4) ऊ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम के अन्तर्गत फौजदारी मुकदमें में रु. 200/- प्रतिदिन जुर्माना देने के भी आप जिम्मेदार होंगे।

Scanned with CamScanner

Annexure-4

53

संख्या- [illegible]

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त एवं प्रमुख सचिव,
अवस्थापना एवं औद्योगिक
विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

2. प्रमुख सचिव,
गृह विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

3. प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी
नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

4. प्रमुख सचिव,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

5. प्रमुख सचिव,
बाढ़ एवं राजस्व विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

6. प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

7. प्रमुख सचिव,
ऊर्जा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

8. प्रमुख सचिव,
पंचायती राज विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

9. प्रमुख सचिव,
सिंचाई एवं बाढ़
नियंत्रण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

10. पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

11. अध्यक्ष,
जल निगम,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

12. अध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत
परिषद, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

13. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

सिंचाई अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 16 मार्च, 2010

विषय:- नदियों के बाढ़ क्षेत्रों (फ्लड प्लेन जोन) में अवैध निर्माण/अतिक्रमणों को प्रभावी ढंग से रोकने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में ऐसे प्रकरण आ रहे हैं कि लगातार फ्लड प्लेन जोन में अवैध निर्माण/अतिक्रमण बढ़ते ही जा रहे हैं तथा इन पर प्रभावी नियन्त्रण नहीं हो रहा है। फ्लड प्लेन में निर्माण से जहाँ एक ओर बाढ़ के समय बहाव में व्यवधान से जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं, वहीं दूसरी ओर निवासियों को जान-माल हानि का खतरा रहता है। इस सम्बन्ध में पूर्व में समय-समय पर शासन द्वारा आदेश जारी किये गये हैं तथा आवास अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-1773/9-आ-1-1995, दिनांक 18मई,1995 एवं शासनादेश संख्या-2432/9-आ-1अतिक्रमण/2003(आ.ब.), दिनांक 04अप्रैल,2003 में भी आदेश जारी किये गये हैं, परन्तु शासनादेशों का सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कठोरता से अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिससे नदियों के फ्लड प्लेन जोन में अवैध निर्माण/अतिक्रमण लगातार हो रहे हैं। अतः शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:-

(1) महायोजनाओं के अन्तर्गत नदियों के किनारे फ्लड प्लेन जोन को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित किया जाना एवं इसमें किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होना सुनिश्चित करने हेतु इन क्षेत्रों का भू-उपयोग हरित रखा जाय। सम्बन्धित नगरों की महायोजनाओं के जोनिंग रेगुलेशन्स में फ्लड प्लेन्स के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबन्धित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(2) आर0बी0ओ0 एक्ट, यू0पी0अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेन्ट एक्ट-1973 तथा इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट एक्ट-1976 के अन्तर्गत फ्लड प्लेन जोन में किसी प्रकार के निर्माण कार्य हेतु कोई अनापत्ति नहीं दी जायेगी और न ही भू-मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा। उक्त प्रकार के अवैध निर्माण को रोकने हेतु उक्त अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जाय।

---2---

Scanned by CamS

(3) ऐसे क्षेत्र जो प्रस्तर-(1) एवं (2) से आच्छादित नहीं है, उनमें औचित्य पाये जाने पर नार्दन इण्डिया कैनाल एवं ड्रेनेज एक्ट-1873 की धारा-55 के अन्तर्गत क्षेत्रों को अधिसूचित करते हुए अवैध निर्माण को हटाने के लिए सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जाए।

(4) जिलाधिकारियों द्वारा यू0पी0फ्लड इमरजेन्सी पावर (एक्वीजीशन एवं रिक्वीजीशन) एक्ट-1951 का प्रभावी प्रयोग किया जाय।

(5) सिंचाई विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा नदियों के फ्लड प्लेन जोन में अवैध निर्माणकारियों को सचेत किया जाय कि वह अवैध निर्माण को तुरन्त हटा लें। यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि इस प्रकार के अवैध निर्माण के कारण बाढ़ से होने वाली क्षति की कोई प्रतिपूर्ति शासन द्वारा नहीं की जायेगी तथा बाढ़ सुरक्षा कार्य नहीं कराये जायेंगे, साथ ही अवैध निर्माण से होने वाली क्षति की वसूली अवैध निर्माणकारियों से की जायेगी। अवैध निर्माण/अतिक्रमणों को स्वेच्छा से हटाने का प्रयास किया जाय। यदि स्वेच्छा न हटाया जाय तो उपरोक्त उपप्रस्तर (2) तथा (3) की विधिक व्यवस्थाओं के अधीन कार्यवाही की जाय। सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों/ औद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं नगर पालिका परिषदों द्वारा अधिनियम में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अवैध निर्माणकारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

(6) सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित थानाध्यक्षों के माध्यम से फ्लड प्लेन जोन में अवैध निर्माण/अतिक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(7) सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण को अवैध अतिक्रमण की स्थिति उत्पन्न होते ही बल पूर्वक हटाये जाने की व्यवस्था का फ्लड प्लेन में भी कड़ाई से अनुपालन कराया जाय।

(8) फ्लड प्लेन में अतिक्रमण/अवैध निर्माण हटाने हेतु अपेक्षित कार्यवाही न करने पर सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाय।

(9) अतिक्रमणकारियों/अवैध निर्माणकर्ता को राशनकार्ड, बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन आदि राजकीय सुविधाएँ उपलब्ध न कराई जाय।

उक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव।

संख्या-1417बी(1)/09-27-सिं-2, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को अपने स्तर से प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित-

1- आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
2- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष/प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ एवं प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई यांत्रिक विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त नगर निगमों के प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त नगर परिषद एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
9- समस्त विनियमित क्षेत्रों के नियत प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10- समस्त अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
11-सिंचाई अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
12-गार्ड फुक।

आज्ञा से,

(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव।

Scanned by CamScanner

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
अनुभाग–11, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या: जी–532/11–155–रा0आ0/2021, दिनांक : 17-09-2021

विषय: मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कारपोरेशन, गोरखपुर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.01.2021 एवं ओ0ए0 सं0–102/2021 आचार्य दामोदर शास्त्री व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.05.2021 के अनुपालन में कृत कार्यवाही की समीक्षा बैठक विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त शासन के पत्र सं0–1388/एक–9–2021 दिनांक 01.09.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 एन0जी0टी0 (राष्ट्रीय हरित अधिकरण), नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 सं0–116/2014, मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कारपोरेशन, गोरखपुर व अन्य, ओ0ए0 सं0–102/2021, आचार्य दामोदर शास्त्री व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य आदि में पारित आदेश के अनुपालन में कृत कार्यवाही की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 02.09.2021 आहूत बैठक में निर्देश प्रदान किये गये है कि अपने जनपद में आने वाली नदियों के तट से 100 मीटर की सीमा के अन्दर हुये अतिक्रमण को यथाशीघ्र हटवायें।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने जनपद में आने वाली नदियों के तट से 100 मीटर की सीमा के अन्दर हुये अतिक्रमण को नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण हटवाने तथा अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों पर समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करें। नदियों के तट से अतिक्रमण हटवाने की कृत कार्यवाही से शासन, राजस्व अनुभाग–9 तथा राजस्व परिषद को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

उक्त प्रकरण पर आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(शीतला लाल वर्मा)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त
कृते आयुक्त एवं सचिव

आवश्यक/महत्वपूर्ण

कार्यालय जिलाधिकारी मुरादाबाद।

संख्या- 760 /जि0भू0व्य0सहा0/2021-22 दिनांक-18 सितम्बर, 2021

विषय- मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली मे विचाराधीन ओ0ए0 स0-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कारपोरेशन, गोरखपुर व अन्य मे पारित आदेश दिनाक 12.01.2021 एवं ओ0ए0 संख्या-102/2021 आचार्य दामोदर शास्त्री व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 27.05.2021 के अनुपालन मे कृत कार्यवाही की समीक्षा बैठक विषयक।

समस्त उपजिलाधिकारी/
समस्त तहसीलदार,
जनपद-मुरादाबाद।

कृपया उपर्युक्त विषयक आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 अनुभाग-11 लखनऊ के पत्र संख्या-जी532/11-155-रा0आ0/2021 दिनाक 17.09.2021 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करे, जिसके अन्तर्गत शासन के पत्र संख्या-1388/एक-9-2021 दिनांक 01.09.2021 के कम में मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 स0-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कारपोरेशन, गोरखपुर व अन्य, ओ0ए0 संख्या-102/2021 आचार्य दामोदर शास्त्री व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन मे मा0 मुख्य सचिव महोदय द्वारा बैठक दिनाक 02.09.2021 में निर्देश दिया गया है कि नदियों के तट से 100 मी. की सीमा के अन्तर्गत हुये अतिकमण को यथाशीघ्र हटवायें तथा कृत कार्यवाही से अवगत करायें।

अतएव आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 अनुभाग-11 लखनऊ के पत्र संख्या-जी532/11-155-रा0आ0/2021 दिनांक 17.09.2021 की छायाप्रति आपको इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली मे योजित वाद ओ0ए0 स0-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कारपोरेशन, गोरखपुर व अन्य, ओ0ए0 संख्या-102/2021 आचार्य दामोदर शास्त्री व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में मा0 मुख्य सचिव महोदय द्वारा बैठक दिनांक 02.09.2021 मे दिये गये निर्देशों के कम मे अपनी तहसील क्षेत्रान्तर्गत नदियों के तट से 100 मी0 की सीमा के अन्तर्गत हुये अतिकमण को नियमानुसार हटवाया जाना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से 15 दिवस मे अवगत करायें ताकि मा0 राजस्व परिषद/शासन को कृत कार्यवाही से अवगत करायें।

संलग्नक-यथोक्त।

(सुरेन्द्र सिंह)
अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)
मुरादाबाद।

Tech (S) / Ex-En Irrigation
कृ. अनुपालन सुनिश्चित करायें

23/9/21

कार्यालय सहायक अभियन्ता
बाढ़ उपखण्ड द्वितीय मुरादाबाद

दिनांकः– 9 / 11 /2021

पत्रांकः– C-258/सअद्वि/अवैध निर्माण

विषयः–जनपद मुरादाबाद में गांगन नदी के बांये किनारे पर डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण के संबंध में।

सन्दर्भः–आपका पत्रांक शून्य, दिनांक 30.10.2021

प्रबन्धक, डी0सी0 डिजाइनको लाकड़ी फाजलपुर, मुरादाबाद।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा गांगन नदी के बांये किनारे पर डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण किया जा रहा है जबकि शासनादेश सं0 1417बी0/09–27–सिं–2–181 बाढ़/09, दिनांक 16.03.2010 के अन्तर्गत डूब क्षेत्र में किया गया निर्माण अवैध है जिसको हटाने हेतु आपको पूर्व में भी कई बार निर्देशित किया जा चुका है। आपका पत्रांक शून्य, दिनांक 30.10.2021 जो इस कार्यालय में दिनांक 08.11.2021 को प्राप्त हुआ है, जिसमें आपने नोटिस को तथ्यहीन एवं निराधार बताते हुये निरस्त करने को कहा गया है। उपरोक्त शासनादेश एवं कार्यालय जिलाधिकारी मुरादाबाद के पत्र सं0 760/जि0नू0व्य0सहा0/2021–22, दिनांक 18.09.2021 के द्वारा नदी के तट से [illegible] मी0 की सीमा के अन्तर्गत अवैध निर्माण को हटाने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः आपके द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार नहीं है।

अतः अवैध निर्माण को हटाने की कार्यवाही शासन/प्रशासन द्वारा की जायेगी, जिसमें होने वाले व्यय एवं क्षतिपूर्ति की समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

सहायक अभियन्ता
बाढ़ उपखण्ड द्वितीय
मुरादाबाद

पत्रॉक–C-258/सअद्वि/अवैध निर्माण, तदिनॉक 9/11/21

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहायक अभियन्ता
बाढ़ उपखण्ड द्वितीय
मुरादाबाद

कार्यालय सहायक अभियन्ता
बाढ़ उपखण्ड द्वितीय मुरादाबाद

पंत्राक:–C–253/सअद्वि/अवैध निर्माण

दिनांक:– 8/11/2021

विषय:–जनपद मुरादाबाद में गांगन नदी के बांये किनारे पर मै0 डिजाइनको लाकड़ी फाजलपुर, मुरादाबाद के द्वारा फैक्ट्री का विस्तार करते हुये नदी तक डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण को हटाने के संबंध में।

अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड मुरादाबाद।

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उच्चाधिकारियों के निर्देशों के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक सी–241/स0अ0–2, दिनांक 27.10.2021 के द्वारा मै0 डिजाइनको लाकड़ी फाजलपुर, मुरादाबाद को गांगन नदी के किनारे पर किये गये अवैध निर्माण को हटाने हेतु दिनांक 29.10.2021 को पुलिस बल के साथ जाकर नोटिस प्राप्त कराया गया था जिसका विरोध के कारण डिमार्केशन नहीं किया जा सका। आपके पत्रांक 2070/बाखमु/अवैध कब्जा, दिनांक 30.10.2021 के द्वारा मै0 डिजाइनको लाकड़ी फाजलपुर, मुरादाबाद द्वारा डूब क्षेत्र में किये गये निर्माण को हटाने के निर्देश निर्गत किये गये।

अवगत कराना है कि दिनांक 08.11.2021 को स्पीड पोस्ट द्वारा मै0 डिजाइनको लाकड़ी फाजलपुर, मुरादाबाद का पंत्राक: शून्य, दिनांक:–30.10.2021 प्राप्त हुआ है, जो मूल रूप में संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में स्पष्ट दिशा निर्देश देने की कृपा करें।

संलग्नक :–उपरोक्तानुसार 05 नग।

सहायक अभियन्ता
बाढ़ उपखण्ड द्वितीय मुरादाबाद

कार्यालय सहायक अभियन्ता
बाढ़ उपखण्ड–द्वितीय, मुरादाबाद

नोटिस

दिनांक :–27/10/2021

पत्रांक :–C-241 /स०अ०–2/नोटिस मुकदमा

विषयः– नोटिस/सूचना नदियों के बाढ़ क्षेत्र (फ्लड प्लेन जोन) में अवैध निर्माणों के सम्बन्ध में।

मैसर्स/श्री प्रताप सिंह, डी०पी०एस० डिजाइनर पिता का नाम श्री .... निवासी लाकड़ी फाजलपुर तह० व जिला मुरादाबाद। थाना मंझोला जिला मुरादाबाद को इस नोटिस द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा गांगन नदी के बाढ़ क्षेत्र/डूब क्षेत्र (फ्लड प्लेन जोन) ग्राम लाकड़ी फाजलपुर मुरादाबाद में .... का निर्माण किया गया है जो कि अवैध है। बाढ़ के समय इस निर्माण के क्षतिग्रस्त होने से अप्रत्याशित जनधन की हानि हो सकती है। सिंचाई विभाग जिला प्रशासन या शासन किसी भी स्थिति में इस निर्माण कार्य को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है। इस निर्माण से नदी का बहाव परिवर्तित हो सकता है। उक्त अवैध निर्माण को हटाने हेतु इस कार्यालय द्वारा आपको पूर्व में भी कई बार सूचित किया जा चुका लेकिन अभी तक आपके द्वारा अवैध निर्माण नही हटाया गया।

अतः आप स्वयं इस निर्माण को तीन दिवस में हटा लें यदि आपके द्वारा अवैध निर्माण तीन दिवस में नहीं हटाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में शासनादेश सं० 1417बी/09–27–सिं०–2–181 बाढ़/09, दिनांक 16.03.2010 के अन्तर्गत अवैध निर्माण हटाते हुये आपके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। अवैध निर्माण को हटाने में की गई कार्यवाही के दौरान किसी प्रकार की जन–धन की हानि एवं होने वाले हर्जे–खर्चे के आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

सहायक अभियन्ता
बाढ़ उपखण्ड–द्वितीय, मुरादाबा
27/10/21

29/10/21
Deepak Kumar

स्पीडपोस्ट

कार्यालय सहायक अभियन्ता
बाढ़ उपखण्ड द्वितीय मुरादाबाद

पत्रांक :- C-77/सअद्वि/अवैध निर्माण, दिनांक :- 16/6/2020

विषय :- जनपद मुरादाबाद मे गांगन नदी के बांये किनारे पर डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण के सम्बन्ध में।

प्रबन्धक डी०सी० डिजल्कि, लाकड़ी फाजलपुर, जिला-मुरादाबाद

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में आपके द्वारा पूर्व मे गांगन नदी के डूब क्षेत्र में किये गये अवैध निर्माण को हटाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 111/स०अ०-2/अवैध निर्माण, दिनांक 18.02.2020 एवं पत्रांक 142/स०अ०-2/अवैध निर्माण, दिनांक 07.03.2020 के द्वारा दिनांक 16.03.2020 तक निर्देशित किया गया था जो कि आपने उक्त अवैध निर्माण को निर्धारित तिथि एवं अभी तक नहीं हटाया है। आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक 22.06.2020 तक उक्त अवैध निर्माण हटवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त अवैध निर्माण को हटाने हेतु विभागीय कार्यवाही की जा रही है जिसमें आपके विरूद्ध एफ०आई०आर० कर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी एवं विभाग द्वारा अतिकमण हटा दिया जायेगा और इसमें होने वाले सम्पूर्ण व्यय की वसूली भी आपसे की जायेगी एवं अवैध निर्माण को हटाने में होने वाला विभागीय व्यय का बीजक बिल अवैध निर्माण को हटाने के उपरान्त आपको प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
बाढ़ उपखण्ड द्वितीय मुरादाबाद

पत्रांक:-C-77/सअद्वि/अवैध निर्माण तद्दिनांक:- 16/6/20

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिलाधिकारी महोदय मुरादाबाद ।
2. अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अवैध निर्माण को हटाने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

सहायक अभियन्ता
बाढ़ उपखण्ड द्वितीय मुरादाबाद

कार्यालय सहायक अभियन्ता
बाढ़ उपखण्ड–द्वितीय, मुरादाबाद

पंत्रांक:– 142 /सअ–2/अवैध निर्माण/ दिनांक:– 07/03/2020

विषय:–जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत गांगन नदी के बांये किनारे पर स्थित डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण के संबंध में।

प्रबन्धक डी0सी0 डिजाइनको
लाकड़ी फाजलपुर जिला–मुरादाबाद।

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा दिये गये पिछले समस्त पत्रों का अवलोकन किया गया जिसमें आपके द्वारा पूर्व में भी गांगन नदी के डूब क्षेत्र में निर्माण किया है एवं विभाग द्वारा कोई अनापत्ति प्रमाण–पत्र नहीं दिया गया है तथा कानून की परवाह न करते हये गांगन नदी के बांये किनारे पर स्थित डूब क्षेत्र में फैक्ट्री का विस्तार करने के उद्देश्य से अवैध निर्माण कर अवैधानिक कार्य किया है तथा गांगन नदी के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। आपके द्वारा अपने पत्र में लिखा गया है कि गांगन तटबन्ध बनाते समय नदी की धारा को परिवर्तित किया गया है जबकि विभाग द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है एवं नदी पूर्व से ही यथास्थान पर बह रही है।

इस सम्बन्ध में आप किसी प्रकार का व्यर्थ पत्राचार न करें एवं आपको निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश सं0 1417सी0/09–27–सिं–2–181 बाढ़/09, दिनांक 16.03.2010 के अन्तर्गत आपके द्वारा डूब क्षेत्र में किये गये अतिरिक्त अवैध निर्माण को दिनांक 16.03.2020 तक हटा दें। अन्यथा कि स्थिति मे विभाग/प्रशासन द्वारा उक्त अवैध निर्माण को गिरा दिया जायेगा, जिसका गिराने का सम्पूर्ण खर्च आपके द्वारा वसूल किया जायेगा एवं नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी।

सहायक अभियन्ता
बाढ़ उपखण्ड–द्वितीय, मुरादाबाद

पंत्रांक:– 142 /सअ–2/अवैध निर्माण/तदिनांक:– 07/03/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।
2. अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद।

सहायक अभियन्ता
बाढ़ उपखण्ड–द्वितीय, मुरादाबाद

संलग्नक-1

10

कार्यालय सहायक अभियन्ता
बाढ़ उपखण्ड-द्वितीय, मुरादाबाद

पत्रांक :- 111 /स0अ0-2/अवैध निर्माण दिनांक :- 18/02/2020

विषय :-जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत गांगन नदी के बांये किनारे पर स्थित डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण करने के सम्बन्ध में।

प्रबन्धक डी0सी0 डिजाइनको
लाकड़ी फाजलपुर जिला मुरादाबाद।

आपको सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी की टीम द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर यह पाया गया कि गांगन नदी के बांये किनारे पर स्थित डूब क्षेत्र में फैक्ट्री का विस्तार करने के उद्देश्य से अवैध निर्माण कर अवैधानिक कार्य किया है। उक्त निर्माण को इस पत्र के प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर हटाकर अधोहस्ताक्षरी को कार्यालय सहायक अभियन्ता, बाढ़ उपखण्ड-द्वितीय, नलकूप कालौनी, मुरादाबाद पर सूचित करें। अन्यथा आपके विरूद्ध शासनादेश सं0 1417सी0/09-27-सिं-2-181 बाढ़/09, दिनांक 16.03.2010 के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

संलग्नक :-अवैध निर्माण के फोटोग्राफ।

25/02/2020

सहायक अभियन्ता
बाढ़ उपखण्ड-द्वितीय, मुरादाबाद

पत्रांक:- 111 /स0अ0-द्वि0/दिनांक:- 18/02/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद।
2. अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद।

संलग्नक :-अवैध निर्माण के फोटोग्राफ।

सहायक अभियन्ता
बाढ़ उपखण्ड द्वितीय मुरादाबाद

9

संलग्नक-105

रिकॉर्ड

कार्यालय सहायक अभियन्ता
बाढ उपखण्ड द्वितीय, मुरादाबाद

पत्रांक- 61 /सअद्वि/ दिनॉक 09/03/2017

विषय- गांगन नदी के बांये किनारे पर स्थित लाकड़ी फाजलपुर, मुरादाबाद में अतिक्रमण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- आपके सन्दर्भित पत्र संख्या-शून्य, दिनांक 06.02.2017

<u>डिजाइनको कम्पनी, लाकड़ी फाजलपुर, मुरादाबाद।</u>

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में आपको अवगत कराना है कि निम्नलिखित सूचनाए एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को भेजना का कष्ट करें।

1. एन0डी0ए0 द्वारा डिजाइनको फैक्ट्री की ड्राइंग जो सजरा प्लान पर स्वीकृत हो, जिसमें नदी स्पष्ट रूप से अंकित/प्रदर्शित करें।
2. Mean sea level के सन्दर्भ में डिजाइनको फैक्ट्री का Plinth level क्या है।

सहायक अभियन्ता
बाढ उपखण्ड द्वितीय, मुरादाबाद

पत्रांक- 61 /सअद्वि/तदिनॉक 09/03 /2017

प्रतिलिपि -

1. उपजिलाधिकारी, मुरादाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित है।
2. अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहायक अभियन्ता
बाढ उपखण्ड-द्वितीय, मुरादाबाद

FLOOD CONTROL ROOM --27

7 संलग्नक

कार्यालय सहायक अभियन्ता
बाढ़ उपखण्ड–द्वितीय, मुरादाबाद

पत्रांक– 27 /सअद्वि/अतिक्रमण, दिनांक– 11/01/2017

विषय– गागन नदी के बाये किनारे पर स्थित लाकड़ी फाजलपुर, मुरादाबाद में अतिक्रमण के सम्बन्ध में।

प्रबन्धक,
डिजाइनको कम्पनी
लाकड़ी फाजलपुर, मुरादाबाद।

आपको तृतीय नोटिस के जरिये सूचित किया जाता है कि हाईकोर्ट इलाहाबाद के पी0आई0एल0 न0–31229 में दिनांक 27.07.2012 को दिये गये निर्णय का अवलोकन करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि आप द्वारा गागंन नदी पर किये गये अवैध रूप से निर्माण को हटा कर 15 दिवस के भीतर अद्योहस्ताक्षरी को सूचित करे, अन्यथा आपके खिलाफ विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

सहायक अभियन्ता
बाढ़ उपखण्ड–द्वितीय, मुरादाबाद

पत्रांक– /सअद्वि/अतिक्रमण, तदिनांक– /2017

प्रतिलिपि –

1. जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. उपजिलाधिकारी, मुरादाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त अवैध निर्माण को हटाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करने की कृपा करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहायक अभियन्ता
बाढ़ उपखण्ड–द्वितीय, मुरादाबाद

संलग्नक - 16

संलग्नक - 15

4

ट्रेसमाप रहित

कार्यालय सहायक अभियन्ता द्वितीय
बाढ़ उपखण्ड, मुरादाबाद

पत्रांक- [illegible] /सअद्वि/अतिक्रमण

विषयः- गांगन नदी के बाँये किनारे पर स्थित लाकड़ी फाजलपुर मुरादाबाद में अतिक्रमण के संबंध में। दिनांक- [illegible]/[illegible]/2016

सदर्भ- इस कार्यालय का पत्रांक-157/सअद्वि/अतिक्रमण/दिनांक-26.04.2016

प्रबन्धक, डिजाइनको कम्पनी लाकड़ी फाजलपुर, मुरादाबाद।

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें अवगत कराया गया था कि आपके द्वारा लाकड़ी फाजलपुर मुरादाबाद में गांगन नदी के बाँये किनारे पर नदी प्रवाह क्षेत्र में डिजाइनको फैक्ट्री का निर्माण कर लिया है जिससे गांगन नदी की मुख्य धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हो रहा है एवं बाढ़ काल में नदी का पानी अवरोध के कारण शहर में फैल जाता है। परन्तु आपके द्वारा अभी तक उपरोक्त निर्माण हटाया नही गया है।

अतः आपको अन्तिम बार निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त अवैध निर्माण 07 दिवस के भीतर हटाकर इस कार्यालय को सूचित करे। अन्यथा आपके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

सहायक अभियन्ता द्वितीय
बाढ़ उपखण्ड, मुरादाबाद

पत्रांक- 198 /सअद्वि/तदिनांक- 23/05/2016

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता बाढ़ खण्ड मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

सहायक अभियन्ता द्वितीय
बाढ़ उपखण्ड, मुरादाबाद

2

कार्यालय सहायक अभियन्ता द्वितीय
बाढ़ उपखण्ड, मुरादाबाद

पत्रांक:– 157 /सअद्वि/अतिक्रमण दिनांक:– 26/04/2016

विषय:– गॉगन नदी के बॉये किनारे पर स्थित लाकडी फाजलपुर मुरादाबाद में अतिक्रमण के संबंध में

प्रबन्धक, डिजाइनको कम्पनी लाकड़ी फाजलपुर, मुरादाबाद।

उपरोक्त विषयक के संबंध में सूचित करना है कि आपके द्वारा लाकड़ी फाजलपुर मुरादाबाद में गांगन नदी के बांये किनारे पर नदी प्रवाह क्षेत्र में डिजाइनको फैक्ट्री का निर्माण कर लिया है जिससे गांगन नदी की मुख्य धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हो रहा है एवं बाढ़ काल में नदी का पानी अवरोध के कारण शहर में फैल जाता है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त अवैध निर्माण 15 दिवस के भीतर हटाकर इस कार्यालय को सूचित करे। अन्यथा आपके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

सहायक अभियन्ता द्वितीय
बाढ़ उपखण्ड, मुरादाबाद

पत्रांक:– 157 /सअद्वि/तद्दिनांक:– 26/04/2016

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता बाढ़ खण्ड मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

सहायक अभियन्ता द्वितीय
बाढ़ उपखण्ड, मुरादाबाद

कार्यालय,
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग खण्ड–मुरादाबाद,
निकट बी–161/4, जिगर विहार कालोनी,
सिविल लाइन,मुरादाबाद ।

पत्रांकः /भू0ज0वि0ख0–मुरा0/टी–4 दिनांकःमुरादाबादःमई 28 2022

विषयः–माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–303/2020, शैलेश सिंह बनाम मै0 डिजाइनकों एवं अन्य में आदेश दिनांक–07–01–2021 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा संयुक्त निरीक्षण की जांच आख्या के संबंध में।

<u>क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुरादाबाद।</u>

कृपया उपरोक्त विषयक एवं अपने पत्रांक सं0–501/एन.–13/303/जनरल, दिनांक–17–05–2022, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में संबंधित पत्र का बिन्दु के क्रम में समिति द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया तथा सरकारी गजट उत्तर प्रदेश प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित,उत्तर प्रदेश शासन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–3 सं0–331/76–3–2020–13,एन0जी0/2020, लखनऊ,दिनांक–17–06–2020, की अधिसूचना के अनुसार मुरादाबाद जनपद के विकास खण्ड–मुरादाबाद एवं मुरादाबाद शहर क्षेत्र को गैर अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। अतः मै0 डिजाइनकों, दीवान इण्डिया, होरीजोन इम्प्लेक्स, सॉई क्रियेशन, लोहिया ब्रास, सी0एल0 गुप्ता एण्ड सन्स एवं अन्य इकाई भूजल दोहन हेतु गैर अधिसूचित क्षेत्र में स्थापित है।

अधिशासी अभियन्ता
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–मुरादाबाद।

पत्रांकः 14/भू0ज0वि0ख0–मुरा0/तादिनांक।
प्रतिलिपि–जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–मुरादाबाद।

Annexure 14

CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 16535979/Moradabad/2022 **Date:14/06/2022**

1- **Name of Industry:** DESIGNCO
2- **Address of Industry:** LAKRI FAZALPUR, DELHI ROAD, MORADABAD,MORADABAD,244001
3- **District:** Moradabad
4- **Description about sampling point:** Final Outlet of ETP
5- **Type of Sample (Grab/Composite/Integrated):** Grab
6- **Sample Collected By:** Vinod Kumar and Jitendra Nath Tiwari AEE1,AEE2 & Rajeev Kumar MA
7- **Colour and Odour:** Colourless Odourless
8- **Quantity and Packing:** 2 Lit (Plastic Jericane)
9- **Date of Sample Collection:** 25/05/2022
10- **Analyis Indented by:** RO Moradabad
11- **Date of sample receipt in Lab:** 26/05/2022

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH,4500 H B Electronic method	-	7.48	6.0-9.0	02-12
Suspended Solids , 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 0C	mg/l	52.0	100	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 0C	mg/l	926.0	-	10- 50000 mg/l
Phosphate as P , 4500 P D Stannous Chloride Method	mg/l	1.044	5	0.03-100 mg/l
Copper (Cu), 3111- B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	ND	3	0.01-1000mg/l
Nickel (Ni), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	2.6582	3	0.02-1000 mg/l
BOD, 3 day 27 0C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio	mg/l	21.0	30	1.0 -50000 mg/l
COD, 5220 B Open Reflux Method	mg/l	190.0	250	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1)General Standards for discharge of environment Pollutants are as per-A Effluent(Schedule-VI) The environment (Protection) Rules,1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards,refer EPA standards for specific purpose

Remark: NA

Analysed by
[Dr Mamta Pandey(SA)]

Authorized by
ANANT PRASAD Digitally signed by ANANT PRASAD Date: 2022.06.14 16:06:02 +05'30'
Dr Anant Prasad ASO

RAM GOPAL Digitally signed by RAM GOPAL Date: 2022.06.14 16:38:19 +05'30'
Chief Environmental Officer
Central Laboratory

CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 16536317/Moradabad/2022 **Date: 14/06/2022**

1- **Name of Industry:** DESIGNCO UNIT 3

2- **Address of Industry:** LOHIA INDUSTRIAL ESTATE, LAKRIFAZALPUR DELHI ROAD,TEHSIL AND DISTRICT-MORADABAD, U.P. 244001,MORADABAD,244001

3- **District:** Moradabad

4- **Description about sampling point:** Final Outlet of ETP

5- **Type of Sample (Grab/Composite/Integrated):** Grab

6- **Sample Collected By:** Vinod Kumar and Jitendra Nath Tiwari AEE1,AEE2 & Rajeev Kumar MA

7- **Colour and Odour:** Colourless Odourless

8- **Quantity and Packing:** 2 Lit (Plastic Jericane)

9- **Date of Sample Collection:** 25/05/2022

10- **Analyis Indented by:** RO Moradabad

11- **Date of sample receipt in Lab:** 26/05/2022

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH,4500 H B Electronic method	-	7.14	6.0-9.0	02-12
Suspended Solids , 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 0C	mg/l	78.0	100	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 0C	mg/l	958.0	-	10- 50000 mg/l
Phosphate as P , 4500 P D Stannous Chloride Method	mg/l	1.74	5	0.03-100 mg/l
Copper (Cu), 3111- B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	ND	3	0.01-1000mg/l
Nickel (Ni), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	0.1266	3	0.02-1000 mg/l
BOD, 3 day 27 0C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio	mg/l	19.0	30	1.0 -50000 mg/l
COD, 5220 B Open Reflux Method	mg/l	118.0	250	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1)General Standards for discharge of environment Pollutants are as pert A Effluent(Schedule-VI).The environment (Protection) Rules,1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards,refer EPA standards for specific purpose

Remark: *NA*

Analysed by

[Dr Mamta Pandey(SA)]

Authorized by

ANANT PRASAD Digitally signed by ANANT PRASAD Date: 2022.06.14 16:33:03 +05'30'

Dr Anant Prasad ASO

RAM GOPAL Digitally signed by RAM GOPAL Date: 2022.06.14 16:35:22 +05'30'

Chief Environmental Officer

Central Laboratory

CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Building, No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 16536308/Moradabad/2022 **Date:14/06/2022**

1- **Name of Industry:** DESIGNCO UNIT 3

2- **Address of Industry:** LOHIA INDUSTRIAL ESTATE, LAKRI FAZALPUR, DELHI ROAD, MORADABAD,MORADABAD,244001

3- **District:** Moradabad

4- **Description about sampling point:** Outlet of STP

5- **Type of Sample (Grab/Composite/Integrated):** Grab

6- **Sample Collected By:** Vinod Kumar and Jitendra Nath Tiwari AEE1,AEE2 & Rajeev Kumar MA

7- **Colour and Odour:** Colourless Odourless

8- **Quantity and Packing:** 2 Lit (Plastic Jericane)

9- **Date of Sample Collection:** 25/05/2022

10- **Analyis Indented by:** RO Moradabad

11- **Date of sample receipt in Lab:** 26/05/2022

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH,4500 H B Electronic method	-	8.87	As per MoEF/CPCB	02-12
Suspended Solids , 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 0C	mg/l	48.0	,,	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 0C	mg/l	935.0	,,	10- 50000 mg/l
BOD, 3 day 27 0C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio	mg/l	17.0	,,	1.0 -50000 mg/l
COD, 5220 B Open Reflux Method	mg/l	98.0	,,	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1)General Standards for discharge of enviironment Pollutants are as part-A Effluent(Schedule-VI) The environment (Protection) Rules,1986 source www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards,refer EPA standards for specific purpose

Remark: NA

Analysed by

[Dr Mamta Pandey(SA)]

Authorized by

ANANT PRASAD Digitally signed by ANANT PRASAD Date: 2022.06.14 16:20:13 +05'30'

Dr Anant Prasad ASO

RAM GOPAL Digitally signed by RAM GOPAL Date: 2022.06.14 16:35:06 +05'30'

Chief Environmental Officer

Central Laboratory

Note: 1 The results in the Test Report relate only to the items tested. 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 16536380/Moradabad/2022 **Date:14/06/2022**

1- **Name of Industry:** DESIGNCO UNIT 4
2- **Address of Industry:** Lohia Industrial Estate, Lakri Fazalpur, Delhi Road, Moradabad,MORADABAD,244001
3- **District:** Moradabad
4- **Description about sampling point:** Final Outlet of ETP of100 KL
5- **Type of Sample (Grab/Composite/Integrated):** Grab
6- **Sample Collected By:** Vinod Kumar and Jitendra Nath Tiwari AEE1,AEE2 & Rajeev Kumar MA
7- **Colour and Odour:** Colourless Odourless
8- **Quantity and Packing:** 2 Lit (Plastic Jericane)-02No.
9- **Date of Sample Collection:** 25/05/2022
10- **Analyis Indented by:** RO Moradabad
11- **Date of sample receipt in Lab:** 26/05/2022

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH,4500 H B Electronic method	-	6.57	6.0-9.0	02-12
Suspended Solids , 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 0C	mg/l	42.0	100	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 0C	mg/l	912.0	-	10- 50000 mg/l
Phosphate as P , 4500 P D Stannous Chloride Method	mg/l	0.248	5	0.03-100 mg/l
Copper (Cu), 3111- B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	ND	3	0.01-1000mg/l
Nickel (Ni), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	2.8127	3	0.02-1000 mg/l
BOD, 3 day 27 0C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio	mg/l	11.8	30	1.0 -50000 mg/l
COD, 5220 B Open Reflux Method	mg/l	74.0	250	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1)General Standards for discharge of environment Pollutants are as part-A Effluent(Schedule-VI),The environment (Protection) Rules,1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards,refer EPA standards for specific purpose

Remark: NA

Analysed by

[Dr Mamta Pandey(SA)]

Authorized by
ANANT PRASAD Digitally signed by ANANT PRASAD Date: 2022.06.14 16:25:40 +05'30'
Dr Anant Prasad ASO

RAM GOPAL Digitally signed by RAM GOPAL Date: 2022.06.14 16:26:59 +05'30'
Chief Environmental Officer

Central Laboratory

CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Building, No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 16536377/Moradabad/2022 **Date:14/06/2022**

1- **Name of Industry:** DESIGNCO UNIT 4
2- **Address of Industry:** Lohia Industrial Estate, Lakri Fazalpur, Delhi Road, Moradabad,MORADABAD,244001
3- **District:** Moradabad
4- **Description about sampling point:** Final Outlet of STP
5- **Type of Sample (Grab/Composite/Integrated):** Grab
6- **Sample Collected By:** Vinod Kumar and Jitendra Nath Tiwari AEE1,AEE2 & Rajeev Gupta MA
7- **Colour and Odour:** Colourless Odourless
8- **Quantity and Packing:** 2 Lit (Plastic Jericane)
9- **Date of Sample Collection:** 25/05/2022
10- **Analyis Indented by:** RO Moradabad
11- **Date of sample receipt in Lab:** 26/05/2022

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH,4500 H B Electronic method	-	6.79	As per MoEF/CPCB	02-12
Suspended Solids , 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 0C	mg/l	48.0	"	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 0C	mg/l	963.0	"	10- 50000 mg/l
BOD, 3 day 27 0C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio	mg/l	18.0	"	1.0 -50000 mg/l
COD, 5220 B Open Reflux Method	mg/l	82.0	"	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1)General Standards for discharge of environment Pollutants are as part-A Effluent(Schedule-VI) The environment (Protection) Rules,1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards,refer EPA standards for specific purpose

Remark: NA

Analysed by
[Dr Mamta Pandey(SA)]

Authorized by
ANANT PRASAD Digitally signed by ANANT PRASAD Date: 2022.06.14
Dr Anant Prasad ASO

RAM GOPAL Digitally signed by RAM GOPAL Date: 2022.06.14
Chief Environmental Officer
Central Laboratory

Note: 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Building, No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 16536383/Moradabad/2022 **Date:14/06/2022**

1- **Name of Industry:** DESIGNCO UNIT 4
2- **Address of Industry:** Lohia Industrial Estate, Lakri Fazalpur, Delhi Road, Moradabad,MORADABAD,244001
3- **District:** Moradabad
4- **Description about sampling point:** Final Outlet of ETP of 300 KL
5- **Type of Sample (Grab/Composite/Integrated):** Grab
6- **Sample Collected By:** Vinod Kumar and Jitendra Nath Tiwari AEE1,AEE2 & Rajeev Gupta MA
7- **Colour and Odour:** Colourless Odourless
8- **Quantity and Packing:** 2 Lit (Plastic Jericane)-02No.
9- **Date of Sample Collection:** 25/05/2022
10- **Analyis Indented by:** RO Moradabad
11- **Date of sample receipt in Lab:** 26/05/2022

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH,4500 H B Electronic method	-	6.78	6.0-9.0	02-12
Suspended Solids , 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 0C	mg/l	82.0	100	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 0C	mg/l	1062.0	-	10- 50000 mg/l
Phosphate as P , 4500 P D Stannous Chloride Method	mg/l	1.17	5	0.03-100 mg/l
Copper (Cu), 3111- B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	0.2953	3	0.01-1000mg/l
Nickel (Ni), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	2.443	3	0.02-1000 mg/l
BOD, 3 day 27 0C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio	mg/l	16.0	30	1.0 -50000 mg/l
COD, 5220 B Open Reflux Method	mg/l	165.0	250	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1)General Standards for discharge of environment Pollutants are as part-A Effluent(Schedule-VI),The environment (Protection) Rules,1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards,refer EPA standards for specific purpose

Remark: *NA*

Analysed by

[Dr Mamta Pandey(SA)]

Authorized by
ANANT PRASAD Digitally signed by ANANT PRASAD Date: 2022.06.14
Dr Anant Prasad ASO

RAM GOPAL Digitally signed by RAM GOPAL Date: 2022.06.14
Chief Environmental Officer
Central Laboratory

Annexure 15

CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Building, No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 16535508/Moradabad/2022 **Date:14/06/2022**

1- **Name of Industry:** DEWAN AND SONS
2- **Address of Industry:** LAKRI FAZALPUR, MINI BYPASS, DELHI ROAD,TEHSIL AND DISTRICT-MORADABAD, U.P. 244001,MORADABAD,244001
3- **District:** Moradabad
4- **Description about sampling point:** Final Outlet of ETP
5- **Type of Sample (Grab/Composite/Integrated):** Grab
6- **Sample Collected By:** Vinod Kumar and Jitendra Nath Tiwari AEE1,AEE2 & Rajeev Kumar MA
7- **Colour and Odour:** Colourless Odourless
8- **Quantity and Packing:** 2 Lit (Plastic Jericane)
9- **Date of Sample Collection:** 25/05/2022
10- **Analyis Indented by:** RO Moradabad
11- **Date of sample receipt in Lab:** 26/05/2022

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH,4500 H B Electronic method	-	7.03	6.0-9.0	02-12
Suspended Solids , 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 0C	mg/l	34.0	100	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 0C	mg/l	668.0	-	10- 50000 mg/l
Phosphate as P , 4500 P D Stannous Chloride Method	mg/l	0.29	5	0.03-100 mg/l
Copper (Cu), 3111- B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	1.317	3	0.01-1000mg/l
Nickel (Ni), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	1.4177	3	0.02-1000 mg/l
BOD, 3 day 27 0C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio	mg/l	19.2	30	1.0 -50000 mg/l
COD, 5220 B Open Reflux Method	mg/l	122.0	250	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1)General Standards for discharge of environment Pollutants are as pert-A Effluent(Schedule-VI).The environment (Protection) Rules,1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards,refer EPA standards for specific purpase

Remark: NA

Analysed by

[Jyoti Tiwari (SA)]

Authorized by

ANANT PRASAD Digitally signed by ANANT PRASAD Date: 2022.06.14

Dr Anant Prasad ASO

RAM GOPAL Digitally signed by RAM GOPAL Date: 2022.06.14 16:47:81 +05'30'

Chief Environmental Officer

Central Laboratory

Scanned with OKEN Scanner

Annexure 16

CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 16535871/Moradabad/2022 Date:14/06/2022

1- **Name of Industry:** HORIZON IMPEX UNIT 2

2- **Address of Industry:** Lakri Fazalpur Mini Bypass, Delhi Road, Tehsil-Moradabad, District-Moradabad, U.P. 244001.,MORADABAD,244001

3- **District:** Moradabad

4- **Description about sampling point:** Final Outlet of ETP

5- **Type of Sample (Grab/Composite/Integrated):** Grab

6- **Sample Collected By:** Vinod Kumar and Jitendra Nath Tiwari AEE1,AEE2 & Rajeev Kumar MA

7- **Colour and Odour:** Colourless Odourless

8- **Quantity and Packing:** 2 Lit (Plastic Jericane)

9- **Date of Sample Collection:** 25/05/2022

10- **Analyis Indented by:** RO Moradabad

11- **Date of sample receipt in Lab:** 26/05/2022

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH,4500 H B Electronic method	-	6.61	6.0-9.0	02-12
Suspended Solids , 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 0C	mg/l	62.0	100	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 0C	mg/l	823.0	-	10- 50000 mg/l
Phosphate as P , 4500 P D Stannous Chloride Method	mg/l	2.986	5	0.03-100 mg/l
Copper (Cu), 3111- B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	2.6583	3	0.01-1000mg/l
Nickel (Ni), 3111-B Atomic Absorption Spectrometry (Direct Air-Ac Flame Method)	mg/l	0.3291	3	0.02-1000 mg/l
BOD, 3 day 27 0C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio	mg/l	18.3	30	1.0 -50000 mg/l
COD, 5220 B Open Reflux Method	mg/l	112.0	250	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1)General Standards for discharge of envieronment Pollutants are as pert-A Effluent(Schedule-VI).The eniveronment (Protection) Rules,1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards,refer EPA standards for specific purpose

Remark: NA

Analysed by

[Jyoti Tiwari (SA)]

Authorized by

ANANT PRASAD Digitally signed by ANANT PRASAD Date: 2022.06.14 16:43:50 +05'30'

Dr Anant Prasad ASO

RAM GOPAL Digitally signed by RAM GOPAL Date: 2022.06.14 16:44:24 +05'30'

Chief Environmental Officer

Central Laboratory

Scanned with OKEN Scanner

Annexure – 17

कार्यालय जिलाधिकारी, मुरादाबाद

पत्रांक 774-4/आशु0/2022

दिनांक– 23 जून, 2022

डायरी नं० 173
सीरियल नं०
फाइल नं० [illegible]
दिनांक 27/6/22

1–उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद।
2–नगर आयुक्त, नगर निगम मुरादाबाद।
3–अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, सिंचाई विभाग मुरादाबाद।

अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओए संख्या 303/2020 शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनको व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.05.2022 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 21.05.2022 को बैठक आहूत की गई जिसमें संबंधित इकाइयों के निरीक्षण हेतु दिनांक 25 व 26 मई 2022 को करने हेतु समिति को निर्देशित किया गया।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा दिनांक 25 व 26 मई 2022 को संबंधित इकाइयों के निरीक्षण उपरान्त संयुक्त आख्या प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार निम्नलिखित इकाइयों द्वारा गांगन/रामगंगा नदी के किनारे 100 मीटर के अन्दर नदी के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण किया जाना पाया गया है :–

25/6/22

1–मैसर्स डिजाइनको लाकड़ी फाजलपुर, मुरादाबाद।
2–मैसर्स लोहिया ब्रास प्रा0लि0, लाकड़ी फाजलपुर, मुरादाबाद।
3–मैसर्स दीवान एण्ड संस, लाकड़ी फाजलपुर, मुरादाबाद।
4–मैसर्स सी0एल0गुप्ता एण्ड संस फार्म हाउस, रामगंगा विहार, मुरादाबाद।

अतः उपरोक्त इकाइयों द्वारा किए गए अवैध निर्माण को हटाए जाने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएं जिससे माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सके।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
जिलाधिकारी
मुरादाबाद

संख्या एवं दिनांक : तदैव।

प्रतिलिपि : 1– अपर जिलाधिकारी (वि/रा) मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
2–क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुद्धि विहार मुरादाबाद को इस निर्देश से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार कृत कार्यवाही की सूचना माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी
मुरादाबाद

AEE

Scanned with OKEN Scanner